खण्ड २—अंक ३६

१४ अप्रैल, १९५५ (गुरुवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(Session IX)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने (देश में) (एक शिलिंग विदेश में)

76 LSD

विषय-सूची

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

(खंड २—अंक २१ से ४० —२३ मार्च से १९ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ से १३७३, १३७४, १३७७, १३७९ से १३८१, १३८६, १३८८, से १३९०, १३९२, १३९३, १३९६, १३९७, १३९९, १४००, १४०३, १४०४, १४०६, १४०७, १४०९, १४१३ से १४१५, १४१७, १४१८ और १४२१ . १५८७—१६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७४, १३७६, १३७८, १३८२ से १३८५, १३८७, १३९१, १३९४, १३९८, १४०१, १४०२, १४०५, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६, १४१९ और १४२० १६३०—१६४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४२३ . . १६४५—१६५०

अंक २२— गुरुवार, २४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४२२—१४३५, १४३८, १४४१, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५३, १४६४, १४६७, १४६८, १४७०, १४७१ . . . . १६५१—१६९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४३६, १४३७, १४३९, १४४०, १४४३, १४४५, १४४७, १४४९, १४५१, १४५२, १३६४, १४६६, १४७२–१४७७ १६९९—१७१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ से ४२७ . . . १७१०—१७१४

अंक २३ — शुक्रवार, २५ मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७८, १४७९, १४८०, १४८१, १४८३ से १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १४९९, १५०१, १५०४, १५०७, १५०८, १५१० से १५१३, १५१५ से १५१७, १५२१ से १५२३, १५२५, १५२७, १५३०, १५३१, १५३३ और १५३५ . . . १७१५—१७६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८६, १४८६, १४६३, १४६५, १४६७, १५००, १५०२, १५०३, १५०५, १५०६, १५०६, १५१४, १५१८ से १५२०, १५२४, १५२६, १५२८, १५२६, १५३४ और १५३६ से १५३८ . . . १७६१—१७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४६० १७७४—१८०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८०२

अंक २४—सोमवार, २८ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ से १५४१, १५४३ से १५५०, १५५२, १५५४, १५५५, १५५७ से १५६०, १५६२, १५६४, १५६८, १५६६, १५७१से १५७७, १५७६, १५८०, १५८२, १५८५ से १५८८ . १८०३—१८५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५४२, १५५१, १५५३, १५५६, १५६३, १५६५ से १५६७, १५७०, १५८१, १५८३, १५८४ . . . १८५०—१८५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ४६८ . . १८५७—१८६२

अंक २५— मंगलवार, २६ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६, १५६२, १५६४ से १६००, १६०२, १६०७, १६११ से १६१३, १६१५, १६१७, १६१६ से १६२१, १६२४ से १६२८, १६३० से १६३५, १६३८, १६४०, १६४२ से १६४८ और १६५० . . १८६३—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३, १६०१, १६०३ से १६०६, १६०८, १६०६, १६१४, १६१८, १६२३, १६२६, १६३६, १६३७ और १६३६ . . . . . १६१५—१६२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४८४ १६२३—१६३४

अंक २६—बुधवार, ३० मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ से १६५६, १६६४ से १६६६, १६६८, १६७० से १६७४, १६७७, १६७८, १६८०, १६८२, १६८६, १६८६ से १६६५ और १६६७ से १७०५ . . १६३५—१६८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १६६३, १६६७, १६६६, १६७५, १६७६, १६७६, १६८१, १६८३ से १६८५, १६८७, १६८८, १६६६, १७०६ से १७१० और १७१२ से १७२२ . . १६८१—२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४६० और ४६२ से ५१६ २०००—२०२२

अंक २७—गुरूवार, ३१ मार्च १९५५

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ से १७२७, १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४४, १७४५, १७४७ से १७५२, १७५४, १७५५, १७७०, १७५७ और १७५८ से १७६६ . . २०२३--२०७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७३६, १७३९ से १७४१, १७४३, १७४६, १७५३, १७५६, १७६७ से १९६९ १७७१, और १७७२ . . . . . २०७१--२०७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० से ५२३, ५२५ और ५२६ . २०७८--२०८२

अंक २८— शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४, १७७८, १७८०, १७८६, १७८९, १७९०, १७९२—१७९४, १७९६, १७९७, १७९९—१८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२—१८२४, १८२६—१८२८, . २०८३--२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६, १८१८, १८२०, १८२५. १८२९ . . . . . २१३३—२१४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७—५३७. . . २१४१—२१४

अंक २९-- सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ से १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९--२१९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२००—२२०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शद्धि . . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५, १८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५, १८०१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६, १८९० और १८९३ से १८९९ . . . . २२०५—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—२२५

अंक ३०— मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

मौखिक उत्तर के प्रश्न —

तारांकित प्रश्न संख्या १९००—१९०४, १९०६, १९०७, १९०९, १९१०, १९१३, १९१६, १९१८, १९२०, १९२१, १९२४—१९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५—१९३९, १९४१, १९४२, १९४४—१९५०, १९५३ . . . २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७, १९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०, १९४३, १९५१, १९५२, १९५४–१९५९ . . . २२९७—२३०८

अतारांकित प्रश्न सख्या ५७६, ५७७, ५७९—५९४, ५९७—६०२ . २३०८—२३२४

अंक ३१— बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२, १९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९ से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६ और २००८ से २०१० . . . . २३२५—२३७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३ १९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ . . . २३७०–२३७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ . . . . २३७७–२३७८

अंक ३२— बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०१३, २०१५–२०१७, २०१९, २०२२, २०२३, २०२५, २०२६, २०२८, २०३०, २०३३–२०३५, २०३७, २०३९—२०४२, २०४४, २०४५, २०४७–२०५३, २०५६, २०५९–२०६५, २०६७ . . २३८९—२४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०११, २०१२, २०१८, २०२०, २०२१, २०२४, २०२७, २०२९, २०३१, २०३२, २०३६, २०३८, २०४३, २०५४, २०५५, २०५७, २०५८, २०६६, २०६८—२०७१. . २४३५—२४४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२०—६५५ . . . . २४४६—२४७०

अंक ३३—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०७७, २०७९ से २०८१, २०८५, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३. २०९४, २०९६, २०९७ और २०९०. . . . . २४७१—२५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तेर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११०. . . २५०५—२५१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२. . . . २५१२—२५३०

अंक ३४—सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१११ से २११४, २११८, २१२०, २१२३, २१२५, २१२९, २१३०, २१३२, २१३३ से २१३५, २१३८, २१३९, २१३९—क, २१४०, २१४१, २१४३ से २१५९ . . २५३१—२५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८३, १९८८, २००७, २११५ से २११७, २११९, २१२१, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३१, २१३६, २१३७, २१४२. . . . . २५७९—२५८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ से ७१६. . . . २५८९—२६१०

अंक ३५—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६० से २१६३, २१६५, २१६६, २१६८, २१६९, २१७१, २१७४, २१८० से २१८४, २१८६, २१८७, २१८९, २१९२ से २१९४, २१९६, २१९८, २२०० से २२०२, २१७६, २१७८, २१६७ और २१९०. . . २६११—५०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७— . . . २६५०—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६४, २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७७, २१७९, २१८५, २१८८, २१९५, २१९७, २१९९ और २२०३ . . . . . २६५३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७७८ . . . . २६५९—९६

अंक ३६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ से २२०८, २२१० से २२१५, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२९ और २२३४ से २२४३ २६९७—२७३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०९, २२१६ से २२१८, २२२०, २२२२, २२३० और २२३२ . . २७३५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८०७ . . . . २७४०—५८

अंक ३७—शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४४, २२४८, २२५१, २२५२, २२५६, २२५९, २२७६, २२६१, २२६२, २२६५, २२६६, २२६८, २२७०, २२७१, २२७२ से २२७४, २२७७ से २२७९, २२८१ से २२८४, २२५५, २२५८, २२६३, २२६९, २२५३ और २२८० . . २७५९—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४७, २२४९, २२५०, २२५४, २२६०, २२६४, २२६७ और २२७५ . . २७९८—२८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८१६ और ८१८ से ८२९ . . २८०२—१४

अंक ३८— शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८६ से २२८८, २२९२, २२९४, २२९६ से २२९८, २३००, २३०२ से २३०४, २३०६, २३१०, २३१३ से २३१५, २३१७, २३१८, २३२१, २३२२ और २२९९ २८१५—४१

तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि २८४१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २८४१—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८५, २२८९, २२९० से २२९३, २२९५, २३०१, २३०५, २३०७ से २३०९, २३११, २३१२, २३१६, २३१९, २३२० और २३२३ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८७० . . . . २८५४—७८

अंक ३९—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २८७९

प्रश्नों के मौत्तिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२५, २३२७, २३२८, २३३० से २३३९, २३४१, २३४४ से २३४६, २३४९, २३५१, २३५३ से २३५५, २३५७ से २३५९, २३६२ और २३६४ . . .२८७९—२९११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२४, २३२६, २३२८, २३२९, २३४०, २३४२, २३४७, २३४८, २३५०, २३५२, २३५६, २३६०, २३६१ और २३६३. . . . . २९११—२९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८८५ . . . . २९१७—२९२६

अंक ४०—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ से २३७०, २३७२ से २३७६, २३८० से २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९३, २३९७ . २९२७—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३७१, २३७७ से २३७९, २३८५, २३९१, २३९४, २३९५, २३९८ . . . . . २९५७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ से ९०१, ९०३ से ९०८ . २९६२—७२

खंड २ की अनुक्रमणिका . . . . . १—१८९

लोक-सभा

गुरुवार, १४ अप्रैल १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अखिल-भारतीय विधि जीवी संघ का निर्माण

*२२०४. **श्री एस० एन० दास :** क्या विधि मंत्री ११ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या **७९१** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल-भारतीय विधि जीवी समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने अखिल-भारतीय आधार पर एक स्वायत्त और एकीकृत विधि जीवी संघ बनाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो आवश्यक विधान कब पुरःस्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(घ) अन्य कौनसी सिफारिशें विचाराधीन हैं ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) सब सिफारिशें विचाराधीन हैं । अखिल-भारतीय विधि जीवी समिति को विभिन्न सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा अन्य लोगों से रायें प्राप्त हो चुकी हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

श्री एस० एन० दास : सरकार को इस मामले में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय और लगेगा ?

श्री पाटस्कर : केवल एक राज्य को छोड़ कर शेष सब राज्य से सरकार को उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और वह शीघ्र निर्णय करेगी ।

श्री एस० एन० दास : राज्य सरकारों की रायें क्या हैं ?

श्री पाटस्कर : महत्वपूर्ण सिफारिश तीन या चार हैं और राज्य सब एकमत नहीं हैं ।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार ने इस विषय में उच्च न्यायालयों और उच्चन्यायालय विधि जीवी संघों की रायें मांगी हैं ?

श्री पाटस्कर : जी हां, सरकार ने उच्चन्यायालयों, उच्चतमन्यायालय, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों द्वारा विधि जीवी संघों की रायें मांगी हैं ।

हैलीकोप्टर

*२२०५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय

वायु सेना द्वारा प्राप्त किये गये हेलीकोप्टरों का उपयोग करने में कितनी सफलता मिली है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : हैलीकोप्टर सैनिकों और सामान को उन जगहों में जहां पहुंच मुश्किल है ले जाने, और संचारण और बचाव के कामों में बहुत काम के साबित हुये हैं। वह उन जगहों में जहां आम हवाई जहाज़ काम में नहीं लाये जा सकते, विपत्ति में फंसे हुये और हताहत लोगों को निकालने के काम में लाये जाते हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन हैलीकोप्टरों में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक यह उड़ सकता है और कितने मील प्रति घंटा इसकी उड़ान है ?

सरदार मजीठिया : यह पायलेट और कोपायलेट के अलावा पांच और आदमियों को ले जा सकता है और यह हैलीकोप्टर जहां तक मुझे याद पड़ता है कोई साढ़े तेरह हज़ार फीट ऊंचे जा सकता है और इसकी रफ्तार कोई ८५ नाट है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सिद्ध हो गया है कि इन हैलीकोप्टरों का उपयोग करने में तथा दूसरे हवाई जाहाज़ों का उपयोग करने में जान और माल के ख़तरें की आशंका नहीं है ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं, यह बिल्कुल सेफ हवाई जहाज़ हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या कोई ऐसी योजना तैयार की गई है या तैयार की जा रही है कि विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इनको यहां पर मंगाया जाये या स्वयं भारत में इनको तैयार किया जाय ?

सरदार मजीठिया : नहीं, अभी तो कोई ऐसी स्कीम नहीं है लेकिन यह बात सही है कि हम इस वक्त विचार कर रहे हैं कि कुछ और हवाई जहाज मंगाये जायें

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

*२२०६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ में किये गये विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, वे मुख्य निर्णय कौन से हैं, जिन्हें अब तक क्रियान्वित किया गया है।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १०, **अनुबन्ध संख्या ३४**]

श्री कृष्णाचार्य जोशी : विवरण से पता चलता है कि हिन्दी शिक्षा समिति को रचना फिर से की गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि पुनर्स्थापित समिति में कुल कितने सदस्य हैं, और उन्हें कैसे चुना गया है ?

डा० एम० एम० दास : हिन्दी शिक्षा समिति के कुल चौबीस सदस्य हैं, और उन्हें निम्न आधार पर चुना गया है :

सभापति—भारत सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किया जायेगा और वह भारत सरकार के प्रसाद पर्यन्त इस स्थान पर कार्य करता रहेगा ;

एक एक प्रतिनिधि—आन्ध्र, आसाम, कुर्ग, बम्बई, हैदराबाद, कच्छ, मध्य प्रदेश, मद्रास, मनीपुर, मैसूर, उड़ीसा, पेप्सू, पंजाब, सौराष्ट्र, त्रावनकोर-कोचीन, त्रिपुरा, तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों से लिया जायेगा, और वे प्रतिनिधि अपनी अपनी राज्य सरकारों के प्रसादपर्यन्त इस समिति में काम करते रहेंगे ;

एक सदस्य—लोक-सभा से अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किया जायेगा, जो कि तीन वर्षों तक उस समिति में काम करता रहेगा ;

एक सदस्य–राज्य सभा से सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किया जायेगा, जो कि तीन वर्षों तक उस समिति में काम करता रहेगा ;

दो प्रतिनिधि––हिन्दी की प्रमुख संस्थाओं के होंगे, जिन्हें भारत सरकार नामोद्दिष्ट करेगी, और वे तीन वर्षों तक इस समिति में काम करते रहेंगे ;

एक प्रतिनिधि––हिन्दी भाषा-भाषी दो राज्यों की सरकारों का एक एक प्रतिनिधि बारी बारी से एक एक वर्ष के लिये इस समिति में लिया जायेगा । किस राज्य की बारी पहले आयेगी–इस बात का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जायेगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने योजना पदाधिकारी नियुक्त किये हैं और इस कार्य पर आने वाले खर्च में से कितना भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में भोपाल, उत्तर प्रदेश, कुर्ग, सौराष्ट्र, त्रावनकोर-कोचीन तथा हैदराबाद की सरकारों से प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं । वेतन आदि पर आने वाले खर्चों के पचास प्रति शत की मंजूरी केन्द्रीय सरकार ने दी है, और वही अदा करेगी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : हिन्दी के प्रचार के लिये अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों को कुल कितना अनुदान दिया गया है और वह अनुदान किस आधार पर दिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : १९५४–५५ में केन्द्रीय सरकार द्वारा २,७९,००० रुपये के अनुदान ऐसे विभिन्न अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों के लिये मंजूर किये गये थे जिन्होंने हिन्दी के प्रचार के लिये अपनी योजनाओं को स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार के पास भेजा था । उन्हें अनुदान इस आधार पर दिये गये हैं कि जिन राज्यों का अपना विधान मंडल है, उन्हें कुल खर्चे का ६६ प्रति शत दिया जायेगा और जिनका अपना विधान मंडल नहीं है, उन्हें शत प्रति शत दिया जायेगा ।

गजैटियर

*२२०७. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न गजैटियरों में सुधार करने की दिशा में अभी तक कितना काम हुआ है ; और

(ख) क्या यह कार्य फुटकर किया जा रहा है अथवा व्यवस्थित रूप से ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : इस विषय पर विचार हो रहा है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार का ऐसा विचार है कि इस कार्य को एक केन्द्रीय परामर्श दाता-बोर्ड के निदेशानुसार प्रारम्भ किया जाये, जो यह देखेगा कि एक सामान्य निदेश के अनुसार ही विभिन्न राज्यों में अच्छी प्रकार के गजैटियर तैयार किये जायें ?

डा० एम० एम० दास : ऐसी प्रस्थापना है कि इस कार्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया जाये ब्योरे के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार का यह आशय भी है कि वह पुरातत्व विभाग को शिलालेख-शाखा से ऐसा कहे कि वह हमारे प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में इधर उधर बिखरे हुये हजारों प्राचीन स्थानों के नामों का एक गजैटियर तैयार करे ?

डा० एम० एम० दास : इस सारे ब्योरे पर सोच विचार किया जाना है ।

केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद

*२२०८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् के कितने अधिनियमों का भारत की विभिन्न राज्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) :

हिन्दी	६४;
बंगला	१४;
कन्नड़	३३;
मराठी	३३;
गुजराती	३३;
पंजाबी	२; तथा
उर्दू	१.

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने जो पढ़ कर बतालाया उसके अनुसार तो एक भी कानून का हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ है ?

श्री पाटस्कर : मैंने बतलाया कि ६४ ऐक्ट्स का हिन्दी में ट्रान्सलेशन हुआ है ।

श्री विभूति मिश्र : अधिकतर क़ानून जो यहां पर बनते हैं, वे अंग्रेज़ भाषा में बनते हैं । जब कि देश की ९० प्रति शत जनता अंग्रेज़ी नहीं जानती, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक अबिलम्ब कार्यवाही करेगी जिससे सारे क़ानून यहां के हिन्दी में हो जायें ?

श्री पाटस्कर : पहले एक सवाल के उत्तर में बतलाया गया है कि सरकार ने इसके लिय एक अलग से डिपार्टमेंट कायम कर रखा है जिसके द्वारा सेंट्रल ऐक्ट्स का हिन्दी में ट्रान्स-लेशन का काम बड़े ज़ोर से जारी है ।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार का विचार केन्द्रीय अधिनियमों का सभी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने का है ?

श्री पाटस्कर : जी, हां । जहां तक हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के कार्य का सम्बन्ध है, इसे विभिन्न राज्य सरकारों को सोंप दिया गया है, अर्थात् असमिया का कार्य आसाम को बंगला का, बंगाल को, गुजराती, कन्नड़ तथा मराठी का कार्य बम्बई को, मलयालम का कार्य त्रावनकोर-कोचीन को, उड़िया का कार्य उड़ीसा को, पंजाबो को कार्य पेप्सू को, तामिल का मद्रास को, तेलगू का कार्य आन्ध्र को और उर्दू का हैदराबाद को ।

श्री विभूति मिश्र : लेकिन हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं, हमें भो तो कुछ मालूम होना चाहिये कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है और कितना काम कर चुकी है ताकि हम वोटरों को इसके बारे में जानकारी करा सकें ।

श्री पाटस्कर : ऐक्ट्स के हिन्दी ट्रान्स-लेशन का काम स्टेट गवर्नमेंटों को नहीं दिया गया है, वह काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है ।

श्री विभूति मिश्र : सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्या कार्य कर रही है .....

युद्ध-सामग्री अध्ययन संस्था, किर्की

*२२१०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युद्ध सामग्री अध्ययन संस्था किर्की भारत के अन्य विश्वविद्यालयों तथा असैनिक गवेषणा संस्थाओं से कोई सम्पर्क रखती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के नाम क्या हैं; तथा

(ग) क्या इस रक्षा विज्ञान प्रशिक्षण पद्धति के सम्बन्ध में किसी और देश से विचार विमर्श करने का प्रयत्न किया गया है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी, हां ।

(ख) (१) विज्ञान संस्था, बंगलौर

(२) राष्ट्रीय रसायनिक । योग-शाला, पूना ।

(३) राष्ट्रीय भौतकीय प्रयोगशाला, नई दिल्ली ।

(४) गणित सम्बन्धी साधन फैक्टरी, कलकत्ता ।

(५) इंजीनियरिंग कॉलिज, पूना

(६) दिल्ली विश्वविद्यालय ।

(ग) यहां का पाठ्यक्रम ब्रिटेन के रायल मिलिटरी कॉलिज आफ़ साइन्स के अनुरूप ही है, परन्तु इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढाला गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या रायल सोसाइटी के फैल्लो तथा नोबल लॉरियेट प्रोफेसर पी० एम० एस० ब्लैकिट को इस संस्था में पधारने के लिये निमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

डा० काटजू : मैं आपका प्रश्न समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : दो प्रोफेसर थे .....

श्री एस० सी० सामन्त : क्या प्रोफेसर ब्लैकिट को इस संस्था का कार्य देखने के लिये निमंत्रित किया गया था ?

डा० काटजू : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस संस्था के विद्यार्थियों को विदेशों में भेजने की कोई व्यवस्था है ?

डा० काटजू : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

खनिजों पर स्वामिस्व तथा अप्राप्य किराया

*२२११. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २५ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे :

(क) क्या खनिजों पर स्वामिस्व तथा अप्राप्य किराये के दरों के प्रश्न की जांच करने के लिये स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिश क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). स्वामिस्व तथा अप्राप्य किराये के दरों के सम्बन्ध में तीन उपसमितियों के प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं और उन पर शीघ्र ही स्वामिस्व तथा अप्राप्य किराया समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या समिति द्वारा दी गई सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं अथवा नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : उपसमितियों के प्रतिवेदनों पर सरकार अभी विचार कर रही है ।

चौ० रघुवीर सिंह : इस समिति ने किन किन राज्यों का दौरा किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समिति द्वारा सभी राज्यों का दौरा करने का कोई विशेष कार्यक्रम न था परन्तु फिर भी समिति के सदस्यों ने उन सभी स्थानों का दौरा किया है, जहां जाना उन्होंने आवश्यक समझा ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

श्री के० डी० मालवीय : उन सिफारिशों पर अभी मुख्य समिति विचार कर रही है ; इसमें बिलम्ब इस कारण से हुआ है कि

इसी दौरान में कराधान जांच आयोग भी उन्हीं बातों पर विचार कर रहा था। अब क्योंकि कराधान जांच आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया गया है, समिति इसके विषय में अपना निर्णय देगी और फिर सरकार इस विषय में सोच विचार करेगी।

विदेशी विद्यार्थी

*२२१२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा छात्र-वृत्ति प्राप्त कितने विदेशी विद्यार्थी इस समय विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : कोई नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता कि **क्या आप** फारेन स्टूडेन्ट्स को भी हिन्दुस्तान में स्कॉलर्शिप्स देते हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिये विदेशी विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की कई योजनाय हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या उनकी संख्या मैं जान सकता हूं ?

डा० एम० एम० दास : मैं आपको अलग अलग योजनाओं की संख्या बता सकता हूं। उदाहरणार्थ, सामान्य सांस्कृतिक छात्र-वृत्ति योजना के अधीन २५९ विद्यार्थी भारत **में** शिक्षा ले रहे हैं ; व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अधीन १९५५–५६ वर्ष के लिये केवल एक अभ्यर्थी ने प्रवेश प्राप्त किया है और अभ्यर्थियों के भी प्रवेश प्राप्त करने की सभावना है ; भारत-जर्मन औद्योगिक सहयोग योजना के अधीन १३ जर्मन राष्ट्र जन भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ; कोलम्बो योजना की औद्योगिक सहयोग योजना के अधीन छात्र-वृत्तियों की संख्या तो निर्धारित नहीं की गई थी, तो भी इस योजना के अधीन इस समय भारत में १०७ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ; पारस्परिक छात्रवृत्ति योजना के अधीन १७ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : इस में अमरीकन स्टूडेन्ट्स की क्या संख्या है ?

डा० एम० एम० दास : यह एक पृथक् सा प्रश्न है, इस अनुपूरक प्रश्न का मुख्य प्रश्न मे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सत्य है कि इस समय, वर्तमान वर्षमें, लगभग ७०० विदशी विद्यार्थी भारत सरकार से छात्र-वृत्तियां लेकर भारत में पढ़ रहे हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि ये विदेशी विद्यार्थी इसी मास में मद्रास में अपना एक सम्मेलन कर रहे हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मुख्य प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार द्वारा छात्र-वृत्ति प्राप्त कोई विदेशी विद्यार्थी किसी विदेश में पढ़ रहा है ?

पुरातत्व विज्ञान की केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति

*२२१३. **श्री इब्राहीम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ के दौरान में पुरातत्व विज्ञान की केन्द्रीय परामर्श दात्री समिति ने कितनी बैठकें की थीं ; तथा

(ख) यदि उसने कोई सिफारिशें दी हैं, तो उन्हें अभी तक कितना कार्यान्वित किया जा चुका है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) एक

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ३५**]

श्री इब्राहीम : अभी तक कितने राज्यों ने पुरातत्व संस्थायें स्थापित कर ली हैं ?

डा० एम० एम० दास : भाग क राज्यों में से : उत्तर प्रदेश में उनका अपना पुरातत्व विभाग है ; आन्ध्र में कोई नहीं ; मध्य प्रदेश में कोई नहीं ; बम्बई में पुरातत्व विभाग स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रस्थापना विचाराधीन है । भाग ख राज्यों में से : हैदराबाद में पुरातत्व विभाग है ; मध्य भारत में इसे स्थापित करने पर विचार हो रहा है ; मैसूर में एक संस्था है ; पेप्सू में कोई नहीं ; सौराष्ट्र में एक संस्था है, त्रावणकोर-कोचीन में उनका अपना पुरातत्व विभाग है । भाग ग राज्यों में : बिलासपुर में कोई नहीं ; कच्छ में कोई नहीं ; विन्ध्य प्रदेश के विषय में विचार हो रहा है ।

श्री इब्राहीम : क्या सरकार को कोई ऐसी प्रस्थापना है कि एक पुरातत्वीय शिष्टमंडल अफगानिस्तान को भेजा जाय ? यदि हां, तो कब ?

डा० एम० एम० दास : प्रस्थापना विचाराधीन है ।

श्री बी० एन० मिश्र० : जैसा कि अभी बताया गया कि कई प्रान्तों में यह आर्किलाजिकल डिपार्टमेंट खोलने का अभी विचार नहीं है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन प्रान्तों में यह कभी खोला जायेगा या नहीं ?

डा० एम० एम० दास : हमने इसके सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों को लिखा है कि वे अपने अधीन भूतत्वीय स्थानों और स्मारकों की देखभाल करने के लिये अपनी-अपनी भूतत्वीय संस्थायें स्थापित करें, परन्तु हमारे उस पत्र का कुछ ही राज्यों ने उत्तर दिया है, और सभा को मैंने बता दिया है कि किन-किन राज्यों में भूतत्वीय संस्थायें हैं और किन-किन में नहीं हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या आन्ध्र सरकार ने आन्ध्र में भूतत्वीय संघटन स्थापित करने के लिये कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

डा० एम० एम० दास : आन्ध्र सरकार ने हमारे पत्र के उत्तर में लिखा है कि इस प्रकार का संघटन स्थापित करने के लिये उन के पास कोई धन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने कोई सहायता मांगी है ? क्या सरकार उन्हें सहायता देने के विषय में सोच विचार कर रही ह ?

डा० एम० एम० दास : इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : नहीं, ऐसी मदद नहीं मांगी है ।

लोकप्रिय साहित्य

*२२१४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "लोकप्रिय साहित्य को प्रोत्साहन" देने की योजना के अन्तर्गत १९५४–५५ में किन-किन भाषाओं के साहित्यों को प्रोत्साहन दिया गया ; और

(ख) इस कालावधि में इस योजना पर कितना खर्च हुआ ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) आसामी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तामिल, तेलगू, और उर्दू ।

(ख) एक विवरण सभा के सामने रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ३६**]

डा० राम सुभग सिंह : इस विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि ३१ मार्च तक पुरस्कार आदि में के रूप में ३२,३८३ रुपया

दिय गया और केवल कर्मचारियों पर १०,५०० रु० खर्च हुआ । तो वे कर्मचारी लोग कुछ और भी काम करते हैं या केवल ३२,३८३ रु० बांटने में उन पर १०,५०० रुपया खर्च हुआ ?

डा० एम० एम० दास : कुल खर्च ७७,८८३ रुपये होगा और उसमें से कर्मचारी लोगों पर १०,५०० रुपये खर्च होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : लेकिन इस विवरण में जो ७७,८८३ रु० दिया गया है, उस में से ३५,००० रु० तो पुस्तकों के खरीदने का व्यय है और १०,५०० रु० स्टाफ पर खर्च हुआ है। बाकी बांटने वाला रुपया ३२,३८३ होता है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जब १०,५०० रु० स्टाफ पर खर्च हुआ है तो जो कर्मचारी हैं वह और भी काम करते थे या सिर्फ यह रुपया बांटने का काम करते थे।

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य को ऐसा अनुभव करना चाहिये कि यह कार्य बहुत बड़ा है । ये सभी पुस्तकें सभी प्रादेशिक भाषाओं में लिखी गई हैं। किसी समय इस बात के विषय में भी निर्णय करना होगा कि क्या इन पुस्तकों का हिन्दी अथवा अंग्रेजी म अनवाद करना है । इसीलिये कर्मचारियों के लिये इतना अधिक धन रखा गया है ।

सेठ गोविन्द दास : लोकप्रिय साहित्य का निर्णय करने के सम्बन्ध में किन्हीं गैर-सरकारी संस्थाओं से भी राय मांगी जाती है ? और यदि मांगी जाती है तो वे कौन सी संस्थायें हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस उद्देश्य के लिये एक लोक साहित्य समिति स्थापित की गयी थी जिसमें चार तो सरकारी सदस्य थे—

क्षा, सामुदायिक, परियोजना, प्रशासन, वित्त और सूचना और प्रसारण विभागों से एक एक सदस्य, तथा तीन गैर-सरकारी सदस्य, जिनके नाम वहां पर हैं। इस समिति ने राज्य सरकारों के परामर्श से, विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के लिये पुनर्विलोचकों की सूची का संवरण किया है । । पुनर्विलोचकों का पंचाट इस समिति द्वारा पुष्ट किया गया और पारितोषिक दिये गये ।

अपंग व्यक्तियों की उन्नति

***२२१५. श्री सी० आर० अय्युण्णि :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० हेलेन कैलर यह देखने के लिये भारत आई हैं कि अंधों और अपंग व्यक्तियों की उन्नति के लिये कौन से साधन अपनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार के निमंत्रण पर आई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) मिस कैलर इस देश में सांस्कृतिक दौरे पर आई हैं ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : उन्हीं ने किस-किस स्थान पर दौरा किया है ?

डा० एम० एम० दास : अभी तक उन्हों ने नई दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, बंगलौर, उटाकमंड, मैसूर, कलकत्ता और श्रीनगर का दौरा किया है ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : क्या उन्होंने अन्धों की हालत को सुधारने के लिये अपनाये जाने वाले साधनों के बारे में कोई प्रतिवेदन दिया है ?

डा० एम० एम० दास : नहीं, श्रीमान् । वह कोई प्रतिवेदन नहीं देंगी । उन के दौरे का यह प्रयोजन नहीं है ।

मकान का किराया और प्रतिकर भता

***२२१९. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४१ की जन गणना के आधार पर मकान के किराये और प्रतिकर भत्ते के

लिये किये गये शहरों के श्रेणीकरण १९५१ के जन गणना प्रतिवेदन के अनुसार कोई रूप-भेद किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जबलपुर को किस श्रेणी में रखा गया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान्। जहां आवश्यक था उसका पुनरीक्षण और उसमें रूपभेद किये गये ह ।

(ख) 'ग' श्रेणी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : बंगलौर को किस श्रेणी में रखा गया है ?

श्री एम० सी० शाह : बंगलौर 'ख' श्रेणी में है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या उन शहरों को 'ग' श्रेणी में नहीं रखा गया है जिनकी जन संख्या एक लाख या इससे अधिक थी क्योंकि वह १,१५,००० से अधिक न थी ?

श्री एम० सी० शाह : नहीं । 'ग श्रेणी में सम्मिलित करने के लिये १,१५,००० जन संख्या की सीमा १९५१ की जनगणना के पश्चात् निश्चित की गई थी ।

संयुक्त राष्ट्रों द्वारा टैक्निकल सहायता

*२२२१. **श्री बी० के० दास** : क्या वित्त मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से संयुक्त राष्ट्रों का टेकनीकल सहायता का विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ हुआ है भारत ने उसमें कितना वित्तीय अंशदान दिया है ;

(ख) अब तक इस कार्य क्रम के अन्तर्गत टैक्नीशनों, और प्रशिक्षण सुविधाओं इत्यादि के रूप में भारत को कितनी सहायता मिली है ; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने भारतीय टैक्नीशन दूसरे देशों को भेजे गये और कितने विदेशी भारत में प्रक्षित किये गये ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध सं० ३७]

श्री बी० के० दास : क्या कोई नगद सहायता मिली है?

श्री एम० सी० शाह : नहीं । हमें नगदी सहायता नहीं मिली, सामान मिला था ।

श्री बी० के० दास : विदेशों को भेजे गये उन भारतीय प्रशिक्षणार्थियों के लिये कौन से विशेष विषय चुने गये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : विभिन्न मंत्रालयों ने कई विषयों के सुझाव दिये हैं । मुझे इन विषयों का विवरण मालूम नहीं है ।

श्री बी० के० दास : क्या यह विषय भारतीय विद्यार्थियों को अर्ह बनाने के विचार से चुने गये हैं ताकि उन्हें संयुक्त राष्ट्रों के टैक्नीशनों के स्थान पर रखा जा सके ?

श्री एम० सी० शाह : जी हां, ऐसा ही विचार है ।

श्री एन० एम० लिंगम : योजना में हम जितना अंशदान देते हैं क्या उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्रों के टैक्नीकल सहायता कार्यक्रम से हमें पर्याप्त सहायता मिलती है ?

श्री एम० सी० शाह : हां, श्रीमान् । साधारणतः हम २,५०,००० डालर से ४,००,००० डालर तक अंशदान देते रहे हैं और हमें दस लाख डालर प्रत्येक वर्ष तक सहायता मिलती रही है ।

श्री बी० के० दास : भारतीय टैक्नीशन किन-किन देशों को भेजे गये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास यह जानकारी नहीं है । इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

सोना

* २२२३. **श्री एन० राचय्या** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के चीतलद्रुग जिला में स्वर्ण निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों से उपलब्ध होने वाले सोने की मात्रा का क्या अनुमान है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) पता चला है कि चीतलद्रुग के निम्नलिखित स्थानों में सोना पाया गया है :

(१) हलेकल, देवगिर के पूर्व में ।

(२) होनेमारडी (जगलूर के दक्षिण पूर्व में) ।

(३) रोटेमारेडी तथा गोनुर (चीतल द्रुग के उत्तर पूर्व में) ।

(४) बोडीमारेडी, जवनगोंडनहाली, रमनहाली, अज्जनहाली, अन्नेसिंद्री और डिंडीवाड़ा ।

(ख) इन निक्षेपों में उपलब्ध सोने की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया है ।

श्री एन० राचय्या : सर्वेक्षण पर कितना खर्च आया है ।

श्री के० डी० मालवीय : सोने के सर्वेक्षण का अलग लेखा नहीं रखा गया है । यह संगठन सारे सर्वेक्षण कार्यक्रम के लिये है और वे इसी कार्यक्रम के अनुसार काम करते हैं ।

श्री एन० राचय्या : क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में कच्चा तांबा भी पाया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

गवेषणा छात्रवृत्तियां

*२२२४. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में भौतिक विज्ञान में गवेषणा करने के लिये छात्रवृतियां दी गईं ;

(ख) उन लोगों की संख्या क्या है जो गवेषणा को पूरा करने के पश्चात् नौकरी करने के लिये पाकिस्तान चले गये ; और

(ग) क्या ऐसे गवेषणा छात्रों से जो पाकिस्तान चले गये कोई कार्यवाही वह राशि वापिस लेने के लिये की गई जो सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में दी थी ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा दो छात्रवृत्तियां दी गईं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बहादुर सिंह : श्रीमान्, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में के भौतिक विज्ञान के एक प्राध्यापक डा० नकवी, जो कि छात्रों में से एक थे, और जिन्हें राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में छात्रवृत्ति दी गई थी, मार्च के अन्तिम सप्ताह में पाकिस्तान चले गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य ने जिस व्यक्ति की ओर निर्देश किया है मैं उसके बारे में नहीं जानता । पर १९५४ में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में दो छात्रवृत्तियां दी गई थीं और उन दोनों में से कोई व्यक्ति बाहर नहीं गया है । बड़ौदा विश्वविद्यालय में से तीन और विद्यार्थी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में काम करने के लिये चुने गये थे पर वे बड़ौदा विश्वविद्यालय से छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे थे । यदि उन में से

कोई पाकिस्तान चला गया हो तो हम इस बारे में नहीं जानते। डा० नकवी के बारे में हम कुछ नहीं जानते।

श्री बहादुर सिंह : क्या १९४७ के पश्चात् डा० नकवी छात्रवृत्ति प्राप्त करते रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का सम्बन्ध है यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में दो छात्रों को गवेषणा करने के परिणामस्वरूप कोई गवेषणा की डिग्री दी गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय संग्रहालय

*२२२५. **श्री एन० बी० चौधरी**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का विचार भारतीय संग्रहालय को कलकत्ता से दिल्ली ले आने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। श्रीमान्, मैं यह भी बता दूं कि भारतीय संग्रहालय घर को कलकत्ता से किसी दूसरे शहर में ले जाने का भारत सरकार का कभी विचार नहीं था और न है।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार का ध्यान दैनिक युगान्तर में प्रकाशित एक विस्तृत प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें उल्लिखित है कि शिक्षा मंत्रालय के कुछ सरकारी पदाधिकारी संग्रहालय के स्थानान्तरण की संभावना पर विचार करने के लिये हाल ही में दिल्ली से कलकत्ता गये थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : यह ठीक नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या कलकत्ता के संग्रहालय में प्रदर्शित की जाने वाली कोई वस्तुयें दिल्ली लाई गईं ; यदि हां, तो किस प्रयोजन से और क्या वे लौटाई जायेंगी ?

†**मौलाना आज़ाद** : ‡जी हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य प्रदर्शित की जाने वाली सामान्य वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं या किन्हीं विशेष वस्तुओं के बारे में ?

श्री एस० सी० सामन्त : कुछ वस्तुयें।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी है ?

†**मौलाना आज़ाद** : **इस समय वहां की तीन चीजें सैंट्रल म्यूजियम में हैं।

गेहूं ऋण शिक्षा विनिमय कार्यक्रम

*२२२६. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ पुस्तकाध्यक्षों को गेहूं ऋण शिक्षा विनिमय कार्यक्रम के अन्तगत अमरीका जाने के लिये चुना है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १२ पुस्तकाध्यक्ष अमरीका गये हैं ;

---

†मंत्री महोदय के मूल उत्तर इस प्रकार थे :

‡जी नहीं

**नहीं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जहां तक मुझे मालूम है वहां की कोई चीज़ अब सैन्ट्रल म्यूज़ियम में नहीं है।

(ख) इन पुस्तकाध्यक्षों के नाम निम्नलिखित हैं :

१. सय्यद बशीरुद्दीन
२. श्री के० आर० देसाई
३. श्री नबी अहमद
४. श्री सचिदुलाल दासगुप्त
५. श्री अमर नाथ शर्मा
६. श्री बी० सी० बनर्जी
७. श्री दिनेश चन्द्र सरकार
८. श्री प्रमिल चन्द्र बसु
९. श्री एम० वी० राघवेन्द्र राव
१०. श्री सुब्रामणि रामभद्रण
११. श्री मानक बापुजी वजीफदार
१२. श्री जे० एस० आनन्द

श्रीमान्, मैं यह भी बता दूं कि अन्तिम निर्णय भारत सरकार की सिफारिश पर अमरीका सरकार द्वारा ही किया गया था ।

श्री एस० एन० दांस : उन्हें किन-किन पुस्तकालयों में से भेजा गया है ?

डा० एम० एम० दास : सय्यद बशीरुद्दीन, मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से ; श्री के० आर० देसाई, पुस्तकाध्यक्ष गुजरात विश्वविद्यालय; श्री नबी अहमद, सचिव. जामिया मिलिया पुस्तकालय . . .

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : यह लिस्ट बहुत लम्बी है । मैं समझता हूं कि इसको पढ़ना गैर जरूरी है ।

श्री बी० एन० मिश्र : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि यह चुनाव अमरीका की तरफ से किया गया था । लेकिन पैनल आफ नेम्स तो उन्होंने ही भेजी होगी । तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये नाम जो भेज गये वे प्रान्तवाइज़ भेजे गये थे या पूरे भारत को ले कर भेजे गये थे ?

डा० एम० एम० दास : अमरीका के साथ पुस्तक विनिमय' की एक योजना है । इन संस्थाओं ने उस योजना में भाग लिया था । भारत सरकार ने उन संस्थाओं से नाम मांगे थे जिन्होंने इस योजना में भाग लिया था ।

उड़ीसा में बहुप्रयोजनीय स्कूल

*२२२७. **श्री संगण्णा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य में बहुप्रयोजनीय स्कूल खोलने के लिए बाईस लाख रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि ऐसा है, तो इस बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

मैं यह भी कह दूं कि उड़ीसा सरकार को सूचित कर दिया गया है कि उनकी प्रस्थापना को अन्ततः कहां तक स्वीकार किया जाएगा, और यह कि केन्द्रीय सरकार लगभग २०,२७,००० रुपये का अनुदान देने को तय्यार है । अतः उड़ीसा सरकार द्वारा मांगी गई २२ लाख रुपये की राशि में से केन्द्रीय सरकार २०,२७,००० रुपये देने को तय्यार है । किन्तु अभी तक कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किए गए हैं ।

श्री संगण्णा : उक्त योजना के अन्तर्गत क्या प्रस्थापना है ?

डा० एम० एम० दास : कई एक प्रस्थापनाएं हैं । उड़ीसा सरकार जिस प्रकार के बहुप्रयोजन स्कूल चाहती है उनकी संख्या १३ है ; केन्द्रीय सरकार ने केवल १० का अनुमोदन किया है ; उन पाठ्यक्रमों की संख्या जो वे चाहते हैं और जो हम ने स्वीकृत किए हैं क्रमशः २६ और २० है । शिक्षण को सुविधाएं जो मांगी गई थीं उनकी संख्या

३० थी किन्तु स्वीकृत संख्या ६ है । वर्तमान स्कलों में शिक्षण में सुधार--संख्या जो मांगी गई और स्वीकृत की गई ३० है। स्कूलों के पुस्तकालयों में सुधार के प्रयोजन से मांगी गई संख्या ५३ थी जिस में १३ बहुप्रयोजन स्कूल भी सम्मिलित थे ; इस में से ४० के लिए स्वीकृति दे दी गई है । माध्यमिक स्कूलों में हस्तशिल्प के शिक्षण का जारी किया जाना--मांगी गई तथा स्वीकृत संख्याएं क्रमशः ७५ और ६० हैं । अध्यापकों के शिक्षण के लिए राज्य सरकार ने चार केन्द्रों की मांग की थी । हस्तशिल्पों के शिक्षण के लिए एक केन्द्र की स्वीकृति दी गई है ।

श्री संगण्णा : क्या उड़ीसा सरकार ने अबतक उक्त राज्य में कोई स्कूल स्थापित किए हैं ?

डा० एम० एम० दास : हम ने उन से पूछा था कि क्या वे इस योजना के किसी भाग को गत वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित कर सकेंगे, किन्तु उन्हों ने इस सम्बन्ध में अपनी असमर्थता प्रकट की थी । ऐसा जान पड़ता है कि यह योजना चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित की जाएगी ।

अमरीका से ऋण

*२२२८. **डा० रामा राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका से मिलने वाले ४ करोड़ ५० लाख डालर ऋण में से कितनी राशि "अतिरिक्त कृषि वस्तुओं" की प्राप्ति के लिए काम में लाई जाएगी;

(ख) क्या यह वस्तुएं चालू वर्ष में ले ली जाएंगी ; और

(ग) क्या सरकार उक्त करार की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) २ करोड़ ५० लाख डालर से लेकर ३ करोड़ डालर तक गेहूं और रूई खरीदने के लिए ।

(ख) आशा की जाती है कि सारी मात्रा चालू वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त हो जाएगी ।

(ग) ऋण सम्बन्धी करार की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एस-१२५।५५]

डा० रामा राव : कृषि उत्पादों के मूल्यों के सम्बन्ध में वर्तमान संकट को देखते हुए सरकार ने इस ऋण में से ढाई तीन करोड़ डालर के अमरीकी कृषि उत्पाद खरीदने का निश्चय क्यों किया है ?

श्री एम० सी० शाह : कुछ गेहूं की आवश्यकता अनुभव की गई थी और इस लिए भारत सरकार ने इसे खरीदना मन्जूर कर लिया ।

डा० रामा राव : : मैं ने यह विवरण जल्दी में पढ़ा है, अतः मैं प्रदर्श 'ए' तथा प्रदर्श 'बी-२' के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । प्रदर्श 'ए' के पैरा ३ में लिखा है कि मूलधन के अशोधित शेष पर ४ प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा किन्तु प्रदर्श 'बी-२' में यह उल्लिखित है कि ब्याज की दर तीन प्रतिशत होगी । क्या मैं इस अन्तर का कारण जान सकता हूं ?

श्री एम० सी० शाह : यदि पुनरशोधन डालरों के रूप में होगा तो तीन प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा और यदि रुपयों में होगा तो ४ प्रतिशत ।

डा० रामा राव : क्या इस करार की एक शर्त यह भी है कि हमें वह वस्तुएं बेचनी होंगी जिनका अमरीका संग्रह करना चाहता है, अर्थात युद्ध सामग्री ? उदाहरणतया क्या हम ने यूरेनियम तथा अन्य अणु सम्बन्धी वस्तुओं को बेचना मन्जूर किया है या हमें यह अधिकार होगा कि ऐसी वस्तुओं को बेचने से इन्कार कर सकें ?

श्री एम० सी० शाह : इस का इस प्रश्न मे कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रश्न ऋण के करार के अन्तर्गत खरीदी जाने वाली वस्तुओं के बारे में है ।

श्री के० के० बसु : अमरीका से आयात किए गए गेहूं और रूई के मूल्य, ऋण सम्बन्धी व्यय को सम्मिलित करते हुए, और भारतीय बाज़ार के वर्तमान मूल्य में क्या अन्तर है ?

श्री एम० सी० शाह : मुझे इस अन्तर का हिसाब लगाने के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

शिल्पिक प्रशिक्षण कालेज

*२२२९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जल्लहाली के शिल्पिक प्रशिक्षण कालेज में कुल कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) कालेज में किन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण की कालावधि क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ७६ ।

(ख) कालेज प्रशिक्षण देता है :

(१) भारतीय वायु बल की शिल्पिक शाखा के पदाधिकारियों को ;

(२) कुछ शिल्पिक व्यवसायों के शिशिक्षुओं के शिल्पिक पदाधिकारियों और शिशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण की कालावधि क्रमशः ६६ सप्ताह और ४ वर्ष है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या कोई ऐसा प्रतिबंध है कि पदाधिकारियों को अमुक काल तक सेवा करनी चाहिये तब इन्हें प्रशिक्षण में लिया जा सकता है ?

सरदार मजीठिया : ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है । जिन पदाधिकारियों ने शिल्पिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है उन्हें भारतीय वायु बल में से चुन लिया जाता है और इस शाखा में वायु सैनिकों को भी आयोग प्राप्त करने का अवसर मिलता है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या भारतीय वायु बल के पदाधिकारियों को विदेशों में भी प्रशिक्षण मिलता है ?

सरदार मजीठिया : पहले उन्हें भेजा जाता था परन्तु अब केवल उन मामलों में विदेश में प्रशिक्षण दिया जाता है जहां ऐसी विशेष शाखा की आवश्यकता हो जिस का प्रशिक्षण हम नहीं दे सकते ।

श्री के० सी० सोधिया : ऐसी कितनी शाखायें हैं जिन के लिए भारत में प्रशिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं ?

सरदार मजीठिया : बहुत कम–संभवतः एक या दो ।

बुनियादी तालीम गवेषणा केन्द्र

*२२३४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुनियादी तालीम का एक गवेषणा केन्द्र वर्धा में स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदी हां, तो उस के स्थापित होने की कब तक सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) भारत सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में मालूम नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अफगानिस्तान को पुरातत्व सम्बंधी शिष्टमंडल

*२२३५. **श्री एस० एन० दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा समिति की सिफ़ारिश के अनुसार अफगानिस्तान में मूर्तियों इत्यादि के अन्वेषण और खोज के कार्य के लिए एक पुरातत्व सम्बन्धी शिष्टमंडल संगठित करने और वहां भेजने के लिए कोई निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल के वहां कब जाने की आशा है ; और

(ग) इस दल का गठन किस प्रकार होगा और उस में कितने सदस्य होंगे तथा कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विशेष प्रश्न के सम्बन्ध में भारत सरकार का यह विचार है कि सर्वप्रथम इस बात का स्पष्ट पता होना चाहिये कि इस शिष्टमंडल का कार्यक्रम क्या होगा, इसे अफगानिस्तान में किन-किन स्थानों पर जाना होगा और उन स्थानों के सम्बन्ध में पहले उपलब्ध जानकारी क्या है । शिष्टमंडल का उद्देश्य ऐसे स्थानों पर कार्य करना होना चाहिये जिस से भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़े । इस समय यह सब जानकारी एकत्र की जा रही है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस विषय में अफगानिस्तान सरकार से परामर्श किया गया है और क्या वह सरकार इस प्रस्थापना से सहमत है ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान में स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं । बहुत संभव है कि अफगानिस्तान सरकार से परामर्श किया गया है ।

तस्कर व्यापार

*२२३६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल सीमा पर १९५४ में कुल कितने मूल्य का चोरी छिपे लाया और ले जाया गया माल पकड़ा गया था ;

(ख) उपरोक्त कालावधि में कितने तस्कर व्यापारियों को गिरिफतार किया गया था और दंड दिया गया था ; और

(ग) किस प्रकार का माल चोरी छिपे लाया और ले जाया गया ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ३८]

श्री विभूति मिश्र : स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि २४,४०० रुपये की लागत के स्मगल्ड गुड्स पकड़े गये हैं और फिर स्टेटमेंट के पार्ट बी में मंत्री जी लिखते हैं कि वर्ष १९५४ में किसी त कर व्यापारी को पकड़ा अथवा दंडित नहीं किया गया था, वरन् केवल विभागीय कार्यवाही की गई थी, यह बात समझ में नहीं आती है कि चोर भी नहीं पकड़े गये, उनको सज़ा भी नहीं हुई और २४,४०० रुपये का सामान पकड़ा गया, तो यह कौन सा डिपार्टमेंट्ल ऐक्शन लिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि प्रासीक्यूशन नहीं हुआ लेकिन डिपार्टमेंटल ऐक्शन लिया गया ।

श्री विभूति मिश्र : अगर कोई पकड़ा नहीं गया तो यह इतना सामान कैसे मिला ?

अध्यक्ष महोदय : आप ज़रा स्टेटमेंट को पढिये ।

श्री ए० सी० गुह : मैं स्पष्ट कर दूं, हो सकता है कि किसी व्यक्ति को पकड़ा न गया हो या उस पर अभियोग न चलाया गया हो वरन् माल जब्त कर लिया गया हो ।

श्री विभूति मिश्र: जिससे सामान पकड़ा गया उसको सज़ा नहीं दी गयी तो इससे तो स्मगलिंग और बढ़ने की आशंका है ?

विदेशी साथों को रायल्टी (स्वामिस्व)

*२२३७. **श्री इब्राहीम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने १९५४ में ऐसी कुल कितनी औद्योगिक योजनाओं की मंजूरी दी है जिन में भारतीय साथों को शिल्पिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी साथों को रायल्टी (स्वामिस्व) देने पडेंगे ; और

(ख) उपरोक्त कालावधि में कुल कितनी रायल्टी (स्वामिस्व) राशि दी गई ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) सरकार ने वर्ष १९५४ में ३९ औद्योगिक योजनाएं मंजूर की थीं जिन में भारतीय साथों को शिल्पिक जानकारी प्राप्त करने के लिये विदेशी साथों को रायल्टी (स्वामिस्व) देने पडेंगे ।

(ख) ४४.६० लाख रुपये की राशि दी गई जिस में निस्संदेह वे भुगतान भी हैं जो पहले वर्षों में किये गये प्रबंधों के सम्बंध में है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार औद्योगिक योजनाओं की मंजूरी देते हुए रायल्टी (स्वामिस्व) की मात्रा और उनकी मंजूरी की कालावधि के वर्षों की भली प्रकार जांच करती है ?

श्री एम० सी० शाह : हां, श्रीमान् ।

आगा खां को पेंशन

*२२३८. **डा० राम सुभग सिंह** : : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगा खां ने वह मासिक अनुदान लेना बन्द कर दिया है जो १९४४ से उनके परिवार को दिया जाता था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने यह राशि लेना कब से बन्द की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) १ जनवरी, १९५४ से ।

डा० राम सुभग सिंह : उस मासिक अनुदान की राशि क्या है और इस तिथि से पूर्व यह अनुदान किस प्रयोजन से दिया जाता था और क्या उस समय या उस से पूर्व उसे कोई भूमि अनुदान भी दिया जाता था ।

श्री दातार : ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रति की गई सेवा का ध्यान रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने १९४४ में यह अनुदान दिया था । वर्तमान हिज़ हाईनेस दो आगा खां के जीवन के पूर्व ही यह राशि कम कर के १००० रुपया कर दी गई थी। परन्तु वस्तुतः आगा खां को आय-कर और अति-कर घटा कर शुद्ध १०० रुपये ही दिये जाते थे ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या १९४४ में या किसी और समय इस परिवार को कोई भूमि भी अनुदान रूप में दी गई थी और यदि हां तो क्या उन्होंने उस भूमि को भी वापस कर दिया है ?

श्री दातार : मुझे किसी भूमि के अनुदान का पता नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मंत्री इस सम्बन्ध में पूछ ताछ करेंगे ?

श्री दातार : जी हां, मैं पूछ ताछ करूंगा ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या आगा खां को १००० रुपया दिया जाना अनावश्यक और अनुचित नहीं समझा गया था जबकि उसे पर्याप्त सोने और हीरों में तोला जाता है ?

पूंजीगत विषयों सम्बंधी मंत्रणा समिति

*२२३९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में पूंजीगत विषयों सम्बन्धी मंत्रणा समिति की कितनी बैठकें हुईं ; और

(ख) इसी कालावधि में कितने मामलों में इसकी सिफारिशें नहीं मानी गईं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) चार ।

(ख) कोई नहीं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या समिति में केवल सरकारी कर्मचारी हैं अथवा उस में कोई लोक प्रतिनिधि भी हैं ?

श्री एम० सी० शाह : ये लोग श्री ए० रामस्वामी मुदलियार—गैर सरकारी, श्री निजलिंगप्पा संसद सदस्य श्री पी० डी० नंजे, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रतिनिधि, वाणिज्य मंडलों की संथा कलकत्ता के श्री जी० ए० एस० सिम, और अखिल भारतीय निर्माणकर्ता संथा के श्री बी० डी० सोमानी सब गैर सरकारी लोग हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : मंत्री ने बताया है कि कोई बैठक नहीं हुई । तब समिति ने कार्य कैसे किया ?

श्री एम० सी० शाह : मैंने यह कब कहा था कि कोई बैठक नहीं हुई ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि चार बैठकें हुई थीं ।

श्री के० सी० सोधिया : उन्होंने पूंजीगत विषयों के नियंत्रक को क्या सिफारिशें की थीं ?

श्री एम० सी० शाह : वे मंत्रणा दे सकते हैं और जो कोई मामला उनके पास भेजा जाता है वे उस पर विचार करते हैं और सिफ़ारिशें करते हैं । उन्होंने लगभग २४ विषयों पर विचार किया था ।

दिल्ली के कालेज

*२२४०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कालेजों को किस आधार पर १३ लाख रुपया का अनुदान दिया गया है ; और

(ख) इन अनुदानों से विद्यार्थियों को कितनी सुविधायें दी जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) भारत सरकार ने दिल्ली में कालेजों को १३ लाख रुपये का अनुदान किसी साल नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो इस साल की रिपोर्ट में दिया गया है कि दिल्ली कालेज को ३ लाख रुपये देने के लिये रखा गया है, उसका विवरण क्या है ?

डा० एम० एम० दास : दिल्ली कालेज को या दिल्ली के कालेजों को ?

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली में एक दिल्ली कालेज है, उसके लिये रिपोर्ट में लिखा है कि ३ लाख रुपया दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि उसका विवरण क्या है ।

डा० एम० एम० दास : सवाल यह है कि दिल्ली के कालेजों के लिये १३ लाख रुपया दिया गया है ।

जहां तक इस विशेष दिल्ली कालिज का सम्बन्ध है यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय अजमेरी गेट के पास के कालिज से है मेरा निवेदन है कि दिल्ली कालिज को एक वर्ष में कभी भी तीन लाख रुपया नहीं

मिला था । १९५३-५४ में केन्द्रीय सरकार ने १,१२,३९७ रुपये दिये थे और गत वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में इस कालिज को १,००, ७३८ रुपये दिये गये थ न कि ३ लाख रुपये ।

भारत में गोआ के लोगों का पूंजी विनियोजन

*२२४१. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के लोग भारत में अधिकाधिक विनियोजन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) तथा (ख). सरकार को सिवाय उस जानकारी के जो भारत के विदेशी दायित्व और आस्तियों की गणना के बारे में भारत के रक्षित बैंक के प्रतिवेदन में दी गई हैं और कोई जानकारी नहीं है । प्रतिवेदन की एक प्रति सभा के पुस्तकालय में है । उस प्रतिवेदन में ३० जून, १९४८ को भारत में पुर्तगाली भारत की विनियोजन की स्थिति दी गई है । रक्षित बैंक भारत की विदेशी दायित्वों और आस्तियों की एक और संगणना कर रहा है जिसके तैयार होने पर १९५३ के अन्त तक की स्थिति का पता लगेगा । आशा है कि बैंक का प्रतिवेदन अगले मास प्रकाशित हो जायगा ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को पता लगा है कि पूंजी लगाने के बहाने से कुछ मामलों में धन स्थानान्तरित किया गया है जिस द्वारा पुर्तगालियों का गोआ पर शासन करने का उद्देश्य स्थायी हो गया है ?

श्री ए० सी० गुह : प्रश्न गोआ द्वारा भारत में लगाई गई पूंजी के बारे में है । अतः भारतीय पूंजी को गोआ में स्थानान्तरित करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

अन्दमान द्वीप समूहों के लिये जहाज़

*२२४२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह के तटीय यातायात को विकसित करने तथा वहां की तस्कर कार्यवाही को रोकने के लिये सरकार वहां अधिक जहाज भेजने का प्रबन्ध करने के लिये विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार कितने अधिक जहाज वहां भेजेगी ; और

(ग) प्रबन्ध किस तारीख तक किये जाने की आशा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). हां । अंतर द्वीप सर्विस के लिये एक पुराना जहाज खरीदने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है । द्वीप तट पर गश्त लगाने के लिये दो बड़ी नावों के खरीदने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

(ग) अंतर द्वीप सर्विस के लिये जहाज़ खरीदने को, चीफ कमिश्नर से कहा गया है कि शीघ्र ही वह डाइरेक्टर जनरल, सपलाई और डिसपोजल के सामने इनकी मांग सूची रखे । अभी निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब कोई योग्य जहाज़ हमें मिलेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : पुराने जहाज़ खरीदने का निश्चय क्यों किया गया, और जब यह मांग रखी गई है डाइरेक्टर जनरल आफ सिविल सप्लाईज के यहां कि वे उसे और दो जहाज़ों को खरीदें तो कब तक इन जहाज़ों के खरीदे जाने की संभावना है ?

श्री दातार : जहां तक इन तीन जहाज़ों का सम्बन्ध है गत वर्ष एक निश्चय किया गया था और व राशियां इस वर्ष के आय-व्ययक में सम्मिलित कर ली गई हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : पुराने जहाजों को खरीदने का निश्चय क्यों किया गया ।

श्री दातार : एक नये भाप के जहाज का मूल्य ३० लाख रुपये होगा इसलिये सरकार ने यह विचार किया कि यदि हमें एक पुराना जहाज लगभग ५ लाख रुपये में मिल सके तो उसको खरीद कर देखना चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मद्रास से अन्दमान तक स्टीमर चलाने के कोई प्रबन्ध किये गये हैं और यदि हां तो इस प्रबन्ध के अनुसार पहला स्टीमर कब चलता है ?

श्री दातार : जहां तक मुझे पता ह सरकार के पास ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या में जान सकता हूं कि छोटे-छोटे लान्चों के लिये भी कोई इन्तजाम किया गया है ?

श्री दातार : स रकार उस प्रश्न पर भी विचार कर रही है ।

श्री भागवत झा आजाद : कलकत्ता या मद्रास के इन जहाजों के अतिरिक्त उत्तर अन्दमान और दक्षिण अन्दमान और मध्य अन्दमान के बीच संचार के क्या पबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्री दातार : श्री सामन्त द्वारा रखे गये प्रश्न का ठीक यही अभिप्राय है । सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि द्वीपों के बीच लांच चलाये जा सकते हैं अथवा नहीं ।

टेकनीकल शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद्

*२२४३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेकनीकल शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद् की सिफारिश पर खोली जाने वाली प्रत्येक संस्था में कितने व्यक्ति औद्योगिक, इंजीनियरिंग तथा प्रशासन में प्रशिक्षित किये जायेंगे; और

(ख) प्रशिक्षार्थियों को क्या-क्या सुविधायें दी जायंगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). मांगी गई सूचना का एक विवरण सभा के सामने रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ३९]

श्री नवल प्रभाकर : जैसा कि विवरण से ज्ञात होता है कि हर ऐसी संस्था में दस दस छात्र लिये जायंगे तो क्या मैं जान सकता हूं कि इंस्टिटयूट आफ टेक्नोलोजी खडगपुर में सात ही छात्र क्यों लिये गये ?

डा० एम० एम० दास : खडगपुर की भारतीय टेक्नोलोजी संस्था में औद्योगिक इंजिनियरिंग का केवल एक पाठ्यक्रम खोला गया है और गत सत्र में यह पाठ्यक्रम केवल सात छात्रों द्वारा आरम्भ किया गया था ।

श्री नवल प्रभाकर : जब इन में दस लेने की बात थी तो सात ही क्यों लिये गये और क्या कारण था कि तीन और नहीं लिये जा सके ?

डा० एम० एम० दास: हम ने विवरण में बताया है कि हो सकता है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में दस छात्र हों । योजना अभी पूरे रूप से तैयार नहीं हुई और इन योजनाओं को पूरा करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

सरदार ए० एस० सहगल : किस-किस जगह पर कोर्स शुरू करने का इंतजाम किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक इन औद्योगिक इंजीनियरिंग और औद्योगिक प्रशासकीय पाठ्यक्रमों का सम्बन्ध है तीन संस्थाओं को चुना गया है । एक खड़गपुर की भारतीय टेक्नोलोजी संस्था है दूसरी

बंगलौर की भारतीय विज्ञान संस्था है और तीसरी बम्बई की विक्टोरिया टेक्निकल जूबली संस्था है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इन संस्थाओं के लिये जब चुनाव किया जाता है तो उसका आधार क्या होता है ।

डा० एम० एम० दास : संभवत: संस्था में एक ही चुनाव समिति है जो उम्मीदवारों का चुनाव करती है ।

श्री नवल प्रभाकर : मेरे प्रश्न के क के उत्तर में जो विवरण दिया गया है उसमें और जो उत्तर मेरे प्रश्न के भाग ख का दिया गया है उसमें भी मंत्री महोदय ने बतलाया है कि विद्यार्थियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सब सुविधायें दी जायेंगी । वह आवश्यक सुविधायें क्या हैं, मैं उनका विवरण जानना चाहता हूं ।

डा० एम० एम० दास : एक शिक्षा संस्था में विद्यार्थियों को सब लाभ और सब सुविधायें दी जाती हैं । यदि उम्मीदवार शुल्क देते हों तो सभी सुविधायें दी जाती हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शिक्षा की अनुशासन-व-आध्यात्मिक पद्धति

*२२०९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल भोंसले की शिक्षा की अनुशासन-व-आध्यात्मिक पद्धति योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) इस योजना के प्रति शिक्षा विशारदों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) शिक्षा की अनुशासन-व आध्यात्मिक पद्धति योजना जैसी कोई योजना नहीं है, परन्तु शायद माननीय सदस्य स्कूलों में अनुशासन सुधारने की जनरल भोंसले की योजना का उल्लेख कर रहे हैं । माननीय सदस्य का ध्यान २३ सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १३०० के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ख) हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और फिर इस विषय का सम्बन्ध राज्यों से है ।

अस्पृश्यता

*२२१६. **डा० सत्यवादी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश को वर्तमान वर्ष में अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में कुल कितनी राशि दी गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य १९५४-५५ में स्वीकृत राशि के बारे में जानकारी चाहते हैं । प्रत्येक राज्य के लिये निम्नांकित राशियां स्वीकृत की गई थीं :

पंजाब	९१,००० रुपये
पेप्सू	३७,००० रुपये
हिमाचल प्रदेश	१,००,००० रुपये

त्रिपुरा राज्य लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

*२२१७. **श्री बीरेन दत्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में लोक निर्माण विभाग को सौंपे गये काम को चलाने के लिये कर्मचारियों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में खुले विज्ञापन्न निकाल कर

भरती करने के लिये कार्यवाही की जा रही है, और भाग क राज्यों से अस्थायी तौर पर काम चलाने के लिये पदाधिकारी मांगे जा रहे हैं ।

सरकारी सेवा में भतपूर्व देशी नरेश

*२२१८. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के विलय के समय भारत सरकार ने बहुत से भूत-पूर्व देशी नरेशों और उन के लड़कों को केन्द्रीय सरकारी सेवा में ले लिया था ;

(ख) यदि हां, तो सेवा में लिये गये व्यक्तियों की संख्या ; और

(ग) क्या उन को संघीय लोक सेवा आयोग के अधिकार से मुक्त किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) आई० एफ० एस० में सात ।
आई० ए० एस० में तीन ।
आई० पी० एस० में एक ।

(अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी)

(ग) आई० एफ० एस० के लिये चुनाव मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के विशेष चुनाव बोर्ड द्वारा किया गया था । इस बोर्ड द्वारा किये गये चुनाव एक विशेष अधिसूचना द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से मुक्त कर दिये गये थे। आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेष आपात भरती बोर्ड द्वारा किये गये थे । संघीय लोक सेवा आयोग के सभापति ही इस बोर्ड के सभापति थे ।

पाकिस्तान में पूंजी विनियोजन

*२२२०. **श्री तुलसीदास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक और व्यापारिक उपक्रमों द्वारा पाकिस्तान में अलग-अलग किया गया कुल विनियोजन ;

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा इसके लिय कोई अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). सामान्यतः पाकिस्तान समेत सभी विदेशों में व्यापारिक, बैंकिंग या बीमा सम्बन्धी उपक्रमों की शाखाओं के खोलने के अतिरिक्त पूंजी विनियोजन की अनुमति नहीं दी जाती । इन सब मामलों में विदेश में विनियोजन के लिये भारत सरकार की मंजूरी अपेक्षित होती है और प्रत्यक मामले पर गुण-दोषानुसार विचार किया जाता है ।

सोवियत रूस से सहायता

*२२२२. **श्री आर० पी० गर्ग :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सोवियत रूस द्वारा भारत सरकार को कुछ वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या सरकार ने इसे स्वीकार करने का निश्चय किया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

भूतपूर्व देशी नरेशों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध

*२२३०. **श्रीमती मायदेव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों की विदेश यात्राओं की संख्या पर कुछ प्रतिबन्ध लगा रखा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : ऐसे कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं हैं, जो नरेशों पर ही लागू होते हों ।

सेवाओं का पुनःसंगठन

*२२३२. **श्री ए० आर० सेवल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के राज्यों के एकीकरण के बाद सेवाओं को पुनर्गठित करने के लिये एक विशेष-कार्य-पदाधिकारी भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपना प्रतिवेदन भेज दिया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बीमा समवाय

*२२३३. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल बीमा कम्पनी के प्रबन्धकों को व्यय के लिए कितना अनुपात दिया जाता है ; और

(ख) यह सीमा किस उद्देश्य से निश्चित की गई थी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जीवन और साधारण बीमा कम्पनियों के प्रबन्धकों के सम्बन्ध में व्यय की सीमायें, जो बीमा अधिनियम की धारा ४०ख(२) और ४०ग(१) के अन्तर्गत अपेक्षित हैं, बीमा नियम, १९३९ के नियम १७ घ और १७ ङ में विहित की गई हैं ।

(ख) ये सीमायें इसलिये निश्चित की जाती हैं, जिससे बीमा करने वाले बचत-हीन प्रबन्ध में पैसा बरबाद न कर दें और पालिसी लेने वालों के हितों को हानि पहुंचायें ।

हैदराबाद करेंसी

७७९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद में इस समय कितने हाली सिक्के सक्रिय परिचालन में हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : हाली सिक्का १ अप्रैल, १९५५ से चलनसार नहीं रहा । ऐसे कुल हाली सिक्कों का मूल्य, जो अभी वापस नहीं किये गये और जो सम्भवतः जन साधारण के पास रह गये होंगे, १ अप्रैल, १९५५ को ६.४९ करोड़ रुपये था । हाली सिक्के को भारतीय मुद्रा में बदलवाने की सुविधायें ३१ मार्च, १९५६ तक जारी रहेंगी ।

भूतत्वीय परिमाप

७८०. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का भूतत्वीय परिमाप १९५५-५६ में जम्मू तथा काश्मीर, नैपाल, भूटान, सिक्कम और अन्दमान का परिमाप करना चाहता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है

(ग) इन परिमापों में कितना समय लगाया जायेगा ; और

(घ) कितने और कौन-कौन स्थानों का पारमाप किया जायेगा ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ४०]**

चोरी छिपे माल ले जाना

७८१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ मार्च, १९५५ तक के समय में भारत पाकिस्तान सीमा पर चोरी छपे माल ले जाने वाले कितने व्यक्ति मारे गये बताये जाते हैं ;

(ख) इस प्रकार पकड़े गये माल का कुल मूल्य कितना है ; और

(ग) किस प्रकार का और कितना माल पकड़ा गया ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) से (ग). मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

जीवन बीमा समवाय

७८२. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से अब तक भारत की कितनी और कौन-कौन सी जीवन बीमा कम्पनियां प्रशासन के लिये सरकार ने ले ली हैं ;

(ख) इन प्रशासकों और उनके कर्मचारियों को भत्ते समेत कितना मासिक वेतन मिलता है ; और

(ग) क्या किसी प्रशासक ने नियंत्रक के पास कोई प्रतिवेदन या योजना भेजी है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ४१]**

(ग) जी हां। चार को छोड़ कर अन्य कम्पनियों के बारे में प्रशासकों से प्रतिवेदन मिले हैं। साधारणतः यही सिफारिशें की गई हैं कि कारोबार दूसरे बीमा करने वालों को हस्तांतरित कर दिया जाये या विशिष्ट बीमा करने वाली कम्पनी को समाप्त कर दिया जाये।

रेशम-कृमिपालन विज्ञान

७८३. **श्री केशवैयंगार** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ऐसी कोई शिक्षा-सम्बन्धी संस्था है, जो सामान्य शिक्षा के साथ-साथ रेशम-कृमिपालन विषयी बातें सिखाती हो ; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थित है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और बाद में लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

गृह-कार्य मंत्रियों का सम्मेलन

७८४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ६ और ७ जनवरी, १९५५ को हुये गृह-कार्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग "ग" राज्यों के मंत्रियों को आमंत्रित न करने अथवा उन से परामर्श न लेने के कारण क्या थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : भाग "क" और "ख" राज्यों से भिन्न भाग "ग" राज्यों में शान्ति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व भारत सरकार का है, इसलिये भाग

भाग "ग" राज्यों के गृह-कार्य मंत्रियों को गृह-कार्य मंत्रियों के सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था।

पंजाब को ऋण और अनुदान

७८५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न कार्यों के लिये योजना की कालावधि में पंजाब सरकार को अब तक ऋणों और अनुदानों के रूप में कितनी सहायता दी गई है :

(१) छोटे पैमाने के उद्योग ;
(२) हथकरघा उद्योग ;
(३) नीलगाय ;
(४) छोटे-मोटे बांध ;
(५) सड़क ;
(६) पुल ;
(७) विशेष प्रशिक्षण ; और

(ख) उक्त कार्यों में अब तक क्य प्रगति हुई है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मजदूर संघ

७८६. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा विभाग के कारखानों में किन-किन राजनीतिक दलों ने मजदूर संघों का संगठन किया ह ; और

(ख) सम्बन्धित राजनीतिक दलों से उनका सम्बन्ध बताते हुये, मजदूर संघों के नाम और उनके सदस्यों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) डिफेंस फैक्टरियों की अधिकतर ट्रेड यूनियन आल इंडिया डिफेन्स एम्पलायीज़ फैड्रेशन के साथ सम्बन्धित हैं जो कि इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा और ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संम्मिलित प्रयत्न से खड़ी की गई है।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४२**]

सरकारी कर्मचारी

७८७. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९५४ के दौरान केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी, मंत्रालय-वार, निलम्बित किये गये थे ;

(ख) उन्हें औसतन कितनी अवधि के लिये निलम्बित किया गया था ;

(ग) क्या निलम्बन के बारे में किसी मामले में नियमों के दुरुपयोग की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई थी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ख). जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है और इसको एकत्र करने में अधिक श्रम और समय लगाना पड़ेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय सचिवालय

७८८. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९५४ के दौरान केन्द्रीय सचिवालय से कितनी फाइलें गुम होने के बारे में रिपोर्ट हुई थी ;

(ख) उन में से कितनी बाद में पाई गईं और कितनों के बारे में अन्त म यह कहा गया कि वह गुम हुई हैं ; और

(ग) जिन व्यक्तियों पर उन के संभाले जाने का उत्तरदायित्व था उन के साथ क्या कार्यवाही की गई और इन फाइलों से सम्बद्ध मंत्रालयों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). इस समय तक उपलब्ध जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४३]**

एम० ई० एस० सम्पत्ति की चोरी

७८९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री कलकत्ता के प्रेज़िडेंसी मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में १९५३ के अभियोग संख्या सी ८३०, सरकार बनाम (१) वी० बी० कपूर तथा (२) मोहन सिंह के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर एम० ई० एस० के दो सब डिवीजनल अधिकारियों द्वारा कथित चुराई गई अथवा दुर्विनियोग की गई सम्पत्ति का मूल्य क्या था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : कथित चुराई गइ अथवा दुर्विनियोग की गई सम्पत्ति का मूल्य पुलिस में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, दस से पन्द्रह लाख रुपये तक था ।

त्रिपुरा राज्य लोक निर्माण विभाग का कर्मचारी वर्ग

७९०. **श्री बीरेन दत्त** : क्या गृह-काय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा राज्य के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन क्रम क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : त्रिपुरा राज्य के कर्मचारियों के वेतन क्रम का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४४]**

स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास

७९१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास" के सम्पादक मंडल की अब तक कितनी बैठकें हुईं ; और

(ख) इन बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का प्रतिशत क्या है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) पत्रों के परिचालन द्वारा तीन बैठकों को छोड़कर नौ बैठकें ।

(ख) पत्रों के परिचालन द्वारा बैठकों को छोड़ कर, उनकी उपस्थिति के आंकड़ इस प्रकार हैं :

	प्रतिशत
(१) डा० सैयद महमूद (सभापति)	८९
(२) डा० आर० सी० मजूमदार	१००
(३) श्री बलवन्त राय जी० मेहता	१००
(४) श्री डी० वी० पोद्दार	१००
(५) प्रो० एम० हबीब	५६
(६) डा० एस० एन० सेन	८९
(७) लाला फिरोज़ चंद	१००
(८) प्रो० के० ए० नीलकंठ शास्त्री	५६
(९) आचार्य नरेंद्रदेव	११
(१०) श्री एस० एम० घोष (सदस्य सचिव)	१००

आतिथ्य भत्ता

७९२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मंत्री द्वारा अपने आतिथ्य भत्ते का कोई हिसाब रखा जाता है ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि मंत्रिगण आतिथ्य भत्ते की पूरी धन-राशि प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वे उस निर्धारित कालावधि में उस धन-राशि का पूरा उपयोग न भी करें ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). मंत्रियों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम १९५२ की धारा ५ के अधीन तथा उसी के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों और संसद्-कार्य के मंत्री को यह अधिकार दिया गया है कि वे आतिथ्य भत्ते के रूप में ५०० रुपये प्रति मास प्राप्त कर सकते हैं और सूचना और प्रसारण मंत्री तथा रक्षा संगठन मंत्री व्यय सम्बन्धी भत्ते के रूप में २५० रुपया प्रति मास प्राप्त कर सकते हैं । मंत्रिगण यह भत्ता प्रायः अपने वेतन के साथ ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें इस भत्ते का हिसाब नहीं रखना पड़ता । इस भत्ते की राशि इस आधार पर निश्चित की गई है कि एक मंत्री के मनोरंजन पर औसतन प्रति मास कितना खर्च आता है । भत्ता दिये जाने के उपरान्त यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता कि उस निर्धारित कालावधि में उस राशि को बचाया गया है अथवा खर्च किया गया है ।

हैदराबाद को ऋण तथा अनुदान

७९३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद सरकार ने, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कालावधि में हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद नगरपालिका निगमों के लिये ऋण तथा अनुदान के रूप में, कितनी राशि मांगी थी; तथा

(ख) किस-किस तिथि को कितनी-कितनी धन-राशि दी गई थी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). केवल हैदराबाद नगरपालिका निगम की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हैदराबाद सरकार के लिए निम्नलिखित दो ऋण मंजूर किये गये हैं :

(१) नगर की नालियों के पानी का उपयोग उठाने से सम्बन्ध रखने वाली योजना के लिये राज्य को जो धन की आवश्यकता थी उसके लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने ऋण के रूप में २.७५ लाख रुपये मंजूर किये हैं ; यह ऋण पहले २-१२-१९५२ को मंजूर किया गया था, परन्तु क्योंकि इस धन को उसी वित्तीय वर्ष में प्रयुक्त नहीं किया गया था, अतः १२-६-१९५३ को इसे फिर से मंजूर करना पड़ा था ; तथा

(२) १९५४–५५ में हैदराबाद राज्य के शहरी-क्षेत्रों में जल संभरण से सम्बन्ध रखने वाली पांच योजनाओं को मंजूर किया गया था, जिनके लिये ऋण सहायता के रूप में ३० लाख रुपये मंजूर किये गये हैं, जब कि ऐसी आशा है कि इन योजनाओं पर पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों में लगभग ३१.५५ लाख रुपया खर्च आयेगा । इन में से एक योजना का सम्बन्ध हैदराबाद नगर जल-संभरण के पुनर्निर्माण से है, और ऐसी आशा है कि इस पर लगभग १४ लाख रुपया खर्च आयेगा । ३ जनवरी, १९५५ को ७.५ लाख रुपये अग्रिम धन के रूप में (जो कि मंजूर हुई राशि का २५ प्रतिशत है) राज्य सरकार को प्रदान किये गये थे ; हैदराबाद सरकार ने इस अग्रिम धन में से

२.५ लाख रुपया हैदराबाद नगरपालिका के लिये रक्षित कर दिये हैं ।

रक्षा विभाग के कर्मचारियों की मांगें

७९४. **श्री गिडवानी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रक्षा उप-मंत्री ने ६ मार्च, १९५५ को कानपुर के विभाग के श्रमिकों को आश्वासन दिया था कि उनकी उचित मांगों को शीघ्र ही पूरा किया जायेगा ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्य-वाही की गई है ; तथा

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्य-वाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) रक्षा उप मंत्री श्री सतीश चन्द्र ६ माच, १९५५ को कानपूर में वैज्ञानिक श्रमिक संघ (भार-तीय अध्यादेश सेवा) के प्रतिनिधियों से मिले थे, और उन्हें बताया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जायेगा ।

(ख) तथा (ग). श्रमिकों की मांगों पर सरकार बड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है ।

एम्पायर आफ इंडिया जीवन बीमा समवाय, मर्यादित

७९५. **श्री बासप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतानं की कृपा करेंगे कि :

(क) एम्पायर आफ इंडिया जावन बीमा कम्पनी, मर्यादित के मामलों का प्रबन्ध करने के लिये एक प्रशासक कब और क्यों नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या उसने अपना प्रतिवेदन भेज दिया है और यदि नहीं भेजा है तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) प्रशासक के प्रबन्ध काल में १९५३ के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई ; तथा

(घ) इस कम्पनी का प्रशासन, निदेशकों के एक नये बोर्ड को कब तक सौंपा जायेगा ?

राजस्व और असैनिक व्यय मत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) प्रशासक ११ जुलाई, १९५१ को नियुक्त किया गया था । प्रशासक नियुक्त करने की आवश्यकता इस-लिये अनुभव हुई थी कि बीमा कर्ता लोग जीवन बीमा पॉलिसी धारण करने वालों के प्रति विपरीत प्रभावपूर्ण व्यवहार करने लगे थे ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । प्रशासक ने अपना प्रतिवेदन अभी भेजा नहीं है, क्योंकि कम्पनी के भूतपूर्व निदेशकों के विरुद्ध कुछ एक दण्डिक तथा व्यवहार मामले न्यायालयों में चल रहे हैं ।

(ग) सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है क्योंकि उसे विश्वास है कि प्रशासक, प्रतिवेदन की ऐसी बातों के सम्बन्ध में आवश्यक कायवाही कर रहा है जिन के विषय में कार्यवाही करनी चाहिये ।

घ) इस प्रश्न पर उसी समय विचार किया जायेगा जब कि प्रशासक, बीमा अधि-नियम की धारा ५२ख(१) के अधीन अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ।

नामकूम सानक डेरी फार्म

७९६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रांची गोशाला से कोई ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन गौओं से प्राप्त होने वाले दूध के विषय में आंकड़े दिये गये हैं, जिन्हें नामकूम सनिक डेरी फार्म ने अमितव्ययी कह कर अस्वीकृत कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उन आंकड़ों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या, प्रतिवेदन में लिखे गये तथ्यों को दृष्टि में रखते हुये इन गौओं को अमितव्ययी समझा जा सकता है ; तथा

(घ) डेरी फार्म के पशुओं को किस आधार पर अमितव्ययी घोषित कर दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) केवल एक गाय के १६ अप्रैल से २१ मई १९५४ तक दूध देने के सम्बन्ध में मई १९५४ में जानकारी प्राप्त हुई है। उसके पश्चात् कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) १५ अप्रैल, १९५४ को चार गौएं रांची गौशाला, रांची को दी गई थीं। गौशाला ने ऐसा प्रतिवेदन दिया है कि उन में से एक गाय प्रति दिन १२ से १४ पौंड दूध देती है। प्राप्त होने वाले दूध के सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण जो कि गौशाला से प्राप्त हुआ था, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ४५]**

(ग) तथा (घ). केवल एक गाय द्वारा दिये गये दूध के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और वह भी केवल ३६ दिन की। किसी गाय के बारे में केवल इतनी सी जानकारी के आधार पर कोई ऐसा मत देना संभव नहीं है कि वह गऊ लाभदायक थी या नहीं। तो भी केवल प्राप्त दूध की मात्रा ही ऐसा आधार नहीं है जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई पशु आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है या नहीं। गौओं को बेचते समय इन के दूध की मात्रा, इनकी अवस्था, स्वास्थ्य, भविष्यत् आर्थिक उपयोगिता, गर्भाधान की स्थिति, बछड़ों सम्बन्धी रिकार्ड, शुष्क कालावधि, और शालिहोत्रि सम्बन्धी रिकार्ड इन सभी बातों पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाता है। उपरोक्त पशुओं सम्बन्धी अभिलेख तथा वे कारण बताने वाला एक विवरण, कि उन्हें क्यों आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी घोषित कर दिया गया था, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४५]** वे तत्व जिनके आधार पर किसी पशु को आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी घोषित किया जाता है, सम्बद्ध विवरण में दिये हुये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ४५]**

मानचित्रों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

७९७. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार ने रक्षा मंत्रालय के कहने पर बड़े पैमाने वाले किन किन मानचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाया है ;

(ख) इन प्रतिबन्धित मानचित्रों को किन शर्तों पर संभरित किया जाता है ; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने के उद्देश्य से मांगे गये बड़े पैमाने वाले प्रतिबन्धित मानचित्रों के संभरण के सम्बन्ध में इनकार कर दिया गया था ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) भारत परिमाप द्वारा प्रकाशित हुये मानचित्रों के विक्रय, प्रकाशन तथा वितरण पर प्रतिबन्ध भारत सरकार ने लगाया है, राज्य सरकार ने नहीं। भारत सरकार ने कुछ विशेष प्रकार के मानचित्रों को 'नियंत्रित' घोषित कर दिया है। ऐसे नियंत्रित मानचित्रों के ब्योरे प्रकट करना जनहित में नहीं है।

(ख) (१) उन मानचित्रों को गुप्त रखा जाना होता है और इसे प्राप्त करने वाले को इसे संभाल कर रखने के विषय में पूरी सावधानी बरतनी होती है।

(२) उन मानचित्रों को फोटोग्राफी अथवा किसी और उपाय

से पूर्णरूपेण अथवा अंश रूप में छापना मना है;

(iii) यदि उन में से कोई मानचित्र खो जाये तो उसके विषय में सेना मुख्यालय के सेना-गुप्तचर विभाग के निदेशक के पास तुरन्त रिपोर्ट पहुंचनी चाहिये।

(iv) प्रायः ये मानचित्र उस पदाधिकारी को, जिसने वे दिये थे, उसी समय वापिस लौटा दिये जाते हैं, जब कि निर्धारित अवधि बीत चुकी हो, अथवा जब उसकी और आवश्यकता न हो—इन दोनों में से जो भी समय पहले हो, उसी समय वापिस लौटा दिये जाते हैं। यदि उससे भी पहले मांग लिये जायें तो उसी समय वापिस लौटाने होते हैं।

(ग) राज्य सरकारों को ऐसे अधिकार सौंपे गये हैं कि वे अपने राज्यों के रहने वाले व्यक्तियों से प्रमाणिक कार्यों के लिये इन नियंत्रित मानचित्रों के लिये आने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकृत करें अथवा अस्वीकृत कर दें। भारत सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार ने इस विषय में कभी इनकार किया हो।

सीमा शुल्क

७९८. **श्रीमती सुषमा सेन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में ऐंटी बायोटिक दवाइयों के आयात पर प्राप्त होने वाले सीमा शुल्क में से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ; तथा

(ख) १९५४–५५ में एक्स-रे फिल्मों और शल्य चिकित्सा सम्बन्धी सामान के आयात पर कुल कितना सीमा शुल्क प्राप्त हुआ है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) ऐंटी बायोटिक दवाइयों के आयात पर लगाये गये सीमा शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व के सम्बन्ध में आंकड़े केवल अप्रैल, १९५४ से जनवरी, १९५५ तक के प्राप्त हैं और वे निम्न लिखि हैं :

	रुपये
पैंसिलीन .	२६,९१,८६१
अन्य ऐंटी बायोटिक औषधियां जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीन, ग्रामीसीडीन, टाइरोसीडीन, और टाइरोथ्रीसीन .	३६,४२,२५४
कुल योग .	६३,३४,११५

(ख) उसी काल में शल्य चिकित्सा सम्बन्धी सामान पर लगाये गये सीमा शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व लगभग ११ लाख रुपये है। एक्स-रे फिल्मों के आयात पर लगाये गये सीमा शुल्क के विषय में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

अनुसूचित आदिमजातियों का सुधार

७९९. **श्री एन. राचय्या :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ के दौरान में अनुसूचित जातियों के सुधार के लिये मैसूर राज्य को दी गई राशि किन किन परियोजनाओं पर खर्च की गई थी ; तथा

(ख) इन परियोजनाओं पर अभी तक कुल कितना खर्च आ चुका है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक स्कूल

८००. **श्री बालकृष्णन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन मद्रास राज्य में कितने औद्योगिक स्कूल खोले गये हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सोने का चोरी छिपे लाया जाना

८०१. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ के दौरान में चोरी छिपे गोआ से सोना लाते हुये कितने व्यक्ति पकड़े गये ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : गोआ से भारत में चोरी छिपे सोना लाने के अपराध में १९५३-५४ में २० व्यक्ति पकड़े गये ।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

*८०२. **श्री अमर सिंह डामर**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य भारत राज्य को चालू वर्ष में (१) भूतपूर्व आपराधिक आदिम-जातियों; (२) अनुसूचित जातियों; (३) अनुसूचित आदिमजातियों और (४) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कोई अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार नियत की गई कुल राशि क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). मध्य भारत सरकार को १९५४-५५ के लिये निम्नलिखित अनुदान की स्वीकृति दी गई थी :

	रुपये (लाखों में)
(१) भूतपूर्व आपराधिक आदिम जातियों के कल्याण के लिये	०.४१
(२) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये (छुतछात को दूर करने के लिये)	३.००
(३) अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये	८.००
(४) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये	१.१०
जोड़	१२.५१

१९५५-५६ के लिये अनुदान का निर्णय शीघ्र ही होने वाला है ।

दिल्ली में मोटर गाड़ियों आदि की दुर्घटनाएं

८०३. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में दिल्ली में मोटर गाड़ियों आदि की कुल कितनी दुर्घटनायें हुई थीं ;

(ख) उन में से कितनी घातक सिद्ध हुईं ; तथा

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की रोक थाम के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १०५४

(ख) ७६

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबंध संख्या ४६**]

गांधी महापुराण

८०४. **श्री संगण्णा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बरहमपुर (उड़ीसा) के एक लेखक ने अठारह भागों में गांधी महापुराण प्रकाशित करने के लिये वित्तीय सहायता के लिये सरकार से प्रार्थना की है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

तम्बाकू

८०५. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत राज्य में १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क लगाने से सरकार को कुल कितनी आय हुई ; और

(ख) इस शुल्क को एकत्रित करने के लिये उस क्षेत्र में प्रशासन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : भाग (क) और (ख). उपलब्ध सूचना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४७**]

भारत में विदेशी

८०६. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान लागू होने के समय भारत में कितने विदेशी रहते थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : भारतीय संविधान के लागू होते समय, भारत में विदेशी राष्ट्र जनों की ठीक ठीक संख्या हमारे पास नहीं है परन्तु ३१–१२–४९ को भारत में रजिस्टर्ड विदेशियों की संख्या ४५,६६१ थी ।

मध्य भारत में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

८०७. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासन सम्बंधी सुविधा की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालय मध्य भारत में खोले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे कार्यालय कौन कौन से हैं और वे कहां कहां पर स्थित हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). मांगे हुये समाचार एकत्रित किये जा रहे हैं और कुछ ही समय में सभापटल पर रख दिये जायेंगे ।

लोक
वाद विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड ३, १९५५)

(२ से २१ अप्रैल, १९५५)

1st Lok Sabha

(Session IX)

सत्यमेव जयते

Preservation Date 3-4-97
Fumigated On 11.4.83
Parliament Library

नवम सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ३, संख्या ३१ से ४५—२ अप्रैल से २१ अप्रैल, १९५५ तक)

संख्या ३१—शनिवार, २ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांग—	३१०१—५४
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	३१०१—५४
मांग संख्या ६३—प्रसारण	३१०१—५४
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३१०१—५४
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३१०१—५४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३१५३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
परिचालन का प्रस्ताव—स्वीकृत .	३१५३—६९
श्री भागवत झा आजाद . .	३१५३—५५
श्री रघुवीर सहाय . .	३१५५—५७
श्री मूल चन्द दुबे . . .	३१५७
श्री राघवाचारी . . .	३१५८—५९
श्री अच्युतन	३१५९—६०
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . .	३१६०—६१
श्री वी० जी० देशपांडे	३१६१—६३
श्री दातार	३१६३—६९
श्री यू० सी० पटनायक	३१६९
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . .	३१७०—३२०४
सेठ गोविन्द दास	३१७०—७४, ३२०१—०२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३१७५—९५
श्री एन० सी० चटर्जी	३१९५—९७
श्री जवाहरलाल नेहरू	३१९७—३२०१

संख्या ३२—सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
बाढ़ नियंत्रण उपायों की प्रगति के बारे में विवरण . . .	३२०५
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना .	३२०५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३२०५—३२०६
सभा का कार्य	३२०६

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	३२०६—३३०२
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६३—प्रसारण . . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३२४५—३३०२
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३२४५—३३०२
भारतीय ढोर परिरक्षिण विधेयक—	
मत-विभाजन के अंकों में शुद्धि . . .	३७५
संख्या ३३—मंगलवार, ५ अप्रेल १९५५	
पटल पर रखे गय पत्र—	
प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के अधीन अधिसूचना इत्यादि	३३०३
सभा का कार्य—	३३०४—३३०५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . .	३३०५
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३३०५—३०
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें .	३३०५—३०
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय .	३३२९—३४०५
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बन्ध तथा जल-निस्सारण कार्य (राजस्व से देय)	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६७—बहु-योजनीय नदी योजनायें .	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२७—बहु-योजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३३२९—३४०४

संख्या ३४—बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	३४०५
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम-बोर्ड	३४०५—३४०७
सभा का कार्य—	३४०७—३४०८
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३४०८—३५१८
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बंध तथा जल निस्सारण कार्य (राजस्व से देय) .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६७—बहु प्रयोजनीय नदी योजना . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२७—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५४—जनगणना. . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समह .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५७—कच्छ . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४२९—३५१८
मांग संख्या १२५—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३४२९—३५१८

संख्या ३५—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
अन्तर्राज्यिक व्यापार पर बिक्री कर	३५१९—३५२२
पटल पर रखा गया पत्र—	
बलात् श्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अभिसमय (संख्या २९) का अनुसमर्थन	३५२२

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३५२३—३६२२
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल	३५२३—३५९९
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५४—जनगणना	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५७—कच्छ	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५२३—३५९८
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या २—उद्योग	३५९९—३६२२
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५९९—३६२२
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३५९९—३६२२

संख्या ३६—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण ३६२३

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३६२४—३६४१

श्री डाभी . . . . . ३६२४—३६२५

श्री तुलसीदास . . . . ३६२५—३६२७

श्री के० सी० सोधिया . . . . ३६२७—३६२९

श्री बंसल . . . . . ३६२९—३६३१

श्रीमती जयश्री . . . . ३६३१—३६३२

श्री टेक चन्द . . . . ३६३२—३६३३

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी . . . ३६३३—३६३४

श्री ए० सी० गुहा . . . . ३६३४—३६४१

खंड २ से १४ . . . . . ३६४२—३६७४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . ३६७४—३६७५

राजनैतिक पेंशनों के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . ३६७५—३७२०

बाटों और नाप के बारे में संकल्प—असमाप्त . . ३७२०—३७२४

संख्या ३७— सोमवार, ११ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३७२५
पटल पर रखे गये पत्र—	
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या १६३ और १६४, दिनांक १८-१२-५४ और संख्या २८, दिनांक २६-२-५५ .	३७२५—३७२६
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	३७२६
गणपूर्ति के बारे में प्रथा	३७२६—३७२७
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३७२७—३८०५
श्री जवाहरलाल नेहरू	३७२८—३७४२
श्री ए० के० गोपालन	३७४३—३७४७
श्री फ्रेंक ऐंथनी	३७४७—३७५०
श्री टी० के० चौधरी	३७५०—३७५२
श्री एन० पी० नथवानी	३७५२—३७५४
डा० कृष्णस्वामी	३७५४—३७५६
श्री एम० पी० मिश्र	३७५६—३७६२
श्री एन० सी० चटर्जी	३७६३—३७६९
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३७६९—३७७१
श्री जयपाल सिंह	३७७१—३७७४
श्री बी० पी० सिंह	३७७४—३६८१
श्री ए स० वी० रामस्वामी . . .	३७८१—३७८४
स्वामी रामानन्द तीर्थ	३७८४—३७८९
श्री जी० डी० सोमानी . . .	३७८९—३७९२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	३७९२—३७९६
श्री आर० डी० मिश्र	३७९६—३८०४
श्री वेंकटरामन्	३८०४—३८०५

संख्या ३८—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
डा० लोहिया तथा अन्य व्यक्तियों की इम्फाल में गिरफ्तारी .	३८०७
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . . .	३८०८
प्रधान सेनापति (पदनाम में परिवर्तन) विधेयक—पुरःस्थापित .	३८०८
औद्योगिक तथा राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३८०८—३८०९

	स्तम्भ
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८०९—३८२३
श्री वेंकटारमन . . .	३८१४—३८१७
पंडित जी० बी० पन्त	३८१७—३८२२
खड १ से ५	३८२३—३८७२
संशोधित रूपमें पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८७२—३८८८
श्री एच० एन० मुकर्जी	३८७२—३८७५
श्री वी० जी० देशपांडे	३८७५—३८७८
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३८७८—३८७९
श्री जवाहरलाल नेहरू	३८७९—३८८८
संख्या ३९—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
गोलपाड़ा से बंगला-भाषी लोगों का निष्क्रमण . .	३८८९—३८९२
पटल पर रखे गये पत्र—	
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५१-५२ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ और उस का वाणिज्यिक परिशिष्ट . . .	३८९२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दक्षिण-चीन-सागर में इंडियन-एयर-लाइन्स-कांस्टेलेशन का गिर जाना .	३८९२—३८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या २—उद्योग	३८९५—३९६४
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३८९५—३९६४
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३८९५—३९६४
संख्या ४०— शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५	
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	३९६५—४०२४
मांग संख्या २—उद्योग . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३९६५—३९८५
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय . .	३९८७—४०२४

	स्तम्भ
मांग संख्या २६—सीमा शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर .	३९८७—४०२४
मांग संख्या २९—अफीम	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३३—चलमुद्रा . . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३४—टकसाल	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३९८७—४०२४
मांग संख्या ४०—विभाजन पूर्व के भुगतान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११५—चलमुद्रा पर पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन .	३९८७—४०२४
जाति भेद उन्मूलन विधेयक—	
विचार करने, परिचालित करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४०२४—४०७६
डा० एम० एम० दास . . .	४०२४—४०२७
श्री डाभी	४०२७—४०३१
श्री एन० बी० चौधरी . . .	४०३२—४०३३
श्रीमती ए० काले . . .	४०३३—४०३४
श्री एन० राचय्या . . .	४०३४—४०३६
श्री केशवैयंगार . .	४०३६—४०३७
श्री साधन गुप्त	४०३७—४०३९
श्री एस० सी० सामन्त . .	४०३९
श्री जांगड़े	४०३९—४०४२
डा० सुरेश चन्द्र . . .	४०४३

	स्तम्भ
श्री राम दास . . .	४०४३—४०४४
श्री एस० सी० सिंघल	४०४४—४०४७
श्री वाल्मीकि	४०४७—४०५४
श्री भक्त दर्शन	४०५४—४०५७
सरदार हुक्म सिंह	४०५७—४०५९
श्री नवल प्रभाकर	४०५९—४०६१
श्री एन० सोमना . . .	४०६१—४०६२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . .	४०६२—४०६७
पंडित एस० सी० मिश्र . .	४०६७—४०६८
सरदार ए० एस० सहगल .	४०६८—४०७०
श्री वीरस्वामी . . .	४०७०—४०७२
श्री आर० के० चौधरी . .	४०७२—४०७४
श्री जी० एल० चौधरी .	४०७४—४०७६
राज्य-सभा से सन्देश . .	४०७६
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूपमें पटल पर रखा गया .	४०७६

संख्या ४१—शनिवार, १६ अप्रैल १९५५

भारत का राज्य बैंक विधेयक—पुरःस्थापित .	४०७७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	४०७८
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय .	४०७८, ४१५०, ४१७३, ४१७४
मांग संख्या २६—सीमा-शुल्क .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	४०७८—४१५०
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा-शुल्क सहित आय पर कर .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २९—अफीम .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३३—चल मुद्रा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३४—टकसाल . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	४०७८—४१५०

स्तम्भ

मांग संख्या ४०—विभाजन-पूर्व के भुगतान . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११५—चल-मुद्रा पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन ४०७८—४१५०
मांग संख्या १६—शिक्षा मंत्रालय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १७—पुरातत्व . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १८—अन्य वैज्ञानिक विभाग . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १९—शिक्षा . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या २०—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ११२—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७४—विधि मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७५—न्याय व्यवस्था . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ८४—संसद-कार्य विभाग . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९३—परिवहन मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९४—पत्तन तथा पोत-मार्ग प्रदर्शन . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९५—प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाश-पोत . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९६—केन्द्रीय सड़क निधि . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९७—संचार (राष्ट्रीय राज-पथों सहित) . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९८—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३३—पत्तनों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३४—सड़कों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३५—परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०४—संसद . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०५—संसद सचिवालय के अधीन विविध व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०६—उपराष्ट्रपति का सचिवालय . . . ४१७३—४१७४

वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—पारित ४१४९—४१५१

श्री एम० सी० शाह . . . ४१४९—४१५१

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त . . ४१५१—४१७३
खंड १४ . . . . . ४१५१—४१७३

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित . ४१७५—४१७६

संख्या ४२—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५४ (भाग १) . .	४१७७
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	४१७७—४१७८
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक— . . .	४१७८—४१८३
खंड १४ से १७ और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४१७८—४१८३
पंडित ठाकुर दास भार्गव	४१८३—४१९२
श्री आर० के० चौधरी	४१८३—४१८७
पंडित एस० सी० मिश्र	४१८७—४१८८
श्री ए० सी० गुहा	४१८८—४१९२
विनियोग (संख्या २) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४१९२—४१९८
डा० लंका सुन्दरम्	४१९३—४१९५
श्री सी० डी० देशमुख	४१९५—४१९७
पारित	४१९८
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४१९८—४२६६
श्री सी० डी० देशमुख	४१९८—४२१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	४२१९—४२२३
श्रीमती मायदेव	४२२४—४२२६
श्री के० के० बसु	४२२६—४२३१
श्री यू० सी० पटनायक	४२३१—४२३२
पंडित एस० सी० मिश्र . . .	४२३२—४२३४
श्री एस० सी० सामन्त	४२३४—४२३६
श्री के० एल० मोरे	४२३६—४२३९
श्री एन० सी० चटर्जी . .	४२३९—४२४४
श्री वाई० एम० मुक्णे . .	४२४४—४२४६
श्री बंसल	४२४६—४२४९
श्री नेवटिया	४२४९—४२५०
श्री जी० डी० सोमानी	४२५१—४२५३
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	४२५३—४२६६

संख्या ४३—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

वित्त विधेयक-याचिका उपस्थापित	४२६७
वित्त विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त . .	४२६७

	स्तम्भ
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४२६७—४२७१
श्री विमला प्रसाद चालिहा	४२७१—४२७५
श्री बासप्पा	४२७५—४२७८
श्री एन० बी० चौधरी	४२७८—४२८१
श्री तुलसीदास	४२८१—४२८५
डा० कृष्णस्वामी	४२८५—४२८८
श्री रघुनाथ सिंह	४२८८—४२९४
श्री विश्वनाथ रेड्डी	४२९४—४२९७
श्री रिशांग किशिंग	४२९७—४३००
श्री जजवाड़े	४३००—४३०८
पंडित के० सी० शर्मा	४३०८—४३११
बाबू राम नारायण सिंह	४३११—४३१६
श्री मात्तन	४३१६—४३१८
श्रीमती सुषमा सेन	४३१८—४३२०
श्रीमती इला पालचौधरी	४३२०—४३२३
श्री बोगावत	४३२३—४३२५
श्री थानू पिल्ले	४३२५—४३२७
श्री वी० जी० देशपांडे	४३२८—४३३४
श्री डी० डी० पन्त	४३३४—४३३६
श्री ईश्वर रेड्डी	४३३६—४३३८
श्री टी० सुब्रह्मण्यम्	४३३८—४३४०
श्री एम० आर० कृष्ण	४३४०—४३४१
श्री शिवनजप्पा	४३४१—४३४४
श्री डी० सी० शर्मा	४३४४

संख्या ४४— बुधवार, २० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ४३४५—४३४६

सभा का कार्य— ४३४६—४३५०

समय-नियतन का आदेश ४३५०—४३५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अठाट्इसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ४३५१

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४३५१—४३८०

श्री डी० सी० शर्मा ४३५१—४३५४

श्री टंडन ४३५४—४३६२

श्री एम० सी० शाह ४३६२—४३८०

खंड २ से ३० ४३८०—४५८६

संख्या २५— गुरुवार, २१ अप्रैल, १९५५

श्री डी० डी० पन्त का निधन ४५८७—४५९०

लोक सभा

गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११—५२ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

गोलपाडा से बंगला भाषी लोगों का निष्क्रमण

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसका विषय यह है कि बंगला भाषी लोगों के गोलपाड़ा (आसाम) से कूच बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के अन्य जिलों में भारी संख्या में जाने से उत्पन्न हुई स्थिति, जो कि गोलपाड़ा जिले में बंगला भाषी लोगों के दमन और सेना के बुलाये जाने के कारण पैदा हुई है ।

मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है ।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त): इस मामले से मुझे और मेरे अन्य सहयोगियों को बड़ी परेशानी हुई है । मैं उन सदस्यों की भावनाओं से, जिन्होंने इस प्रस्ताव की सूचना दी है सहमत हूं । मुझे आशा है कि वहां शान्तिपूर्ण वातावरण स्थापित कर दिया जायेगा जिससे राज्य पुनर्गठन आयोग इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर उचित रूपसे विचार कर सकेगा । मुझे गोलपाड़ा की घटनाओं से बहुत दुःख हुआ है । राज्य की सरकार उत्तेजना का अन्त करने का शक्ति भर प्रयत्न कर रही है ।

नवीनतम जानकारी मेरे पास नहीं है । इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है । किन्तु यदि और जानकारी प्राप्त हुई, तो मैं इसे सदन के सामने रखूंगा । राज्य सरकार ने दार्जिलिंग में सेना से प्रार्थना की थी । एक सैनिक पदाधिकारी को असैनिक प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने और आवश्यक सहायता देने के लिये भेजा गया था । सेना की दो कम्पनियां सिलीगुड़ी में तैयार रखी गई थीं । उनमें से एक और जगह चली गई है । किन्तु नवीनतम जानकारी के अनुसार वहां सेना को प्रयोग करने का अवसर उत्पन्न नहीं हुआ । उसके वहां पहुंचने से लोगों में विश्वास पैदा हो गया है और संभवतः अब साधारण स्थिति कायम हो चुकी है ।

मुझे खेद है कि देश के किसी भाग में ऐसी घटनायें हुई हैं । किन्तु मैं इस बात की आड़ नहीं लेना चाहता कि यह राज्य सरकार का मामला है, क्योंकि भारत में जो कुछ होता है, उसका सम्बन्ध सभी से होता है ।

[पंडित जी० बी० पन्त]

किन्तु संवैधानिक दृष्टि से यह मामला यहां नहीं उठाया जा सकता । घटनाओं से पहले ही मैं स्वयं मुख्य मंत्री के संपर्क में था और मैंने उन राज्यों की सरकारों को लिखा था जहां उत्तेजना पाई जाती थी । कल मुझे श्री एन० सी० चटर्जी का पत्र मिला था । वास्तव में इस पत्र के मिलने के पहले ही मैं मुख्य मंत्री को लिख चुका था । पत्र मिलने के बाद मैंने फिर उन्हें लिखा । व्यक्तिगत रूप से जो कुछ मुझसे हो सकता है, मैं करने के लिये तैयार हूं । और मुझे इन घटनाओं से बहुत दुःख हुआ है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : क्या सैनिक चले गये हैं या -वहीं पर हैं ?

पंडित जी० बी० पन्त : मेरी जानकारी यह थी कि दो कम्पनियों को सिलीगुड़ी में रहने के लिये कहा गया था । उनमें से एक गोलपाड़ा चली गई थी । और इसका अच्छा प्रभाव पड़ा था । यदि और जानकारी चाहिये, तो मैं जांच करूंगा ।

श्री टी० के० चौधरी (बहरमपुर) : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि चूंकि आसाम से पश्चिमी बंगाल से आने वाले अधिकांश व्यक्ति विस्थापित लोग हैं जो पूर्वी पाकिस्तान से आये थे, इसलिये इन लोगों को सहायता देने के लिये पश्चिमी बंगाल की सरकार को पूरी मदद दी जायेगी ।

पंडित जी० बी० पन्त : मैं राज्य सरकार को सब प्रकार की उचित सहायता देना चाहूंगा ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : कलकत्ता के तथा अन्य समाचारपत्रों में पुलिस के कुछ व्यक्तियों पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है । मैं गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि सब तथ्यों की जांच के बाद एक विस्तृत वक्तव्य दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि जानकारी प्राप्त होने पर इस सदन के सामने रखी जायेगी । अब स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रही । हमें इस वक्तव्य की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

पटल पर रखे गये पत्र

विनियोग लेखे (असैनिक) १९५१-५२ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ और उसका वाणिज्यिक परिशिष्ट

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री **ए० सी० गुह**) : संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) विनियोग लेखे (असैनिक) १९५१-५२ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५३ । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस–११६/५५**)

(२) विनियोग लेखे (असैनिक) १९५१–५२ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५३ । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस–११७/५५**]

अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दक्षिण चीन सागर में इंडियन एयर-लाइन्स कांस्टेलेशन का गिर जाना

श्री एस० एस० गुरुपदस्वामी (मैसूर): नियम २१६ के अन्तर्गत मैं संचार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में, एक वक्तव्य दें :

"११ अप्रैल १९५५ को सारावाक सागर में इंडियन एयर लाइन्स के एक कांस्टेलेशन का गिर जाना"

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खेद है कि ११ अप्रैल, १९५५ को लगभग २-५५ आई० एस० टी० पर एयर इंडिया इंटरनेशनल का कांस्टेलेशन विमान वी-टी-डी०ई०पी० हांगकांग से जकार्टा को चार्टर उड़ान पर जाते हुए दक्षिण चीन सागर में गिर गया था। चार्टर का प्रबन्ध एयर इंडिया इंटरनेशनल के हांगकांग कार्यालय ने किया था। विमान में ८ चालकों के अतिरिक्त ११ यात्री थे, जिनमें से तीन चीनी प्रतिनिधि दल के सदस्य थे जो बांडुंग-सम्मेलन में जा रहे थे। पांच चीनी पत्रकार, एक विएटनाम के प्रतिनिधि दल का सदस्य और एक आस्ट्रेलियन और एक पौलैंड का पत्रकार भी था।

नवीनतम जानकारी के अनुसार, तीन आदमी जीवित बचे हैं। इन के नाम ये हैं : श्री एम० सी० दीक्षित, को-पाइलट, श्री जे० सी० पाठक फ्लाइट नेविगेटर और श्री एम० एल० कार्तिक विमान संधारण इंजीनियर इन तीनों को चोटें आई हैं और इन्हें डाक्टरी सहायता दी जा रही है। मुझे अभी एक रिपोर्ट मिली है कि तीन लाशें मिली हैं जिनमें से दो चालकों की हैं।

विमान हांगकांग से जकार्टा की ९–५६ आई० एस० टी० पर चला था और इस को वहां ५-४५ आई० एस० टी० पर पहुंचना था। रास्ते में विमान ने १-४५ पर और २-४५ पर अपनी स्थिति के बारे में साधारण रेडियो संदेश भेजे थे। २-५५ पर जकार्टा में विमान से संकट संदेश सुनाई दिया था और इसके बाद में विमान से कोई संपर्क नहीं रहा। संकट का संदेश प्राप्त होने के बाद वायु और सामुद्रिक बचाव के उपाय शुरू कर दिये गये थे।

गिरने का स्थान सारावाक की राजधानी कूचिंग से लगभग १०० मील उत्तर-पश्चिम की ओर है।

भारत सरकार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के सम्बन्धियों के साथ और सम्बन्धित लोगों तथा सरकारों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट करती है। दुर्घटना के कारणों की पूरी जांच की जायेगी। चूंकि विमान का टूटा ढांचा जांच से लाभप्रद होगा इसलिये इसे समुद्र में से निकालने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन अभिसमय के अनुसार औद्योगिक जांच न्यायालय उस सरकार द्वारा स्थापित की जा सकती है, जिसकी प्रादेशिक सीमाओं में दुर्घटना हुई हो। यदि दुर्घटना समुद्र में हुई हो, तो उस देश की सरकार जिस में विमान रजिस्टर किया गया है एक औपचारिक जांच न्यायालय नियुक्त कर सकती है। न्यायालय स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार जांच में पूरा सहयोग देगी। इस बीच निकटवर्ती देशों के सहयोग से बचाव के लिये सब आवश्यक पग उठाये गये हैं। जिन लोगों ने सहायता दी है, सरकार उन्हें बहुत धन्यवाद देती है।

दुर्घटना की सूचना मिलने पर एयर इंडिया इंटरनेशनल का एक उच्च पदाधिकारी तुरन्त दुर्घटना स्थल के लिये रवाना हो गया था। असैनिक उड्डयन विभाग के दो पदाधिकारी प्रारम्भिक जांच के हेतु कल रवाना हो जायेंगे।

श्री टी० के० चौधरी (बहरमपुर) : चीनी समाचार समिति ने दुर्घटना का कारण तोड़ फोड़ बताया है, क्या सरकार को इस के बारे में कुछ कहना है ?

अध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षित करने की सूचना के अनुसार तथ्य बता दिये गये हैं। सदस्य महोदय का सुझाव ठीक हो सकता है किन्तु अब आगे बढ़ना सरकार का काम है। सरकार कह चुकी है कि वह पूरा सहयोग

[अध्यक्ष महोदय]

देगी और यह मान लिया गया है कि सब आरोपों को ध्यान में रखा जायेगा ।

१९५५-५६ के लिए अनुदानों की मांगे

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के बारे में मांगें

अध्यक्ष महोदय : अब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ होगी ।

श्री वी० वी० गिरि (पातपटनम) : चीन से वापस आने के बाद माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि भविष्य में भारत में समाज का ढांचा समाजवादी ढांचा होगा । कांग्रेस ने भी अपने आवड़ी के संकल्प द्वारा इस पर जोर दिया है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मुझे हर्ष है कि राष्ट्र ने इसके महत्व को अनुभव किया है । देश के सब दलों का यह कर्तव्य है कि वे समाजवादी ढ़ांचे को स्थापित करने में पूरा योग दें । जब हमने २५ वर्ष की अवधि में लाखों लोगों के बलिदान के द्वारा राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है, तो अब हमारे लिये अपने स्वामी स्वयं होते हुए, समाज का समाजवादी ढांचा स्थापित करना कठिन नहीं होना चाहिये ।

प्रदेश कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों के सामने भाषण देते हुए वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा था कि समाज का समाजवादी ढांचा स्थापित करने के लिये हमें पूंजीवादी ढांचे और सर्वाधिकारवादी अर्थव्यवस्था दोनों से दूर रहना है । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि यदि हम ने समाजवादी ढांचे की आड़ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन न किया तो भारत पूर्णतया समाजवादी जनतंत्र का पक्ष लेगा ।

अब मैं केवल उद्योगों के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा । यदि हमारा उद्देश्य समाजवादी ढांचा स्थापित करना है तो हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि अन्त में गैर-सरकारी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र में मिल जाना होगा यद्यपि यह शनैः शनैः होगा । निजी उद्योगपतियों को इसके लिये तैयार रहना चाहिये और उन्हें इसकी पर्याप्त सूचना देनी चाहिये । मैं अपने माननीय मित्र वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को बताना चाहता हूं कि जब तक गैर-सरकारी उद्योगों के क्षेत्र में अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित नहीं होंगे, यह काम नहीं हो सकेगा । साथ ही इस काम को सफल बनाने के लिये सरकारी उद्योगों के क्षेत्र के काम की शर्तों के बारे में एक आदर्श स्थापित करना चाहिये । निजी उद्योगपतियों को अनुभव करना चाहिये कि श्रमिक भी उद्योग में सहभागी हैं और उनका भी भारी उत्तरदायित्व है और उन्हें इस उत्तर-दायित्व को पूरा करना चाहिये । मैं-ने सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योगों के उद्योगपतियों के कर्तव्य बता दिये हैं पर मैं श्रमिकों को भी बता देना चाहता हूं कि यदि वे अपने महत्व को बढ़ाना चाहते हैं तो वे अपने आपमें हर प्रकार का सुधार करें और ठीक ढंग में कार्मिक संघों का संगठन करें । प्रत्येक सरकारी अथवा गैर-सरकारी उद्योग में एक ऐसी संस्था बना दी जाये जो सब विवादों का निवटारा करे ताकि हड़तालें और तालाबन्दियां कम हों ।

गत ३५ वर्ष से मेरा विश्वास है कि श्रमिकों को उस हालत में हड़ताल करनी चाहिये जब समझौते का और कोई साधन

न हो। यदि सब उद्योगों में स्थायी रूप से एक संस्था स्थापित कर दी जाये तो उद्योग शान्तिपूर्ण ढंग से उन्नति कर सकेंगे। मेरा विचार है कि श्रमिकों और नियोक्ता के प्रतिनिधि तीन दलों वाले और दो दलों वाले संगठनों की बैठकें लगातार होती रहनी चाहियें ताकि उन्हें श्रम सम्बन्धी विधान पर अवलम्बित रहना आवश्यक न हो और वे श्रम अभिसमयों और न्यायाधिकरणों पर अधिक निर्भर करें। मैंने न्यायिक निर्भयों को सदा बुरा समझा है और मेरा विचार है कि न्यायाधिकरण के निर्णय का जनता, श्रमिक और नियोक्ता सभी मान करते हैं।

जब तक हम जनता को यह नहीं समझा कि हम समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का पूर्ण यत्न कर रहे हैं तब तक वह इस की प्रशंसा नहीं कर सकेगी और यदि सब श्रमिक यह अनुभव करने लगें कि वास्तव में सरकार का यही अभिप्राय है तब वे सहयोग देने लगेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि उद्योग मंत्रालय स्वस्थ आधारों पर अपनी नीति बनाये। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को बधाई देता हूं पर हमें अपने राष्ट्रीय कवि के शब्द याद रखने चाहियें :

सकल पथ हि बारि आसे,
से कथा रय मने।

अभी बहुत कुछ करना शेष है। उन्नत देशों के साथ तुलना करने पर हमें अपनी असल हालत का पता चलता है। आंकड़े देखने से पता चलता है कि दूसरे देशों में उद्योग तथा अन्य साधनों से आय कृषि की आय से कई गुना है। इस प्रकार जब तक हमारे उद्योगों से आय नहीं बढ़ती तब तक कृषि दरिद्रता और बेरोजगारी का अन्त नहीं होगा।

दूसरे देशों की तुलना में भारत में कृषकों के पास बहुत कम भूमि है। जनसंख्या अधिक है और ७० प्रतिशत लोगों को अपनी आजीविका के लिये भूमि पर निर्भर करना पड़ता है। हमें लोगों को उद्योगों में लगाने का अधिक प्रयत्न करना चाहिये। अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को अधिक महत्व देना चाहिये।

दक्षिण की भूमि चीनी उद्योग के लिये बड़ी उपयुक्त है। उत्तर में गन्ने की आय १२ टन प्रति एकड़ है और दक्षिण में ३५ टन प्रति एकड़ और आधुनिक तरीकों से ११० टन प्रति एकड़ भी हो जाती है। दक्षिण में चीनी उद्योग स्थापित करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

कृषि की हालत को सुधारने के लिये उर्वरक कारखानों की आवश्यकता है और सिन्दरी कारखाने का उत्पादन देश भर के लिये पर्याप्त नहीं है। अच्छा हुआ कि सरकार ने तीन और कारखाने खोलने का निश्चय किया है। मेरा सुझाव है कि एक कारखाना कोयना घाटी योजना के निकट खोला जाय क्योंकि उसके आसपास चीनी के कारखाने हैं और वहां बिजली भी पैदा होगी जिस से उर्वरक के उत्पादन पर कम लागत आयेगी। परिवहन की भी विशेष कटिनाई नहीं होगी।

बम्बई में उद्योगों का जमघट लगाने की बजाय कुछ उद्योग करड़ में स्थापित करने चाहियें जहां ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिक मिल सकते हैं और बिजली भी मिल सकती है। यहां कारखाना खोलने से बड़ी बचत होगी।

यह भी कहा जाता है कि इस कारखाने के लिये एक लाख किलोवाट जलविद्युत

[श्री अल्तेकर]

शक्ति की आवश्यकता है जिससे बम्बई में बिजली कम हो जायेगी । यदि कोयना परियोजना का दूसरा प्रक्रम भी आरम्भ कर लिया जाये तो ५ लाख किलोवाट जल विद्युत् शक्ति तैयार होगी । इससे एलुमीनियम का कारखाना भी खोला जा सकता है । कोल्लापुर और रत्नागिरि जिलों में बाक्साइट बहुत मात्रा में पाया जाता है । देश के लिये एलुमीनियम बड़ा महत्व रखता है क्योंकि यह हवाई जहाज बनाने में काम आता है । यह कारखाना खोलने से देश को बड़ा लाभ होगा ।

बम्बई तट पर नमक तैयार किया जाता है और इस नमक से सोडा ऐश तैयार कर सकते हैं । यदि जिला कोलाना में उडान जैसे उपयुक्त स्थान पर ४ या ५ करोड़ रुपये की पूंजी लगा कर सोडा ऐश का कारखाना खोल दिया जाये तो यह बहुत सुविधाजनक होगा यदि सरकार यह उद्योग न करना चाहे तो यह काम गैर-सरकारी उद्योगपतियों को भी सौंपा जा सकता है क्योंकि देश का औद्योगीकरण केवल सरकारी उद्योग ही नहीं कर सकते हैं । दोनों में समन्वय होना चाहिये । और दोनों को साथ साथ प्रगति करनी चाहिये और एक दूसरे के गुण अपनाने चाहियें ।

रूस में कार्मिक संघों का काम उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन पर आने वाली लागत को घटाना और श्रमिकों को अधिक दक्ष बनाना है । यदि इन बातों का ध्यान रखा जाये तो शीघ्र और प्रभावी रूपसे देश का औद्योगीकरण हो सकता है और देश निवासियों की हालत सुधर सकती है । हमारा देश केवल सुफलाम् और सुजलाम् ही नहीं बल्कि सघनाम् भी होना चाहिये । इसे प्राप्त करने के लिये देश का शीघ्र औद्योगीकरण होना चाहिये ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : मैं ने वस्त्र उद्योग जांच समिति, जिसे श्री कानूनगो समिति भी कहते हैं, बेरोजगारी और चीनी के कारखाने के बारे में कटौती प्रस्तावों की पूर्व सूचना दी है ।

हथकर्घा उद्योग की सहायता करने के हेतु और वस्त्र उद्योग के प्रश्न की छानबीन करने के लिये श्री कानूनगो समिति नियुक्त की गई थी, परन्तु इसने हथकर्घा उद्योग का सर्वनाश कर दिया है । हथकर्घा श्रमिकों ने इस समिति की बड़ी आलोचना की है । पंडित सुन्दर लाल ने भी कहा है कि समिति ने बेरोजगारी के प्रश्न पर बिल्कुल विचार नहीं किया है । समिति ने कहा है कि केवल ५०,००० हथकर्घों को काम करने का अधिकार है, शेष को नहीं । हथकर्घा बुनकर भूखे मर रहे हैं और श्री कानूनगो उन्हें १५०० रु० से ३००० रु० तक पूंजी के रूप में लगाने के बारे में कह रहे हैं । वह उन योजनाओं की बातें कर रहे हैं जिन्हें कभी कार्यान्वित नहीं किया जायेगा ।

हाथकरघा उद्योग में १५००० श्रमिक काम करते हैं और यदि इस सिफारिश का कुछ अंश भी स्वीकार कर लिया जाये तो कई लाख लोग बेकार हो जायेंगे । समिति इन्हें कैसे रोजगार दिलायेगी ? उन्होंने कहा है कि यदि प्रत्येक वर्ष २०,००० लोगों को निकाल दिया जाये तो कोई सामाजिक या अर्थव्यवस्था की गड़बड़ नहीं होगी । इस का क्या अर्थ है ? यदि २०,००० लोग भूखों मर रहे हों तो सरकार को इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता और उन्हें पूरी आशा दिलाई जा रही है कि उनके लिये रोजगार की व्यवस्था की जायेगी । समिति की और सिफारिशों के बारे में कुछ न कहते हुए मैं यह कहूंगा कि समिति मिल उद्योग की सहायता करने के तरीके ढूंढने में ही लगी रही है । उन्होंने मिलों की ओर अधिक

ध्यान दिया है। मेरा सुझाव है कि सब से पहले तो हथकर्घा उद्योग को कम कीमत पर धागा मिलना चाहिये। समिति इसे स्वीकार करती है परन्तु आगे वह कहती है कि वर्तमान परिस्थितियों में मिलें धागा नहीं दे सकतीं, परन्तु यदि ऐसा करना ही हो तो सरकार को कातने की मिलें खोल कर धागे का सम्भरण करने के सिवा और कोई चारा नहीं। २० लाख हथकर्घों पर एक करोड़ लोग अवलम्बित हैं। यदि आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो उन्हें कम मूल्य पर धागा दिया जाना चाहिए और यह यथासम्भव शीघ्र किया जाना चाहिए।

इस उद्योग की सहायता करने के लिये दूसरी महत्वपूर्ण बात रक्षण है। एक बार योजना आयोग ने रक्षण और कम मूल्य पर धागा देने के बारे में कहा था। परन्तु रक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की कोई सम्भावना नहीं है। यदि सब प्रकार की धोतियां और साड़ियां नहीं तो इसका कुछ प्रतिशत हथकर्घा उद्योग के लिये रक्षित कर देना चाहिये।

सरकार को पगड़ियों के लिये जो १७,००,००० गज कपड़ा खरीदना है वह उसे हथकर्घा उद्योग से खरीदना चाहिये इस उद्योग में पगड़ी के लिये अच्छे से अच्छा कपड़ा तैयार किया जा सकता है। चाहे उत्पादन का यह एक पुराना तरीका है परन्तु देश में बेरोजगारी के कारण इसके बिना काम नहीं चल सकता।

नवीकरण के बारे में बड़े भाषण दिये गये हैं। सरकार ने हमें बड़े आश्वासन और वचन दिये थे बेकार होने वालों को दूसरे रोजगार में लगाया जायेगा परन्तु टाइम्स आफ इंडिया, दिनांक ६ अप्रैल, १९५५ में दिये गये समाचार से पता चलता है कि नवीकरण के परिणामस्वरूप ४५०० श्रमिक बेकार होंगे और उद्योगपति तथा पुलिस बेकार होने वाले लोगों पर दबाव डालने के लिये किस प्रकार योजनायें बना रही है। सरकार के आश्वासन तथा वचन सब झूठे थे। उन्हें अपना उचित और मूलभूत अधिकार प्राप्त करने से रोकने के लिये 'पुलिस बन्दोबस्त' किया जा रहा है। इस प्रकार नवीकरण से करोड़पतियों को लाभ और छोटी मिलों का सर्वनाश होगा। इस से हथकर्घा उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा और लाखों लोग बेकार हो जायेंगे। बेकारों को काम देने की बजाय काम वालों को बेकार किया जा रहा है और विधि तथा व्यवस्था के नाम पर उन पर गोलियां चलाई जाती हैं और गैस छोड़ी जाती है।

नवीकरण के बारे में मैं और कुछ नहीं कहूंगा। औद्योगीकरण के विषय में मैं कुछ शब्द कहूंगा। हमारी औद्योगिक और वाणिज्यिक नीति हमारे कृषि उत्पादन के हित में सहायक सिद्ध नहीं हुई है। मंत्री महोदय को ज्ञात है कि मूल्य गिर गये हैं और इस बात का सभा में कई बार उल्लेख भी किया जा चुका है। आंध्र में रूई का मूल्य ९, १० रुपये से गिर कर ६ रुपया प्रति मन रह गया है और मूंगफली ८ रुपये मन से घट कर ३ रुपये मन तक आ चुकी है। मूल्य घटते ही चले जा रहे हैं। किन्तु सरकार इन्हें स्थिर बनाये रखने के लिये किसी उपयुक्त मशीनरी की व्यवस्था नहीं कर सकी है।

अन्त में मैं आंध्र की सिगरटों की सिफारिश करना चाहता हूं, यद्यपि मैं सिगरट-पान के पक्ष में तो नहीं हूं।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक मध्य) प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सरसरी दृष्टि डालने से ही पता चलता है कि इस वर्ष में अच्छी प्रगति हुई है। नये काम चलाने के हेतु ११०, लाइसेंस जारी किये गये हैं और चालू कामों के विस्तार के लिये २२४ लाइसेंस

[श्री जी० एच० देशपांडे]

दिये गये हैं । इसीसे प्रतीत होता है कि हम औद्योगिक क्षेत्र में अच्छी उन्नति कर रहे हैं । उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों को देखने से भी पता चलेगा कि देश में बहुत सी आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में भी हम ने संतोषजनक प्रगति की है ।

मैं एक बात पर जोर डालना चाहता हूं । मेरे एक साम्यवादी मित्र ने कहा है कि सरकार की वस्त्र जांच समिति हथकर्घा उद्योग की सहायता करने के स्थान में मिल मालिकों की सहायता करना चाहती है । प्रतिवेदन के बारे में यह एक नितान्त उलटे प्रकार का मत है । इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि उक्त समिति ने हाथकरघा कर्मकरों के लिये बड़ी सहानुभूति प्रकट की है । कपड़े के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों को लीजिये । हाथकरघों, शक्तिचालक करघों और मिलों सभी के उत्पादन में वृद्धि हुई है । इन सब का कुल उत्पादन इस वर्ष ६६० करोड़ गज रहा है । हाथ-करघों की प्रगति इस बात से भी स्पष्ट होती है कि इस बार उन्होंने पहले से अधिक सूत की खपत की है । किन्तु हाथकर्घा कर्मकरों की अवस्था कुछ अच्छी नहीं है । उन्हें पारिश्रमिक बहुत कम मिलता है । और हमेशा काम भी नहीं मिलता ।

हमारा विचार ग्रामों को बिजली देने का है । यदि ऐसा हुआ तो हाथकरघों को शक्तिचालक करघों में परिणत कर देना चाहिये । इससे क्या हानि है ? कहा गया है कि इससे बेकारी फैलेगी । श्रीमान्, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिजली से चलने वाले ५,५०० करघे चल रहे हैं और इन साहसी बुनकरों ने युद्धकाल में हथकरघों को छोड़ कर विद्युत चालित करघों का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया था । इस के परिणामस्वरूप रोजगार में वृद्धि हुई है और बुनकरों की आय में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई है । साधारणतः हथकरघे पर छः गज वस्त्र बुना जाता है जबकि विद्युत चालित करघे से तीस गज वस्त्र तैयार होता है । इस बात का मैं पहिले ही उल्लेख कर चुका हूं कि १९६० में हमें कम से कम २०० करोड़ गज अधिक वस्त्र की आवश्यकता होगी । मैं यह नहीं चाहता कि कारखानों को सहायता दी जाये, नही इस का सुझाव वस्त्र जांच समिति ने दिया है, और यदि मेरे पूर्ववक्ता उसके प्रतिवेदन का ध्यान से अध्ययन करें तो उन्हें विदित होगा कि वहां कहा गया है कि कारखाना उद्योग का विस्तार नहीं होना चाहिये । समिति ने वस्त्र उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उत्पादन के विकेन्द्रित ढंगकी सिफारिश की है । अतः यदि हमें उत्पादन का कोई ढंग अपनाना पड़ा तो यह केवल हथकरघे और विद्युत् चालित करघे का ही होगा । अतः यदि कोई विद्युत्-चालित करघे का प्रयोग करना चाहता है और विद्युत् उपबन्ध भी है तो उसे उसका प्रयोग करने दीजिये ।

मैं चाहता हूं कि प्रतिवेदन में सम्मिलित दूसरी बात को भी स्वीकार किया जाये कि छोटे छोटे ग्राम उद्योगों को महत्व दिया जाये । इस सम्बन्ध में सरकार का रवैया पर्याप्त गम्भीर है और उसने अनेक योजनायें भी बनाई हैं । अब हम इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर निर्भर हैं कि वे सहकारिता के आधार पर छोटे छोटे उद्योगों की विशेष कर ग्रामों में, स्थापना करें ।

एक माननीय सदस्य ने दक्षिण में चीनी के कारखानों के सम्बन्ध में उल्लेख किया था । सरकार सहकारिता के आधार पर चीनी के कारखाने खोलने में सहायता कर रही है । परन्तु सरकार चाहती है कि कृषक आपस में सहकारिता के आधार पर संगठित हो कर

१५ लाख रुपये एकत्र कर लें और फिर सरकार सहायता देगी । कृषि वस्तुओं के मूल्य में गिरावट होने की दृष्टि से उन से लगभग १० लाख रुपये की आशा की जाय । इसके अतिरिक्त, मेरा निवेदन है कि बम्बई के डांग्स जिले में बांसों का का घना बन है और वहां एक कागज का कारखाना खोला जा सकता है । मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस बात की जांच करें कि क्या वहां अखबारी कागज का कारखाना खोला जा सकता है । नासिक स्थित भारत सरकार के सुरक्षा प्रेस में अति-उत्तम प्रकार का कागज प्रयोग होता है और यदि उस के आस-पास कोई कागज का कारखाना खुल जाय तो प्रेस को अच्छा कागज मिलेगा और लोगों को अधिक रोजगार भी ।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : जैसे कि मेरे पूर्ववक्ता बता चुके हैं, गत वर्ष इस मंत्रालय को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है । उत्पादन में और निर्यात व्यापार में वृद्धि हो गई है, और अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हो गई है । परन्तु मुझे यह अनुभूति अवश्य होती है कि विगत पांच या छः मास में मंत्रालय में अरुचि व गतिहीनता की भावना उत्पन्न हो गई है । राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम की कहानी हम सब को विदित है, और कम-से कम जनता को यह पता नहीं है कि इसने क्या किया है । कथित वर्ष में अनेकों महत्वपूर्ण समितियों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे । मैं नहीं जानता कि इन समितियों के प्रतिवेदनों और सिफारिशों का क्या हुआ । इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार इन समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है । यदि मंत्रालय में यही गतिहीनता, जिस का मैं उल्लेख कर चुका हूं, विद्यमान रही तो मुझे भय है कि अब तक की यह प्रगति बनी नहीं रहेगी । अतः मैं मंत्री महोदय तथा मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वे अपने पर इस भाषण का आधिपत्य न होने दें ।

यद्यपि हमारे इस विदेशी व्यापार में लगभग ३१ करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है, या फिर भी यह हमारे १९४८ के विदेशी व्यापार की अपेक्षा गिर गया है और इसमें लगभग १० प्रतिशत कमी हो गई है जबकि संसार के व्यापार में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है । यदि भारत चाहता है कि उसका निर्यात-व्यापार लाभप्रद हो तो हमें अपनी इजीनियरिंग की विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करनी होगी । परन्तु यहां स्थिति यह है कि हम चाकू आदि, धातुओं के बर्तन औजार, बिजली के सामान, समस्त प्रकार की मशीनें, आदि और, यदि इन में रसायन, कांच, और मिट्टी के बर्तन, रबड़ की वस्तुयें और ऊनी वस्त्र को भी सम्मिलित कर लें, तो कुल २२.१२ करोड़ रुपये का व्यापार होता है । यह औसत गत चार वर्षों के आधार पर है । निर्यात व्यापार में वृद्धि करने के लिये कुछ निर्मित वृद्धि परिषदें नियुक्त की गई हैं । परन्तु इजीनियरिंग वस्तुओं के लिये सबद्ध भारतीय संस्थायें तो तैयार हैं, किन्तु विदेशी सन्थाओं ने, इन परिषदों की नियुक्ति में सहयोग देने से मना कर दिया है । मुझे प्रसन्नता है कि यह होते हुए भी सरकार इस परिषद् की नियुक्ति कर रही है । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि हम अपने देश में विदेशियों के असहयोग की इस प्रवृत्ति को कब तक सहन करेंगे ।

फिर पूर्णतः विदेशों द्वारा नियन्त्रित वह विदेशी उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? कुछ समय पूर्व बाजार में यह चर्चा थी कि लिवरब्रादर्स भारतायों को ऋण-पत्र के रूप में कुछ धन देना चाहते हैं । सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर के

[श्री बंसल]

उचित ही किया है, क्योंकि इस क्रिया को भारतीयकरण नहीं कहा जा सकता । मैं चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री यहां एक निश्चित नीति की घोषणा करें । निर्यात व्यापार के बारे में, जब कि मैं इसकी वृद्धि के लिये मंत्रालय द्वारा किये गये प्रयत्नों की सराहना करता हूं मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन द्विपक्षीय करारों के प्रभावों पर, जो उन्होंने विदेशों से किये हैं, विचार किया है ? मैं नहीं जानता कि वास्तव में उनका क्या परिणाम होता है । यदि सरकार ने उनकी व्याख्या की है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह किस निश्चय पर पहुंचे हैं । मेरा अपना निश्चय यह है कि हमें कुछ लोह-आवरण वाले देशों को छोड़ कर किसी देश से द्विपक्षीय व्यापार करार नहीं करना चाहिये । परन्तु इस सम्बन्ध में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जबकि हमारी विदेश-नीति एशिया और अफ्रीका के विचारों से परिपूर्ण हो रही है, तो हमारे व्यापार का क्षेत्र भी एशिया और अफ्रीका में अधिक से अधिक होता जाय । परन्तु इसके विपरीत होता यह है कि हम एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग और व्यापार वृद्धि परिषदों में निकृष्ट श्रणी के प्रतिनिधि भेजते हैं, यद्यपि उनमें कभी कोई अपवाद के रूप में भी होता है । इसके परिणामस्वरूप हम इन सम्मेलनों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके हैं । हमें अपन पड़ौसी देशों के बारे में जो हमारे निर्मित पदार्थों का क्रय करेंगे, विचार करना है । मैं जानता हूं कि हमारा मंत्रालय इस भ्रम में कार्य करता प्रतीत होता है कि वे देश हमारी तरह ही अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं, और वे भी उन्हीं उद्योगों के विकास का प्रयत्न कर रहे हैं जिन के विकास में हम संलग्न हैं । अतः हम उन वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सकेंगे, जिनका निर्यात करना चाहते हैं । परन्तु मेरा मत यह नहीं है : मेरी समझ में नहीं आता कि हम इन देशों से व्यापार क्यों नहीं बढ़ा सकते । इसके अतिरिक्त हाल ही में रूस और मध्य पूर्व को प्रतिनिधिमण्डल भेजे गये थे । उन्हों-ने अपने प्रतिवेदन भी अवश्य प्रस्तुत किये होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि उनको कब तक गोपनीय रखा जायेगा । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन प्रतिवेदनों को प्रकाशित किया जाय ताकि व्यापारियों को यह विदित हो कि उन देशों में क्या वाणिज्यिक सम्भावनायें विद्यमान हैं । फिर, मेरा एक सुझाव यह है कि हमें मध्य पूर्व के और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को अधिक प्रतिनिधि मण्डल भेजने चाहियें क्योंकि इन्हीं देशों में हमारे व्यापार के विकास की सम्भावनायें हैं ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : यह जान कर हर्ष हुआ है कि हमारे औद्योगिक उत्पादन में सन्तोषजनक वृद्धि हो रही है । देश में औद्योगिक विकाससंबंधी आर्थिक नीति पर, और वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी व गैर-सरकारी उद्योगों को क्या करना है, इस पर पर्याप्त मतभेद है । हमारा उद्देश्य यह है कि देश का आर्थिक विकास हो, निर्धनता और बेकारी समाप्त हो । सरकार और योजना आयोग दोनों ने यह मान लिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में गैर-सरकारी उद्योग महत्वपूर्ण कार्य करेंगे । अतः मेरा विचार है कि यह मत विभिन्नता समाप्त हो जानी चाहिये, और वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्रालय को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये विभिन्न उद्योगों के लक्ष्य निर्धारित करने चाहियें और यह बताना चाहिये कि सरकारी उद्योगों को उन वस्तुओं की प्राप्ति कैसे होगी ।

इस्पात के सम्बन्ध में मुझे सरकार के इस निश्चय पर कोई आपत्ति नहीं है कि इस्पात के नये कारखाने सरकारी उद्योग के रूप में खोले जायेंगे । फिर भी, विद्यमान इस्पात के कारखानों के बारे में सरकार ने जो ढुलमुल नीति अपनाई है, वह मेरी समझ में नहीं आती । ऐसा विदित हुआ है कि टाटा ने अपने कारखानों के विकास के लिये अपनी योजना प्रस्तुत कर दी है, परन्तु सरकार अब भी कोई निश्चय नहीं कर सकी है । और उन्हें कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया गया है । इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि विद्यमान कारखानों का विस्तार मितव्ययी है और राष्ट्र के लिये लाभकारी है । अतः टाटा के प्रस्तावों पर तुरन्त निश्चय न करने का सरकार के पास कोई उचित कारण नहीं है । अतः मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में विद्यमान इस्पात के कारखानों के विस्तार के सम्बन्ध में सरकार की निश्चित नीति का उल्लेख करें ।

इसी प्रकार, नये इस्पात प्रतिधारण मूल्यों के बारे में भी अभी सरकार ने अपने निश्चय की घोषणा नहीं की है । मैं आशा करता हूं कि नये मूल्यों की घोषणा करने में भारत सरकार और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस बात का ध्यान रखेंगे कि नियन्त्रित उद्योगों में, गैर-सरकारी उद्योगों को पर्याप्त लाभ हो ताकि वे विकास-सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं के लिये अपने साधनों से लाभ उठा सकें । इसके अतिरिक्त, वस्त्र उद्योग के बारे में मुझे यह कहना है कि मुझे इस उद्योग के सम्मुख प्रस्तुत समस्याओं की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं माननीय मंत्री उनसे परिचित हैं । कानूनगो समिति के प्रतिवेदनों का उल्लेख किया गया है । परन्तु, मेरा विचार है कि यह ख्याल करना कि इस समिति की सिफारिश किसी भी प्रकार वस्त्र उद्योग के भावी विकास के लिये उपयुक्त हैं, गलत है । उन्होंने सुझाव रखा है कि वस्त्र उद्योग का उत्पादन वर्तमान सीमा पर ही रोक देना चाहिये । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कपड़े की खपत काफी बढ़ जायगी, मैं नहीं समझता कि कानूनगो समिति की यह सिफारिश कि वस्त्र उद्योग का उत्पादन वर्तमान स्तर पर ही रोक दिया जाय, कहां तक व्यावहारिक और देश हितैषी है । इस महत्वपूर्ण उद्योग को बढ़ने दिया जाना चाहिये ताकि सस्ते स्तर पर कपड़े का उत्पादन हो सके ।

अभी हाल में हुए वस्त्रों के पुनवर्गीकरण ने कुछ नई कठिनाइयां पैदा करदी हैं, और जाली मध्यम श्रेणी के कुछ कपड़ों को मोटे कपड़ों की श्रेणी में डाल दिया गया है और इस पर अब ६ प्रतिशत निर्यात शुल्क लगता है । इससे वस्त्र के निर्यात पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्या यह जाली मध्यम श्रेणी निर्यात शुल्क बचाने के लिये ही नहीं खोज निकाली गयी थी ?

श्री जी० डी० सोमानी : कुछ भी सही, इससे हमारे निर्यातों की मात्रा बढ़ी थी और पुनर्वर्गीकरण ने उसे हानि पहुंचाई है ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि प्रविधिज्ञ और अर्थशास्त्र के विशारद व्यक्तियों की सहायता से उद्योग के पुर्नसंस्थापन संबंधी आश्यकताओं की जांच की जायेगी । पुर्नसंस्थापन और अधुनीकरण पर तो इस देश विदेश की प्रतियोगिता के युग में ध्यान देना ही पड़ेगा । परन्तु मंत्री जी को जांच का स्वरूप बता देना चाहिये और यह भी बता देना चाहिये कि जांच समिति में व्यक्ति किस प्रकार नियुक्त किये जायेंगे । आशा है कि जांच के

[श्री जी० डी० सोमानी]

बाद समिति की सिफारिशों को तुरन्त व्यावहारिक रूप दिया जायगा ।

फोर्ड प्रतिष्ठान दल ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि हमारे देश में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की बहुत गुंजाइश है । परन्तु मंत्रालय ने जो चार प्रादेशिक संस्थायें स्थापित की हैं, वे अभी कागज पर ही हैं । दिल्ली की संस्था का न तो कार्यालय है और न उसमें प्रविविज्ञ कर्मचारी हैं । उसे एक कमरा दिया गया है और मंत्रालय का एक सेक्शन उस का काम चला रहा है । आशा है, मंत्रालय शीघ्र प्रविविज्ञ व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा और इस सम्बन्ध में आवश्यक सुविधाओं और सहायतायें प्रदान करेगा । जहां तक बड़े उद्योगों का सम्बन्ध है, वे इन सुविधाओं से लाभ उठाने के तरीके निकाल ही लेंगे । परन्तु छोटे मोटे उद्योगों के लिये इन सारी औपचारिकताओं को पूरा करके इन सुविधाओं को प्राप्त करना कठिन होगा । इसलिये मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि विभिन्न प्रादेशिक वाणिज्य-मंडल सरकार और छोटे व्यापरियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करें । वे इन व्यक्तियों और संस्थाओं को इन औपचारिकताओं को पूर्ति में पूरी सहायता दे सकेंगे । फेडेरेशन और उसकी सदस्य संस्थायें इस कार्य में महत्व-पूर्ण योग दे सकेंगी और लोग इन उद्योगों के विकास की दिशा में इन सुविधाओं का पूरा लभ उठा सकेंगे ।

अभी मंत्री जी जयपुर गये थे और उन्होंने उस औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्य के औद्योगीकरण की समस्याओं पर ध्यान दिया होगा । उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । वहां पर जिपसम बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है । बम्बई में उर्वरक कारखाना खोलने की बात चल रही है । परन्तु वह पहले से ही उद्योग-प्रधान राज्य है, अतः राजस्थान में ही यह कारखाना खोला जाना चाहिये । इससे उसके आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी ।

इसी प्रकार छोटे मोटे उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में भी राजस्थान की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

उद्योग व्यापार पत्रिका में अंग्रेजी पत्रिका के कुछ लेखों का अनुवाद मात्र होता है, जो उचित नहीं है । मेरा सुझाव है कि मूल पत्रिका हिन्दी में निकलनी चाहिये और उनका अनुवाद अंग्रेजी में निकलना चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : हमें मंत्रालय के प्रतिवेदन में दी गयी प्राप्तियों को देखने से ही सरकार की औद्योगिक नीति की सफलता का पता लग सकता है । यह नीति सफल रही है, इस का प्रमाण यह है कि देश में औद्योगिक उन्नति हुई है, और देश की आर्थिक दशा में भी सुधार हुआ है । १९५४ तक में औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक १४५ तक पहुंच गया है जब कि वह १९५३ में १३५.३ और १९५२ में १२८.७ था । अतः हम कह सकते हैं कि केवल देश की आर्थिक व्यवस्था ही स्थिर नहीं हुई है बल्कि अग्रेतर विकास के लिये भी अच्छा वातावरण पैदा हो गया है । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना होने से सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में उद्योगों की प्रगति होने की आशा है ।

वस्त्र, सीमेन्ट और जूट तथा अन्य उद्योगों के आंकड़ों को देखने से विदित होता है कि उन पर ध्यान नहीं दिया गया है । चीनी की स्थिति के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर अभ्रक उद्योग के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा । संसार

भर के अभ्रक के कुल उत्पादन का ७५ प्रतिशत भारत में होता है और उसमें से ८० प्रतिशत बिहार में । यदि अभ्रक की पेटी में किसी उचित स्थान पर अभ्रक का सामान बनाने का एक कारखाना स्थापित कर दिया जाय तो हमें बहुत सस्ते दामों में अभ्रक का बना सामान मिल जाया करे और हमें अभ्रक का निर्यात विदेशों को न करना पड़े। मुझे बहुत खेद है कि अभ्रक संबंधी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि उन्हें कुछ भी पता नहीं। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस उद्योग को उचित दृष्टिकोण से देखें। उन्हें स्मरण होगा कि अभ्रक जांच समिति, १९४५ ने कहा था कि अभ्रक का विदेशों को निर्यात करना देश के लिये हानिप्रद है। अतः यह आवश्यक है कि हम ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग का सावधानी से ध्यान रखें।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि मूल्य सूचक-अंक ३९९.६ से घट कर ३६७.८ पर आया है। पर मुझे दुःख है कि देश को अन्य चीजों के मूल्यों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। खाद्यान्नों के मूल्यों में २५ से ३० प्रतिशत तक की कमी हो गई है पर तैयार माल के मूल्यों में नहीं के बराबर कमी हुई है। अतः प्रतिवेदन की मूल्य अनुक्रमणिका में जो कमी दिखाई पड़ती है यह यदि अलग से देखी जाय तो संतोषजनक है; पर वह देश की आर्थिक व्यवस्था के लिये लाभदायक नहीं बल्कि अहितकर है।

भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति १९४८ में निश्चित की गई थी और उसे मिली जुली अर्थव्यवस्था के ढंग पर बनाया गया था। पंचवर्षीय योजना में भी गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा लगाये जाने वाले अभ्यंश को निश्चित कर दिया गया था। पर पंचवर्षीय योजना के प्रगति प्रतिवेदन को देखने से विदित होता है कि गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये ३३३ करोड़ रुपयों का आवण्टन किया गया था पर उन्होंने केवल ९६ करोड़ रुपये ही लगाये और वह भी सरकार द्वारा सभी प्रकार का प्रोत्साहन देने पर। फिर भी शिकायतें की गई हैं कि नियोजकों और कर्मचारियों के बीच औद्योगिक न्यायाधिकरण बाधा डालते हैं और उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। अतः हम देखते हैं कि मिली-जुली आर्थिक व्यवस्था की नीति से जो भी उन्नति हुई है वह संतोषजनक नहीं है। अतः हम महसूस करते हैं कि सरकार की १९४८ की औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया जाय।

विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि विदेशी पूंजी को देश से बाहर निकाल देने की मांग का क्या आधार है। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी देश विदेशी पूंजी में अपने देश से बाहर नहीं निकाल सकता। मैं स्वयं भी उन की इस बात से सहमत हूं। पर हम यह नहीं चाहते कि विदेशी पूंजी हमारी देशी पूंजी पर आधिपत्य जमाये। हम जानना चाहते हैं कि क्या विदेशी पूंजी के लगाये जाने के परिणामस्वरूप हमें बहुत बड़ी राशि बाहर भेजनी पड़ती है और क्या हमने विदेशी पूंजी लगाने वालों से कह दिया है कि वह अपने काम का एक भाग हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में लगायें।

हमें देखना है कि छोटे पैमाने के उद्योगों और बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में क्या हो रहा है। १९५३ तक ५० लाख रुपये दिये गये थे। १९५३-५४ में ५८४ लाख रुपयों का प्रावंटन किया गया था और १९५४-५५ के लिये ९७२ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। इसका विवरण अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, दस्तकारी बोर्ड और छोटे पैमाने के उद्योगों के बोर्ड द्वारा किया जायेगा। हम सरकार के इस काम को सरा-

[श्री भागवत झा आजाद]

हना करते हैं पर इतना व्यय करने के बाद भी देश की बेरोजगारी की स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा है। मेरा तात्पर्य यह है कि हमारा इरादा देश की बेरोजगारी की स्थिति ठीक करने का है और हम उसके लिये प्रयत्न भी करते हैं पर फिर भी हम कुटीर उद्योगों में बेरोजगारों को काम नहीं दे सके हैं। कुटीर उद्योगों की दशा खराब है। अतः हम चाहते हैं कि कुटीर उद्योगों और बड़े पैमाने के उद्योगों को एक उचित स्तर पर लाना आवश्यक है।

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर) : भारत जैसे एक कृषि प्रधान देश के लिये वाणिज्य तथा उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज औद्योगीकरण की आवश्यकता है। हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी औद्योगीकरण को बहुत महत्व दिया गया है ताकि हम बेरोजगारी को बिलकुल हटा सकें। गतवर्ष औद्योगिक उत्पादन में काफी उन्नति हुई है। इसके कई कारण हैं। एक, हम अपने पड़ौसी देशों की अपेक्षा अच्छी दशा में हैं, हमारी आर्थिक दशा भी अच्छी है और हमारे भुगतान का संतुलन भी संतोषजनक रहा है। यद्यपि साम्यवादी दल के लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि हम वित्तीय और शिल्पिक सहायता लेते हैं पर इससे हमारे देश की आर्थिक सहायता और औद्योगिक विकास में बड़ी सहायता मिली है।

पर एक बात खटकती है कि अनाजों के मूल्य में अचानक गिरावट हो गयी है। परन्तु सरकार मूल्यों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न कर रही है। किन्तु जब तक कृषकों के पास हमारी औद्योगिक विकास की योजनाओं में अपना अतिरिक्त धन लगाने के लिये अधिक क्रयशील न होगी, तब तक हमें कोई लाभ नहीं होगा। अतः मिल के आयात और निर्यात के सम्बन्ध में नीति का निर्माण करते समय हमें काफी सावधानी बरतनी चाहिये। इस सम्बन्ध में थोड़ी भी असावधानी से बहुत हानि हो सकती है।

जहां तक गैर-सरकारी उद्योगों का प्रश्न है, हम गैर-सरकारी क्षेत्रों को पूरा अवसर देना चाहते हैं। सरकार ने कई बार स्पष्ट शब्दों में बताया है कि गैरसरकारी क्षेत्रों का अपना अलग महत्व है। इनको आर्थिक सहायता देने के लिये औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक ऋण तथा पूंजी निगम आदि संस्थायें हैं ताकि पूंजी की कमी के कारण किसी उद्योग को हानि न होने पावे। मेरा विचार है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को लाभ होगा, किन्तु मैं उनसे यह आशा करता हूं कि वे अपने सब आश्वासनों को पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि यह समस्या केवल बड़े पैमाने के उद्योगों से हल नहीं हो सकेगी। बेकारी की समस्या तभी सुलझ सकेगी, जब कि छोटे पैमाने के ग्रामोद्योग उद्योग जैसे दस्तकारी खादी, हाथ का बुना हुआ कपड़ा, इत्यादि का व्यापक रूप से विकास हो जायेगा। वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्री इस सम्बन्ध में जागरूक हैं तथा केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं हो सकता है कि वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। यह योजना अच्छी तरह बनी हुई है तथा ठीक प्रकार से चल रही है।

विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में भी बड़ी चर्चा चल रही है। भारत में पूंजी की कमी है तथा अन्य वित्तीय संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये मैं देश की सम्पन्नता को बढ़ाने के हेतु विदेशी पूंजी लगाने में कोई हानि नहीं समझता हूं यदि हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि वे पूंजी लगा कर कमी घाटे में न रहें।

अब मैं अपने राज्य के नारियल की जटा के उद्योग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह उद्योग वहां गृह उद्योग के रूप में चलता है। आवश्यकता इस बात की है कि सहकारी आधार पर इस उद्योग को संगठित किया जाय। इसके लिये केन्द्रीय सरकार को अग्रिम धन देना चाहिये तथा राज्य सरकार को चाहिये कि वह इसे बिक्री कर इत्यादि से मुक्त करे। साथ ही इस उद्योग के अस्थायी अध्यक्ष के स्थान पर उन्हें एक स्थायी अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिये।

विनियंत्रण के पश्चात् बहुत से लोगों ने टेपिओका उद्योग को अपना लिया है, किन्तु हाल ही में कीमतें गिरने के कारण इस उद्योग की अवस्था शोचनीय हो गई है। यदि केन्द्रीय सरकार उसकी सहायता नहीं करेगी तो इस उद्योग के लिये जीवित रहना कठिन होगा। इस उद्योग में २० से २५ करोड़ की पूंजी लगी हुई है तथा लाखों आदमी इस पर निर्भर हैं। त्रावनकोर कोचीन सरकार ने एक टेपिओका बोर्ड की नियुक्ति की है किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्रीय सरकार, इसे आर्थिक सहायता दे तथा सागूदाना निशास्ता इत्यादि की बिक्री के लिये विदेशों में बाजार ढूंढे और यहां की वस्त्र मिलों में इसका उपयोग करने पर जोर दे।

एक अन्य समस्या काजुओं के सम्बन्ध में है। सरकार को इसका बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये क्योंकि यह गम्भीर समस्या है। इसके अन्य पहलू नये बागान, प्रकार-विशेष पर रोक तथा श्रम कल्याण, इत्यादि हैं। इसलिये एक काजू-बोर्ड बनाना अनिवार्य है। नारियल की गिरी के उद्योग की समस्या भी गम्भीर है तथा कीमतें गिरती जा रही हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि श्रीलंका से आने वाली नारियल की गिरी पर रोक लगा देना चाहिये। साथ ही उस पर आयात शुल्क भी बढ़ा देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो राज्य तथा केन्द्रीय सरकार दोनों को ही घाटा होने की सम्भावना है। मैं आशा करता हूं कि इन सभी त्रुटियों को दूर करने के निमित्त उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी (बान्दिवाश) : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को उनकी प्रगति तथा सफलता के लिये बधाई देता हूं। किसी भी देश की प्रगति तथा सम्पन्नता का अनुमान उसके आयात-निर्यात को देख कर लगाया जा सकता है। यह ध्यान में रखते हुए कि कुछ प्रतिबन्धों को हटाने की नीति अपनाने के कारण आयात तथा निर्यात दोनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथा हम काफी पौंड पावना अर्जित कर सके हैं। यह मंत्रालय निस्सन्देह बधाई का पात्र है।

इस समय मैं अपने को दक्षिण भारत के चमड़ा उद्योग तक ही सीमित रखूंगा। उसका भी मैं केवल चमड़ा कमाने का पहलू ही लूंगा। दक्षिण भारत में पांच सौ से लेकर छः सौ तक चमड़ा कमाने के कारखाने हैं। विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि १९४८ की अपेक्षा १९५४ में इस उद्योग की पर्याप्त वृद्धि हुई है। १९४८ में ९३६१ टन कमायी गई खालों तथा चमड़े का आयात किया गया जब कि १९५४ में यही संख्या बढ़ कर १८१८७ टन तक पहुंच गई। जहां तक खालों का सम्बन्ध है उनमें ५२४० टन से ८४१९ टन की वृद्धि हुई है। हमने इस व्यापार से १३ से १४ करोड़ तक विदेशी मुद्रा उपार्जित की।

किन्तु दक्षिण भारत के चमड़ा कमाने के कारखानों को इससे विशेष लाभ नहीं हुआ। कुछ बड़े व्यापारी कमाये गये चमड़े तथा खालों को खरीद कर अमरीका तथा ब्रिटेन भेज देते हैं। दुर्भाग्यवश, यह रंगा

[श्री एन० आर० मुनिस्वामी]

गया चमड़ा भी विदेशी बाजारों द्वारा अपेक्षित स्तर का नहीं होता । इन छोटे छोटे चमड़ा मानें वालों को उपयुक्त पारिश्रमिक देने के उद्देश्य से हमें लन्दन तथा वाशिंगटन में विपणन संगठन खोलने चाहियें और जैसा कि वस्त्र उत्पादनों के सम्बन्ध में किया गया है । मुझे ज्ञात हुआ है कि कीमतों की अस्थिरता के कारण चमड़ा कमाने के उक्त ५०० कारखानों में से केवल २० प्रतिशत ही अपना कार्य कर रहे हैं, बाकी ९० प्रतिशत बन्द हो गये हैं । इसलिये मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि सरकार लन्दन तथा वाशिंगटन में सहकारी विपणन संगठन स्थापित करे जिनसे उक्त कारखानों के पुनरुज्जीवन में सहायता मिले ।

एक समय यह उद्योग मद्रास के सम्पन्न उद्योगों में से था किन्तु इस समय यह गिरी हुई अवस्था में है । अतः मेरा सुझाव है कि खालों तथा चमड़े की कीमतों के नियंत्रण के लिये एक संविहित बोर्ड स्थापित किया जाये । कच्चे चमड़े तथा तैयार किये हुए चमड़े के मूल्यों में बहुत असमानता है । जिसे दूर किया जाना चाहिये । सरकार को चमड़ा कमाने वाले जिलों में प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने चाहियें । साथ ही इस सम्बन्ध में विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये छात्रवृतियां मिलनी चाहियें जिस से कि ये लोग तैयार करने के आधुनिकतम तरीके सीख सकें । नीलाम लन्दन में न हो कर भारत में होने चाहियें इससे भारतीय चमड़ा कमाने वालों को उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा ।

इस उद्योग के लिये अभी तक कोई जांच समिति नियुक्त नहीं हुई है । अतः यह उपयुक्त समय है कि इस महत्वपूर्ण उद्योग के लिये एक जांच समिति नियुक्त की जाय । इस बीच सरकार को एक बोर्ड स्थापित करना चाहिये जिस से कि चमड़ा कमाने वालों को न्यायोचित पारिश्रमिक प्राप्त हो । सरकार को दक्षिणी भारत में कम-से-कम चमड़ा कमाने की एक संस्था स्थापित करनी चाहिये; इसके लिये उत्तरी या दक्षिणी अरकाट सबसे अच्छा स्थान होगा ।

चमड़ा कमाने के उद्योग के साथ सहायक उद्योगों का भी विकास होना चाहिये । इसलिये मैं उत्तरी अरकाट में ऊन तैयार करने का एक कारखाना खोलने का सुझाव दूंगा । इस से पहिले भी एक ऐसा प्रस्ताव था जो कि क्रियान्वित नहीं किया गया । माननीय मंत्री जी को इस प्रश्न पर पुनःविचार करना चाहिये ।

गृह उद्योग के सम्बन्ध में मैंने सुना है कि हाल ही में अम्बर चरखा बनाया गया है । इसमें हाथकरघे में एक पहिया लगा रहता है । वह धागे को एक-सा तथा मजबूती से खींचता रहता है । मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि यदि इस का व्यापक प्रयोग किया जायेगा तो इससे यद्यपि खादी उद्योग कुछ सीमा तक विस्थापित हो जायेगा तथापि वह मिल उद्योग के अनुरूप तथा उसके समक्ष होगा । मंत्रालय को चरखे का समस्त भारत में प्रचार करना चाहिये ।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोड) : मैं उद्योग के सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा । किन्तु इस सम्बन्ध में अवश्य कहूंगा कि, क्या समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें व्यापार के एक बड़े क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये ? मेरा सदैव से यही मत रहा है कि हमारे विदेशी व्यापार का

राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में १९५२-५३ में भी एक समिति नियुक्त की गई थी किन्तु तब हमने समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का उद्देश्य नहीं रखा था। यदि अब इस सम्बन्ध में कोई समिति नियुक्त की जायेगी तो उसकी सिफारिशें अवश्य ही पहिली समिति की अपेक्षा व्यापक होंगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि हथकरघा उद्योग के, विदेशी व्यापार के लिये, किसी निगम को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हथकरघा बोर्ड ही सारा काम करेगा। सरकार इनके लिये राज्य निगम बनाने की गोपनीयता पर विचार कर रही है तथापि पिछले दो वर्षों से इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। विदेशी व्यापार की इन्हीं मदों पर ही सारा ध्यान एकाग्र करना पर्याप्त नहीं होगा अपितु हमें विदेशी व्यापार की अन्य मदों पर भी ध्यान देना होगा और उन पर सरकारी नियंत्रण को और कड़ा बनाना होगा। बागान उद्योग, जूट (पटसन) तथा अन्य मदों का विदेशी व्यापार, विदेशियों के हाथों में है। मेरा अभिप्राय यह है कि उद्योग की भांति व्यपार में भी सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र होने चाहियें। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

अब मैं छोटे पैमाने के तथा गृह उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहता हूं। यह बात गलत है कि सरकार ने हथकरघा उद्योग के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। सरकार ने इस उद्योग के प्रोत्साहन के लिये बहुत कुछ किया है। हमें इन हथकरघा बुनकरों के सहकारी उपक्रम तथा सहकारी कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिये। हमें चाहिये कि हम सहकारी सभाओं को विशेष रियायतें दे कर सभी बुनकरों को सहकारी सभाओं के अन्तर्गत ले आयें। यह इस उद्योग तथा देश के व्यापक हितों के लिये भी अच्छा होगा।

हमें यह जान कर प्रसन्नता होती है कि खादी बोर्ड ने बहुत कार्य किया है, जिस के परिणामस्वरूप खादी का उत्पादन काफी बढ़ गया है: उसने कई अच्छे सुझाव रखे हैं जैसा कि बन्दी गृहों में बुनना चालू किये जाने के सम्बन्ध में, आदि। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

छोटे पैमाने के उद्योगों तथा गृह उद्योगों का एक अन्य पहलू भी है। वह है इसके द्वारा बेकारी की समस्या का हल। ये उद्योग ऐसे स्थानों पर खोले जाने चाहियें जहां कि बेकारी की समस्या बहुत बड़ी हो, जैसा कि मलबार का पश्चिमी तट जहां अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। वहां काफी घनी जनसंख्या है। इसलिये वहां अन्य प्रकार के उद्योग यथा चटाई बनाने, छतरी के दस्ते बनाना, इत्यादि को प्रारम्भ किया जा सकता है। मदुरा में नियुक्त निदेशक को चाहिये कि वह इस क्षेत्र का उद्योगों की सम्भावना के लिहाज से सर्वेक्षण करे।

मैं यहां पर देशी नौकाओं के निर्माण का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। यह कला प्राचीन काल से प्रचलित थी। किन्तु अब समाप्त प्राय हो चुकी है। सरकार को चाहिये कि वह इस के आधुनिक विकास को सम्भावनाओं की जांच करे।

त्रावनकोर-कोचीन से प्रात मछलियां बहुत पहले से बर्मा को भेजी जाती रही हैं, किन्तु अब बर्मा में इस पर प्रतिबन्ध लग गया है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से व्यापारियों को हानि उठानी पड़ रही है। सरकार को इस प्रतिबन्ध के हटाने के उद्देश्य से बर्मा सरकार से वार्ता चलानी चाहिये।

[श्री दामोदर मेनन]

मलबार जिले के लोगों की यह शिकायत रही है कि नारियल जटा बोर्ड में उनके प्रतिनिधियों की संख्या अनुपयुक्त है । मेरा सरकार से निवेदन है कि उपयुक्त अवसर आने पर बोर्ड में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी जाये ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : मुझे प्रसन्नता है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों सम्बन्धी चर्चा का प्रभार मेरे माननीय मित्र को प्राप्त है, जिससे मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस मंत्रालय के कार्य में वह घांघले बाजी नहीं रहेगी जैसा कि श्री बंसल ने कहा है । सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के सम्बन्ध में विवाद, जिसका उल्लेख मैंने उत्पादन मंत्रालय के अनुदानों के सम्बन्ध में किया था अब प्रारम्भ नहीं होगा क्योंकि औद्योगिक तथा वाणिज्यिक नीति के निश्चय करने के सम्बन्ध में अन्तिम साक्ष्य की कमी के परिणामस्वरूप पर्याप्त हानि हो चुकी है । श्री जी० डी० सोमानी ने इस्पात के प्रश्न पर सरकार के अनिश्चय का जिक्र किया है । आशा है, कल मंत्री जी इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने एक निगम के उद्घाटन के समय कहा था कि भारत सरकार की करारोपण नीति ही देश के उद्योगों के अविकसित रहने के लिये जिम्मेदार है । अर्थात् वह देश की कर-पद्धति को गलत समझती है । यदि उनका दूसरे मंत्रालय के कार्य से मतभेद है तो उन्हें मंत्रिमंडल में इस पर समझौता करना चाहिये, न कि सार्वजनिक रूपमें इस पर जनता में अपना विरोध प्रगट करना । क्योंकि इस प्रकार एक मंत्री द्वारा किसी अन्य मंत्रालय की नीति या गतिविधि का उल्लेख करने से .....

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : सह-अस्तित्व का सिद्धान्त ।

डा० लंका सन्दरम् : किन्तु सह अस्तित्व का सिद्धान्त अस्तित्व पर निर्भर होना चाहिये यह तो प्रतिवाद है ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला भटिंडा) : हस्तक्षेप न करने का सिद्धान्त भी ।

श्री **मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : माननीय सदस्य पूरा वाक्य कहें ।

डा० लंका सुन्दरम् : माननीय सदस्य समाचारपत्र से यह बात जान सकते हैं । मैं यहां केवल इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि करारोपण नीति के सम्बन्ध में और विवाद होने की संभावना है ।

मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सम्बन्ध में भी दो एक बातें कहना चाहता हूं । कितना अच्छा होता कि मंत्रालय के इस प्रतिवेदन में एक सन्तुलन पत्र सा दिया गया होता जिससे इस बात का पता चलता कि मंत्रालय ने उद्योग और वाणिज्य के कितने गैर-सरकारी क्षेत्र का और कितना पालन-पोषण किया है, कितनी वित्तीय सहायता की है, कितना अधक उत्पादन हुआ है, क्या परिणाम हुए हैं, आदि आदि । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में मंत्रालय के प्रतिवेदन में इस प्रकार का ब्योरा हुआ करेगा ।

जैसा मैं आज से ढाई वर्ष पहले भी कहा चुका हूं, गैर-सरकारी क्षेत्र के मात्र लक्ष्य भी निश्चित हुए हैं, उनको पूरा करने के लिये यदि कोई भी काम नहीं किया गया है, न तो उन्हें कोई सहायता दी गई है । यदि आप गैर-सरकारी क्षेत्र को उड़ा देना ही चाहते हैं, तो ठीक है । मैं भी आप के साथ हूं । किन्तु प्रधान मंत्री जी के भाषण से पता चलता

है कि ऐसी बात नहीं है । और यदि आप इसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो किस प्रकार। इतना तो मैं अवश्य कहूंगा कि मंत्रालय ने गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रति लोगों का विश्वास पैदा किया है, और उसकी साख बनाई है । यही एक बड़ी भारी सेवा है । खेद है, इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने कुछ भी नहीं कहा कि इस क्षेत्र को कितनी सहायता दी गई है । आशा है, मंत्री जी इस पर अवश्य कुछ कहेंगे । मेरी यह भी आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस विषय में अवश्य कोई कदम उठाया जायेगा, न कि निरे आंकड़े गिनाये जायेंगे ।

मंत्रालय ने देश के आयात और निर्यात के सम्बन्ध में कई बातों का दावा किया है-- इस सम्बन्ध में भी मैं कल कई प्रश्न पूछना चाहूंगा । आज भी भारत की व्यापार-संधि का आधार १९३६ की भारत-ब्रिटिश व्यापार संधि है । सभा को याद होगा कि मैंने कई बार सम्राजीय अधिमान के प्रवर्तन के सम्बन्ध में कहा था । चुनाचि सरकार ने इस पर जांच भी कराई किन्तु अभी भी सभा को उसका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आशा है सभा को सम्राजीय अधिमान तथा व्यापार एवं प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा ताकि यहां के आयात और निर्यात का पूरा पूरा पता चले ।

अब मैं चाय के प्रश्न पर कुछ कहना चाहता हूं । श्री लंका के प्रधान मंत्री सर जान कोटेलवाला ने भी राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में कहा था कि ब्रिटिश चाय के भाव बहुत ही तेज़ हैं । उदाहरणार्थ कहना चाहता हूं कि जनवरी १९५४ में कलकत्ता में चाय का नीलामी भाव २ रुपये ५ आने प्रति पौण्ड , कोचीन में २ रुपये ९ आने ६ पाई प्रति पौण्ड और लन्दन में ४ रुपये १ आना १ पाई प्रीत पौण्ड था, और जून १९५४ में यही भाव कलकत्ता में २ रुपये ९ आने १० पाई प्रति पौण्ड कोचीन में २ रुपये ७ आने ११ पाई प्रति पौण्ड, और लन्दन में ५ रुपये ८ आने प्रति पौण्ड था । आखिर इसके इतने मुनाफे का हो क्या जाता है ? मुनाफे के रूपमें मूल्यों के बीच का यह अन्तर चाय उद्योग के एकाधिकारी ब्रिटिश व्यक्तियों को मिलता है । रिपोर्ट से पता चलता है कि १९५१ में एक समिति भी नियुक्त हुई थी जिसने रिपोर्ट भी पेश की। मैं जानना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट कब प्रकाशित होगी और चाय की नीलामी कलकत्ता में ही कराने के सम्बन्ध में आश्वासन दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी । यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट से पता चलता है, चाय की निर्यात की मात्रा में ५ करोड़ १० लाख टन की कमी हुई है ।

सामान्य सर्पगन्धा के असामान्य व्यापार के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिये गये कटौती प्रस्ताव के विषय में मैं आप को कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली के एक उप सचिव का एक पत्र जो उन्होंने दिल्ली चैम्बर्स आफ कामर्स को भेजा था, पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने सिबा लिमिटेड से सम्बद्ध किसी जर्मन सार्थ के सम्बन्ध में कुछ सचित्र बोर्डों पर आपत्ति प्रकट की और कहा कि उनका यह अभिप्राय नहीं था कि भारतीय डाक्टरी चिकित्सा व्यवसाय को बदनाम किया जाये और यह भी बताया गया था कि भारत सरकार ने अब इस मामले को समाप्त हुआ समझा है । मजे की बात यह है कि उस सचित्र कार्ड की प्रतियां जर्मनों में ही बांटी, और न जाने किस प्रकार कुछ प्रतियां भारत पहुंची । मैं अभी भी यह नहीं समझ सका कि भारत सरकार ने इस बात को इतना हल्का क्यों समझा और क्यों इस बात की प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि

[डा० लंका सन्दरम्]

इस सामान्य सर्पगन्धा के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिये । मेरा यह निवेदन है कि इस जड़ी का निर्यात न केवल पूर्ण रूप से बन्द किया जाये, अपितु इससे बनने वाली दवाओं के निर्माण के लिये यहां एक कारखाना खोला जाये ।

श्री एस० सी० सिंघल (जिला अलीगढ़) : सभापति जी, मैं अलीगढ़ से आया हूं । मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि अलीगढ़ के लोगों के दुःखों को आपके सामने रक्खूं । अलीगढ़ में लाक और मेटल इन्डस्ट्री बहुत दिनों से चल रही है । उसके सही आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि उस में ५०,००० आदमी काम कर रहे हैं । यह उद्योग देहात में भी है और शहर में भी है । देहात के लोग ताले और धातु के दूसरे सामान बना कर शहर में लाते हैं और बेच जाते हैं, लेकिन अफ़सोस की बात है कि तीन चार साल से इस रोज़गार में बहुत गिरावट आ गई है, कारीगरों की एक बड़ी संख्या बेरोज़गार हो गई है । उनका रोज़गार चल नहीं रहा है । हमारे जिले की माली हालत इस रोजगार पर निर्भर करती है । अगर यह रोजगार अच्छा चलता है तो लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है और इसके साथ साथ और रोजगार भी ठीक तरक्की करते हैं ।

जब कभी हम प्रान्तीय सरकार से उसके बारे में कहते हैं तो वह यह जवाब देती है कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार कार्य-वाही करेगी, लेकिन जब केन्द्रीय सरकार के पास जाते हैं तो वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती है । मैं अपने मंत्री महोदय से प्रार्थना करूगा कि अलीगढ़ बहुत दूर नहीं है : यहां से करीब ८० मील है । अगर वह एक दिन वहां पर जा कर वहां के लोगों को बुला कर उनके दुःख की बात सुन ले और उनके लिये कुछ करें तो इससे, मैं समझता हूं, न केवल एक जिले का ही फायदा होगा बल्कि सारे देश का फायदा होगा । यहां के ताले और धातु का सामान हिन्दुस्तान में ही नहीं बिकता है बल्कि बाहर भी जाता है, जैसे मलाया में, सिंगापुर में, सीलोन में, परशिया में और अफ्रीका में । मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से आप और इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये और उन का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिये कोशिश कर रहे हैं उसी तरह से इस इंडस्ट्री के लिये भी करें । मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे ।

दूसरे हमारे यहां हाथरस एक बड़ा कस्बा है । वहां पर तीन स्पिनिंग मिल्स काम करती थीं और उनमें से हर एक में दो दो हजार आदमी काम करते थे । लेकिन आज दो दो साल से वहां की दो मिलें बन्द हैं । और चार हजार आदमी बेरोजगार फिर रहे हैं, जिससे वहां क्राइम्स बढ़ रहे हैं । प्रान्तीय सरकार से कहते हैं तो वह कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार ठीक करेगी । यहां पर आते हैं तो कह दिया जाता है कि वह इकानिमिक यूनिट नहीं है । लेकिन आपको यह तो देखना चाहिये कि इन मिलों के न चलने की वजह से चार हजार आदमी बेकार मारे मारे फिर रहे हैं और इस वजह से जिले में क्राइम्स बढ़ रहे हैं । उनके लिये आपने क्या सोचा है । मेरा कहना है कि अगर मिलें खराब हो गई हैं उनके खराब होने का कारण यह है कि मिलों के मालिकों का आपस में झगड़ा है और उन्होंने तमाम रुपया बिगाड़ दिया है और उनके पास अब मिल चलाने को रुपया नहीं है । मैं तो चाहता हूं कि सरकार कोई कमेटी मुकर्रर करे या कोई साहब वहां जाय और हालत को देखें । अगर वह मिल चल सकती हों तो उनको चलाने की कोशिश की जाये और अगर वह न चल सकें तो

वहां पर दूसरी मिल चलायी जायें ताकि जो लोग मारे मारे फिर रहे हैं वे काम पर लग सकें ।

दो तीन दिन हुए जिस वक्त कि इंडस्ट्रीज के मसले पर बहस हुई थी तो इस विषय पर हमारे मोहन लाल जी सक्सेना बोले थे । उन्होंने काटेज इंडस्ट्रीज पर बहुत जोर दिया था और मैं समझता हूं कि हम सब को उन पर जोर देना चाहिये । अंडर डेवलेप्ड कंट्रीज में, जहां रोजगार ज्यादा नहीं है, पूंजी की कमी है वहां पर काटेज इंडस्ट्रीज काम दे सकती हैं । लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें देखभाल कर आगे कदम बढ़ाना चाहिये । जो इंडस्ट्रीज आगे डेवलेप हो सकती हैं, जिनमें काम करने वालों की आगे तरक्की हो सकती है और उनकी माली हालत सुधर सकती हो उनको बढ़ाने की तो कोशिश करनी चाहिये, लेकिन जो कौटेज इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिससे कार्यकर्ता की माली हालत नहीं सुधर सके उन पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिये । मैंने हैंडलूम इंडस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ी है । उससे मालूम होता है कि हैंडलूम पर एक आदमी एक दिन में ६ गज कपड़ा बुन सकता है जब कि वह पावर लूम पर ६० गज कपड़ा बुन सकता है । मैं समझता हूं कि अगर कोई मजदूर ६ गज कपड़ा रोज बनाता है तो वह हमेशा गरीब रहेगा । ६ गज कपड़ा बुन कर कोई आदमी अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा नहीं कर सकता है । जब देश का औद्योगीकरण होगा, रोजगार बढ़ेगा तो हाथ के लूम से हटा कर यह लोग पावर लूम पर काम से लगाने पड़ेंगे । जिससे कार्यकर्ता अपनी आमदनी बढ़ाये और अपने रहन सहन को ऊंचा करे ।

एक बात के लिये मैं मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूं । जबसे हमारी पंचवर्षीय योजना शरू हुई है उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट अच्छा किया है । उन्होंने करीब ३५ परसेंट प्रोडक्शन बढ़ा दिया है । लेकिन साथ साथ मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे यहां के लोगों की परचेजिंग पावर वह नहीं बढ़ा सके । आपने जो प्रोडक्शन बढ़ाया है वह ज्यादातर बाहर जाता है । जैसे कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ा है । लेकिन हमारे यहां कपड़े की खपत बहुत कम है । लड़ाई से पहले, सन् १९३९ में हमारे यहां फी आदमी औसतन १६ गज कपड़ा इस्तेमाल करता था । और उस समय हम कपड़ा विलायत से मंगाते थे लेकिन आज जब हम अपने घर पर ही कपड़ा तैयार करते हैं तो भी हमारी कपड़े का औसतन खर्च पौने १५ गज फी आदमी है । बारीक कपड़ा ज्यादातर बाहर जाता है । तो मुझे गवर्नमेंट से यह कहना है कि वह एक और जहां पर प्रोडक्शन बढ़ाती है वहां पर दूसरी ओर जनता की परचेजिंग पावर भी बढ़ावे ताकि यहां का ज्यादातर माल यहां की जनता इस्तेमाल कर सके । अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ाया और उसे बाहर भेज दिया तो वह जनता के क्या काम का रहा ।

दूसरे मैं यह भी चाहता हूं कि इस सोशलिस्टिक इकानामी में हमारा प्रोडक्शन हमारी जरूरत के मुताबिक बढ़े, मांग के अनुसार नहीं ।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

मैं तो कहता हूं कि आप ने जो प्रोडक्शन बढ़ाया है तो आप एक ऐसी योजना भी बनावें कि वह हिन्दुस्तान में खप सके । लेकिन आप सोचते हैं कि हमको एक्सचेन्ज के लिये चीजें बाहर भेजनी चाहियें । मैं भी समझता हूं कि ऐसा करना ठीक है । लेकिन जो चीजें यहां इस्तेमाल हो सकती हैं, जिनकी यहां पर कमी है, उनके लिये तो यह कोशिश होनी चाहिये कि वे यहां बिकें, और जिन चीजों की हम को जरूरत नहीं है, जैसे टी है, काफी है,

[श्री एस० सी० सिंघल]

जिनको यहां पीने की इतनी आवश्यकता नहीं है, उन को आप जितना चाहें एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उनके द्वारा एक्सचेंज कमा सकते हैं ।

दूसरे जो सरकार की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की नीति है उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता । पहले तो सरकार ने केवल पुराने लोगों को ही कोटा दिया था । अब सरकार ने कुछ सहूलियतें दूसरों को भी दी हैं । लेकिन ज्यादातर सहूलियत उन लोगों को ही मिली हैं जो पुराने जमाने से काम कर रहे हैं । आगे नये आदमियों के लिये कोई सहूलियत नहीं हैं । मैं मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि इस सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी में तो गवर्नमेंट को चाहिये कि वह एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम अपने हाथ में ले ले । और अपनी तरफ से इम्पोर्ट भी करे और एक्सपोर्ट भी करे ।

तीसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो कम से कम एक काम करें । वह यह कि बैंक्स और इंश्योरेंस कम्पनीज को नेशनेलाइज कर दें । इनका नेशनेलाइज होना निहायत जरूरी है । ये बैंक जो चल रही हैं वह अपने फायदे की नियत से चल रही हैं, अगर इनको नेशनेलाइज कर के जनता की भलाई के लिये काम में लाया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे देश की बहुत भलाई हो सकती है । ऐसा करने से देश अग बहुत तरक्की करेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब मेरी बातों पर ध्यान देंगे, और कम से कम अलीगढ़ के लिये जरूर कुछ न कुछ करेंगे ताकि वहां की माली हालत जो गिरी हुई है वह ठीक हो सके ।

श्री **कानूनगो** : कटौती प्रस्तावों की अधिक संख्या तथा इन की पिछले वर्ष से तुलना करने से पता चलता है कि सभा का ध्यान छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों की ओर बहुत आकर्षित हो गया है । बहुत से वक्ताओं ने इस संबंध में कहा है परन्तु श्री मोहन लाल सक्सेना ने विशेषतया इसकी आलोचना की थी । मैं केवल इतना चाहता था कि माननीय सदस्य को उन प्रतिवेदनों को पढ़ना चाहिये था जो सभा के सदस्यों को दिये जाते हैं । वह भाषण तो बहुत ही प्रभावशाली था परन्तु तथ्य ठीक नहीं थे । इसका सभी को भली प्रकार ध्यान रखना चाहिये कि छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के विषय का उत्तरदायित्व संविधान के अनुसार राज्य सरकारों पर है । केन्द्रीय सरकार केवल सहायता दे सकती है तथा यह सहायता भी राज्य सरकारों के द्वारा ही दी जा सकती है और इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही भी राज्य ही कर सकते हैं । इसीसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कुछ राज्यों ने पर्याप्त प्रगति की है तथा कुछ ने नहीं ।

१९५३ में केन्द्रीय सरकार ने छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये एक कार्यक्रम बनाया था । सरकार ने इस विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिये तथा उसको राज्यों के सहयोग से कार्यान्वित करने के लिये कई विशिष्ट बोर्ड स्थापित किये हैं । इस प्रकार के बोर्ड हाथकरघा उद्योग, खादी उद्योग, ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, दस्तकारी की देखभाल करते हैं । कुछ दिन पूर्व हुए नारियल जटा उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की देखभाल के लिये एक बोर्ड स्थापित किया गया है । इस कार्यक्रम के परिणाम बताना अभी इसलिये कठिन है क्योंकि इस पर कार्य थोड़े दिनों पहले ही

प्रारम्भ किया गया है। केवल हाथकरघा तथा खादी के सम्बध में कुछ अनुमान किये गये हैं तथा यह अनुमान बड़ा ही सन्तोषजनक है। हाथकरघा का उत्पादन १९५२ में ११,००० लाख गज से १९५४ में १३,३०० लाख गज हो गया है। कुछ दिन पूर्व मद्रास विधान सभा में बताया गया था कि केवल सहकारी संस्थाओं के द्वारा हाथकरघे से बने कपड़े की बिक्री २१ लाख रुपये प्रति माह से बढ़ कर २७ लाख रुपये प्रति माह हो गई है। इसके पश्चात् भी उन्नति होती रही है। इससे पता लगता है कि समस्त देश में हाथकरघे के कपड़े की बिक्री काफी बढ़ गई है क्योंकि आज भी बहुत से बुनकर सहकारी व्यवस्था के आधार पर कार्य नहीं करते हैं।

इसी चर्चा में कुछ टिप्पणियों में इस सम्बन्ध में की गई कि जो बुन कर सहकारी व्यवस्था के बाहर हैं उनके लिये सरकार ने क्या किया है। श्री दामोदर मेनन ने बताया कि उनके अपने लाभ के लिये छोटे बुनकरों का सहकारी व्यवस्था के अनुसार संगठन करना चाहिये इसीलिये सरकार ने समान नीति की घोषणा की है जिसके अनुसार जो बुनकरों को अधिक से अधिक संख्या में सहकारी समितियों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा। जब तक कि सभी बुनकर सहकारी समितियों में नहीं आ जाते तब तक के लिये सरकार ने नीति का इस प्रकार पुनरीक्षण किया है जिससे कि उचित मूल्य वाली दुकानें तथा उपभोक्ता सहकारी समितियां हाथकरघे के कपड़ों में एक रुपये में एक आना का रिबेट दे सकती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब वह किसी से भी कपड़ा खरीदेगी चाहे खरीदार सहकारी समिति की दुकान से खरीदे अथवा किसी अन्य दूकान से। इसीके परिणामस्वरूप इसकी बिक्री अधिक हुई होगी।

यह रिबेट खरीदार को मिलता है और इसीलिये स्वतन्त्र बुनकर भी अपने उत्पादन का अधिकांश माल बेच सकता है।

खादी उद्योग में भी १९५३ के १·४ करोड़ रुपये की तुलना में १९५४ में ३ करोड़ रुपये की बिक्री हुई। यह भी उन्नति है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इन आंकड़ों का अन्य कुटीर उद्योगों के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती। परन्तु नमूना सर्वेक्षण के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है।

सरकार की नीति कुटीर उद्योगों को सहायता देने उत्पादन की प्रविधि को सुधारने में सहायता देने की है। उनको अनेक अच्छे उपकरण दिये जाने, उनको विद्युत् शक्ति को काम में लाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय, तथा जहां तक संभव हो इन उद्योगों को सहकारी व्यवस्था के आधार पर संगठित किया जाये और इसके विक्रय के लिए उपयुक्त विक्रय संगठन स्थापित किये जायें। कुटीर उद्योगों के संबंध में प्रकाशित पुस्तिका से विभिन्न प्रकार के उद्योगों को दी गई सहायता का पता लगता है। १९५४ से अब तक केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के द्वारा ७० लाख रुपया छोट पैमाने के उद्योगों को ऋण के रूप में दिया है। राज्य सरकारों से इस धन का सुविधाजनक शर्तों पर वितरित करने को कहा गया है। केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में हुई हानि के कुछ भाग को वहन करने का वादा किया है। इस कार्य में भी कुछ राज्यों ने अपनी क्षमता तथा संगठन के आधार पर अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्रगति की है। छोट उद्योगों को इस प्रकार की वित्तीय सहायता देने के लिये इसी वर्ष एक निगम की स्थापना भी की गई है जो उत्पादन पद्धति के सम्बन्ध में प्रविधिक सहायता भी देगा। फोर्ड फाउन्डेशन दल की सिफारिशों के आधार पर छोटे उद्योगों के लिये सरकार एक विपणि सेवा निगम की भी स्थापना कर रही है। में यह बता देना

[श्री कानूनगो]

चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग के लिये एक विपणि संस्था जिसके १९० विक्रय डिपो हैं तथा १६ चलती फिरती गाड़ियां हैं, कार्य कर रही हैं। अन्य कुटीर उद्योगों के लिये भी इस प्रकार की व्यवस्था करने की योजना बनाई जा रही है। हथकरघा कपड़े के १९० डिपो के संचालन से प्राप्त हुए अनुभव हमें अन्य वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करने के लिये सहायक होंगे। छोटे छोटे उद्योगों एककों से समूहों की सहायतार्थ एक केन्द्रीय संस्था द्वारा की जायेगी जो कच्चे माल बहुत बड़ी परिमात्रा में खरीदेगी ताकि कुछ कार्यों के लिये केन्द्रीय वर्कशाप की स्थापना करेगी तथा तैयार वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करेगी। हावड़ा में इस योजना के अनुसार कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा केन्द्रीय सरकार ने १४ लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है। पंजाब में इसी प्रकार के संगठनों को साइकिल के पुर्जे बनाने के उद्योग के लिये धन दिया गया है तथा आगरा में जूता उद्योग को सहायता दी गई है।

दूसरी योजना सहकारी समितियों की स्थापना है जिनमें कर्मचारी ही इन सहकारी समितियों के सदस्य होंगे तथा लाभ में अपना भाग पायेंगे। कुछ दिन पूर्व ही इस प्रकार की प्रयोगात्मक औद्योगिक सहकारी समितियां मद्रास में हथकरघा उद्योग के लिये स्थापित की गई हैं। ये तीनों मालाबार में हैं। यह कहा गया था कि मालाबार तथा त्रावनकोर-कोचीन के कुटीर उद्योगों का विशेष ध्यान रखना चाहिये। हमें आशा है कि इन तीन सहकारी समितियों की वर्तमान योजना सफल होगी। तथा राज्य सरकारों को इस प्रकार की सहकारी समितियां बनाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

हैदराबाद में, केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न औद्योगिक सहकारी समितियां बनाने के लिये पांच लाख रुपये की स्वीकृति दी है। त्रावनकोर कोचीन में भी इसी प्रकार की एक योजना चालू कर दी गई है। दियासलाई बनान के कारखाने को चलाने के लिये दिल्ली में एक औद्योगिक सहकारी समिति की स्थापना की गई है। जिसने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। इस सहकारी समिति की विशेषता है कि इस कार्य का कुछ भाग घरों में किया जाता है तथा कुछ विशेष प्रकार के कार्य एक केन्द्रीय कारखाने में किये जाते है। यह एक मनोरंजक प्रयोग है तथा जब यह सफल हो जायेगा तो मुझे आशा है इसका देश के अन्य भागों में अन्य उद्योगों के लिये भी प्रयोग किया जायेगा।

छोटे उद्योगों के बोर्ड ने १९५५-५६ के लिये पांच औद्योगिक कारखाने बनाने का निश्चय किया है। य या तो राज्य सरकारों द्वारा संगठित किये जायेंगे अथवा सहकारी समितियों के द्वारा जो उपयुक्त भूमि ढूंढेगी, भवन बनायेंगी, सड़कें बनायेंगी, तथा पानी, तथा विद्युत् शक्ति की व्यवस्था करेगी और छोटे उद्योगों को भवन किराये पर दे देंगी। सौराष्ट्र सरकार ने इस प्रकार कारखानों के लिये २० लाख रुपये की योजना बनाई है। पंजाब तथा मद्रास सरकारों ने भी इसी प्रकार के औद्योगिक कारखाने स्थापित करने की योजना बनाई है। सौराष्ट्र, पंजाब तथा मद्रास में इस योजना के सफल हो जाने पर ही देश के अन्य भागों में भी इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

कहा गया है कि लघु उद्योग संस्थाओं के संगठन में जिसके सम्बन्ध में सभा को सूचना दी गई थी, पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इन संस्थाओं के लिये उपयुक्त कर्मचारी ढूंढना आसान नहीं है। सौभाग्यवश चारों संस्थाओं के लिये हमें निदेशक तथा कुछ कर्मचारी मिल गये

हैं । जैसे ही उपयुक्त भवन तथा भूमि मिलेगी इन संस्थाओं में कार्य प्रारम्भ हो जायेगी । तथा जैसे ही शाखा संस्थाओं में, जैसी कि एक त्रावनकोर कोचीन द्वारा आयोजित की गई है, कार्य प्रारम्भ हो जायेगा, तो मेरा विश्वास है कि इस उद्योग में अधिक तेजी से प्रगति होने लगेगी ।

जहां औद्योगिक समूहों को एक साथ लाया गया है वहां केन्द्रीय सरकार का विचार उपयुक्त आवास उपनगर बसाने के लिये सहायता देने का है । हाथकरघा उद्योग में यह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । केन्द्र का विचार प्रत्येक मकान की लागत का २५ प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा ५० प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण के रूप में देने का है । यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि इसके सफल हो जाने पर जैसे कि यह एक स्थान पर सफल हो भी गई है, श्रमिकों के निवास स्थान की समस्या अधिकांश रूप से हल हो जायेगी । जो प्रगति हुई है वह यद्यपि दो वर्ष की थोड़ी अवधि को देखे कुछ कम नहीं है । परन्तु फिर भी हमारे देश की विशालता तथा कुटीर उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या पर विचार करते हुए हम अपने प्रयत्न शत प्रतिशत बढ़ाने होंगे जिससे कि कुटीर शिल्पियों तथा राष्ट्र की आर्थिक दशा सुधार सके !

कोई भी शिल्प केवल तभी जीवित रह सकता है जब कि उस शिल्प के द्वारा खरीदारों की मांग पूरी हो सके तथा दस्तकार भी तभी जीवित रह सकता है जब तक कि उसके जीवन यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति उस व्यवसाय से होती रहे । यह तभी हो सकता है जब कि वह अपने उत्पादन के तरीकों से सुधार करे अच्छे औजारों का प्रयोग करे, निर्माण की सुधरी हुई पद्धति को काम में लाये सस्ते कच्चे माल को काम में लाये तथा अपनी वस्तु के मूल्य कम करे । पिछली आधी शताब्दी से देश के विभिन्न भागों के दस्तकार इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं तथा उन को थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है : उदाहरण के लिये बम्बई राज्य में, मदनपुरा के बुनकरों, हावड़ा के धातु का काम करने वाले कर्मचारियों, पेप्सू तथा पंजाब के साइकिल के पुर्जे तथा सिलाई की मशीनों के पुर्जे बनाने वालों ने कड़ी प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक सामना किया है ।

अब मैं कपड़ा जांच समिति की आलोचना के सम्बन्ध में कहूंगा क्योंकि मेरा भी उससे सबंध था । मैं चाहता हूं कि डा० रामाराव ने प्रतिवेदन तथा उस के परिशिष्टों को और ध्यानपूर्वक पढ़ा होता । मैं सभा से जानना चाहता हूं कि क्या वह हाथ करघा उद्योग में कार्य करने वालों की मजूरी बारह आने रहना देना चाहती है । अथवा उनकी दशा सुधारना चाहती है ।

मैं मदनपुर के बुनकरों के सम्बन्ध में कह रहा था । इन आदमियों को काम करते देखना भी एक सुन्दर दृश्य है । उन्होंने स्वयं ही उन्नति की है । उन के पास स्वतः चालित करघे हैं और वे बम्बई नगर म अच्छी से अच्छी मिलों के मुकाबले में काम करते हैं ।

जब हम हाथ करघों की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिय कि हाथ करघा कोई प्रमाणीकृत यंत्र नहीं है । अनक करघों से दिन में दस गज तक कपड़ा तैयार हो सकता है । उनकी भिन्न भिन्न किस्म हैं जिनका निर्माण इन दस्तकारों ने स्वयं किया है ।

यदि सभा यह चाहती है कि दस्तकारों की स्थिति में सुधार हो तो उन्हें अच्छे औजार दे कर उनकी कार्य पटुता बढ़ानी होगी अन्यथा वे सदैव दासता की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे । जब समिति यह कहती है जहां कहीं भी शक्ति उपलब्ध हो सकती हो

[श्री कानूनगो]

वहां उस का उपयोग किया जाय तो इसमें नई बात क्या है ?

श्री जी० एच० देशपांडे ने बम्बई राज्य में मालेगांव तथा अन्य स्थानों पर जो हुआ है उसका उल्लेख किया है। वहां तो बुनकरों ने स्वयं शक्ति चालित करघे लिये हैं। प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार बुनकरों को पृथक पृथक रूप से अपना काम करने देगी या उन्हें किसी फैक्ट्री में नियुक्त कर के मजदूरों की भांति रखा जायेगा। समिति ने सिफारिश की है कि बुनकरों को मजदूरों में परिणत न होने देने के लिये उन्हें अच्छे औजारों आदि को प्राप्त करने की सुविधायें दी जायें।

जब हम बेकारी के सम्बन्ध में कहते हैं जैसा कि श्री देशपांडे ने कहा है, तब हमें कारण भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नासिक के पास मालेगांव, जलगाव आदि स्थानों पर नये करघे काम में लाये जा रहे हैं।

उसके कारण उनका उत्पादन बढ़ गया है आय बढ़ गई है और रोजगार बढ़ गया है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है यह काम अनियमित रूप से हो रहा है और इस सम्बन्ध में समिति ने कहा है कि इसके लिये इस प्रकार की योजना बनाई जाय जिससे कि बुनकरों को केवल बारह आने रोज ही न मिले बल्कि उन की दशा भी सुधर सके।

डा० रामा राव : प्रतिवेदन में यह दिया गया है कि प्रथम पांच वर्षों में १.२५,००० व्यक्ति बेरोजगार हो जायगे।

श्री कानूनगो : हां, किन्तु समिति ने अनुमान लगाया है कि १३,००० लाख गज कपड़े के उत्पादन के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को वर्ष में केवल २०० दिन के लिये ही काम मिलेगा।

श्री एस० वी० रामास्वामी : यह सच नहीं है। लोगों को तो महीने में दस दिन भी काम नहीं मिलता।

श्री कानूनगो : यह तो समिति ने औसत बताया है। उसने कहा है कि उन्हें अच्छी मजूरी के साथ साथ ३०० दिन काम दिया जाये। समिति ने दूसरी सिफारिश यह की है कि कपड़ा बुनने का उद्योग का वस्त्र विकास समस्त विकास कार्य विकेन्द्रिकृत एककों के लिये सुरक्षित रहना चाहिये। जिससे कि १६,००० लाख गज वस्त्र के अतिरिक्त उत्पादन के लिये केवल, १,२५,००० ही नहीं बल्कि उससे दूने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त व्यापार के अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ेगा जिस के बारे में मैं अन्य किसी अवसर पर कहूंगा। मैं चाहता हूं कि डा० रामा राव प्रतिवेदन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

श्री मेघनाद साहा : आप नये मंत्री की बात करते हैं। क्या आपने नवीन मशीनों को बुनकरों को क्रयावक्रय प्रणाली पर देंने की योजना बनाई है ?

श्री कानूनगो : यदि सभा समिति के सुझावों को को मान लेती है तो हम माननीय सदस्य की बात को व्यवहार में ला सकते हैं।

मैं समिति के प्रतिवेदन पर विस्तार में नहीं कहना चाहता किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि केवल बनाई उद्योग में ही नहीं अपितु समस्त उद्योगों में जब तक कर्मकरों के पास अच्छे औजार न हों, उसके उत्पादन के तरीके सुधारे हुए न हों, वह उन्नति नहीं कर सकता। इस क्षेत्र में पिछले पचास वर्षों से हमारे देशवासी यथासंभव प्रयत्न कर रहे ह और सफल हो रहे हैं। गत पचास वर्षों में बुनाई के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है

उसे जानना भी एक अच्छा रुचिकर विषय है। दुर्भाग्यवश हमने बहुत कम उन्नति की है जिससे सिद्ध होता है कि यदि उत्पादकों को उचित सुविधायें दी जाय तो वे प्रत्येक स्थिति में आत्मनिर्भिर रह सकते हैं। सरकार यही चाहती है। यही बात फोर्ड फाउन्डेशन दल ने अपने प्रतिवेदन में कही है।

कुटीर उद्योगों के उत्पादनों को केवल अधिक पूंजी वाले वृहत्त उद्योगों के उत्पादन का ही नहीं बल्कि पारस्परिक होड़ का भी सामना करना पड़ता है। उड़ीसा का बुन कर आन्ध्र के बुन कर से असन्तुष्ट रहता है क्योंकि वह सस्ता और अच्छा कपड़ा तैयार करता है। इसी प्रकार बिहार और अलीगढ़ के ताले बनाने वालों में होड़ रहती है फिर भी यह सिद्ध हो चुका है कि अच्छे प्रबन्ध से दक्षिण भारत की एक सहकारी संस्था १९५३ में सूती मिलों से मुकाबले में अपना कपड़ा सफलता से बेच सकी है। इतना ही नहीं उसने अपने सदस्यों को बिजली, पानी, मकान और शिक्षा की सुविधायें प्रदान की हैं।

अन्य उद्योगों के उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। फिर भी ऐसे उदाहरण अधिक नहीं हैं। अलीगढ़ वाले माननीय सदस्य ने वहां के तालों के उद्योग का जिक्र किया है। निस्सन्देह इस क्षेत्र में उनकी सर्वश्रेष्ठ ख्याति है और उन की उन्नति के लिये उत्तर प्रदेश सरकार यथाशक्ति प्रयत्न कर रही है किन्तु इसमें कठिनाई यह है कि इसको चलाने वाले अधिकतर व्यक्ति निर्धन हैं जो सस्ते दामों पर कच्चा माल नहीं खरीद सकते हैं और अनेक उत्पादक तो घटिया माल को बढ़िया बता कर चलता कर देते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना के अनुसार जिसमें वह स्वयं अच्छी वस्तु पर चिन्हांकन करेंगे, अलीगढ़ के तालों का उद्योग अवश्य उन्नति करेगा।

अतः यह निश्चित है कि प्रबन्ध अच्छा होने पर कुटीर उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न उद्योगों के प्रगति की गति भी भिन्न भिन्न होंगी। उचित प्रणालियां ढूंढ़ने में हो सकता है कि हमसे भूलें हों, किन्तु अन्त में हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हमें स्मरण रखना चाहिये कि उत्पादन की कोई प्रणाली तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उससे उपभोक्ता को अच्छी किस्म की वस्तु उचित मूल्य पर न दी जाय। उपभोक्ता इस बात की चिन्ता नहीं करता कि यह वस्तु फैक्टरी में बनी है या किसी झोंपड़ी में। उसे तो अच्छी वस्तु चाहिये। अतएव कुटीर उद्योग को इतना कार्य पटु बनाने के लिये कि वह प्रति स्पर्धा का सामाना कर सकें, उसे काफी सुविधायें तथा सहायता देने की जरूरत है। इसी प्रकार उपभोक्ता को भी वृहत् जनसंख्या तथा राष्ट्र के हित में अपनी पसन्द के विषय में कुछ त्याग करना होगा। सहायता देने के कुछ ढंग मैं ने पहले बताये हैं जैसे कुटीर उद्योगों के उत्पादन में सुधार के लिये सहायता देना, उन्हें अच्छा माल देना, उन्हें सहकारी समितियां बनाने के लिये प्रोत्साहन देना आदि। इसी प्रकार मिलों में कुछ सीमित प्रकार के वस्त्र बनवाने, मिलों में नये करघों की अनुमति न देने, चमड़े के सामान की फैक्टरियां न खोलने देने, बड़े बड़े निर्माणकारी समवाय न बनाने देने, खेती के विशेष प्रकार के औजारों के कारखाने न खुलने देने आदि तरीके भी काम में लाये जा सकते हैं। उत्पादन शुल्क में अन्तर करने से भी कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्त्र, साबुन जूते, दियासलाई कागज आदि वस्तुओं में लाभ हुआ है।

मेरा तो यह विश्वास है कि हस्तशिल्पकला का सुचारु प्रबन्ध करने एवं प्रविधिक प्रणालियों को लागू करने से कुछ समय बाद

[श्री कानूनगो]

कर्मकारों को सहायता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी बल्कि हमारी वृहत् जनसंख्या कम खर्च कर के अपने उत्पादन को आसानी से यथेष्ट बढ़ा सकेगी। यद्यपि इससे रोजगार देने के रूप में परिवर्तन हो जायेगा किन्तु अकर्मण्यता का निवारण करने से हमारे सामने अधिक से अधिक रोजगार देने का मार्ग खुल जायेगा ।

अन्त में मुझे कहना है कि पिछले दो वर्षों में सरकार के प्रयत्न कई गुना बढ़ गये हैं। १९५३ में इस सम्बन्ध में कुल ५० लाख रुपये व्यय किये गये थे। १९५३–५४ और १९५४–५५ में इसके लिये क्रमशः ५ करोड़ ८४ लाख और ९ करोड़ ७२ लाख रुपये व्यय किये गये। १९५३ से केन्द्रीय सरकार ने १५ करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस विषय में समस्त राज्यों द्वारा व्यय की गई ६ करोड़ ३० लाख की राशि से कहीं अधिक है। केन्द्रीय सरकार ने तो अपने दायित्व से भी अधिक कार्य किया है।

डा० लंका सुन्दरम् : आप तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं।

श्री कानूनगो : यह काम तो मुख्यतया राज्य सरकारों का है फिर भी भारत सरकार ने गत दो वर्षों म इसके लिये जो व्यय किया है उसकी तुलना में राज्यों द्वारा किया गया कुल व्यय आधे से भी कम है।

कुमारी एनी मैस्करीन (त्रिवेन्द्रम्) : औद्योगिक प्रगति सम्बन्धी नीति के समर्थन में माननीय उपमंत्री द्वारा प्रस्तुत तर्क मैंने बहुत ध्यान से सुने हैं। मैं सरकार द्वारा किये गये सुधारों की प्रशंसा करती हूं किन्तु साथ ही म गत आठ वर्षों के व्यापार और वाणिज्य का सर्वांगीण चित्र आप के सम्मुख रखना चाहती हू। वास्तव में अनेक उद्योग चालू किये गये हैं। किन्तु मेरा सम्बन्ध इस विषय से है कि गत आठ वर्षों में अपनाई गई उद्योग और वाणिज्य सम्बन्धी नीति देश के वित्तीय साधनों में वृद्धि करने में कहां तक सहायक हुई है और क्या हमको मिल रही विदेशी सहायता के बावजूद उद्योग और वाणिज्य ने देश का खून चूसा है। सरकार द्वारा दिये गये तथ्यों और आंकड़ों से सारे चित्र को ठीक ठीक समझने के लिये, मैं भारत में विदेशी व्यापार और नौवहन सम्बन्धी १९५५ की पुस्तक में सरकार द्वारा दिये गये विवरणों से सरकार को यह बताना चाहती हूं कि आयात-निर्यात व्यापार में देश के धन में वृद्धि नहीं हुई है। १९५३ से १९५४ तक १,९४७ लाख रुपये का और १९५५ में १११४ लाख रुपये का कम निर्यात हुआ है। इससे यह दिखाई पड़ता है कि हमारा निर्यात घटता जा रहा है। इस प्रकार निर्यात से आयात अधिक है जो राष्ट्रीय धन के लिये हानिकारक है। अतः इस मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि वह उन दशाओं का परीक्षण करे जिनके कारण इस प्रकार के परिणाम निकले हैं।

विदेशी सहायता के सम्बन्ध में, मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूं कि इस तथ्य के बावजूद कि हमें शिल्पिक सहायता प्राप्त हुई हैं, हमारे औद्योगिक साधनों का विकास हुआ है और हमारी खाद्य समस्यायें दूर हो गई हैं, फिर भी हम जितनी ही अधिक विदेशी सहायता लेंगे, उतनी अधिक वह हमारे साधनों के लिये हानिकारक होगी। इस अवसर पर मैं गत कुछ वर्षों में देश द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रिया का स्मरण दिलाती हूं जब कि मुगलकाल से ब्रिटिश युग तक देश के धन का शोषण किया गया और अब भी विदेशी सहायता के रूप में अधिक सुदृढ़ उपायों से वह कार्य जारी है।

अतः सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि वाणिज्य और व्यापार को इस प्रकार संचालित किया जाये जिससे कि हमारा सारा धन अन्तर्राष्ट्रीय निधियों में न चला जाये ।

. अब प्रश्न यह है कि क्या वे देश जो हमें शिल्पिक परामर्श देकर हमारी सहायता करते हैं, अपने देशों में हमारे निर्यात को प्रोत्साहन देते हैं ? इस पुस्तक में दिये गये आंकड़ों से यह दिखायी पड़ता है कि वे प्रोत्साहन नहीं देते । राष्ट्र मंडलीय देशों से हमारे संबंध होने के कारण उन देशों के वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश के लिये हमें पर्याप्त निर्यात प्राप्त हुआ है । पृष्ठ २० पर दिये गये वर्णन से यह दिखाई पड़ता है कि अमरीका से आयात बढ़ रहा है । मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि व्यापार संबंधों का संतुलन बराबर करने के लिये ऐसे उपाय क्यों काम में नहीं लाये गये हैं जिनसे कि राष्ट्रमंडलीय देशों में और अमरीका में हमारी चीजों के लिये बाजार मिले । पृष्ठ २४ पर दिये गये वर्णन से यह दिखायी पड़ता है कि राष्ट्रमंडलीय देशों को किये गये कुल निर्यात ने हमें अवश्य कुछ प्रोत्साहन दिया है किन्तु अमरीका ने हमारे निर्यात को प्रोत्साहन नहीं दिया है । १९५२ में अमरीका को हमारा निर्यात ९३ करोड़ डालर का था किन्तु १९५४ के अन्त में वह केवल ११ करोड़ डालर का रह गया । अफ्रेशियाई देशों ने गत तीन वर्षों में हमारे निर्यात को प्रोत्साहन दिया है । अतः सरकार इस बात की जांच करे कि कौन हमारे सच्चे हितैषी हैं और हमारे व्यापारिक संबंधों को प्रोत्साहन देते हैं ।

अब मेरे अपने राज्य के सम्बन्ध में, त्रावनकोर-कोचीन केन्द्र को ५० करोड़ रुपये का अंशदान देता है किन्तु प्रति दिन बढ़ती हुई बेरोजगारी के सिवा हमें उस के बदले में कुछ नहीं मिलता ।

झींगा मछलियों के सम्बन्ध में, माननीय उपमंत्री ने कहा कि उनका देश में ही अधिक उपभोग किया जाये । इस व्यापार से इस देश को ब्रह्मा से साढ़े तीन करोड़ रुपये मिलते हैं । विदेशी विनिमय की दर के निर्धारित न होने के कारण ब्रह्मा सरकार ने व्यापार संबंध अनिश्चित काल के लिये निलम्बित कर दिय है । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय अथवा विदेश मंत्री यथासम्भव शीघ्र इस विषय का निपटारा कर दें । इससे बारह लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा ।

माननीय मंत्री ने देश के कुटीर उद्योगों का निर्देश किया है । मैं माननीय मंत्री को बताना चाहती हूं कि विदेशी आयातों को प्रोत्साहन दिये जाने के कारण भुगतान संतुलन घटता जा रहा है । त्रावनकोर-कोचीन राज्य में अनेक उद्योग घाटे में चल रहे हैं । जब मैंने अगली पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये ऐसे उद्योगों की सूची दी थी तो मुझे यह उत्तर मिला था कि वह सरकार की ओर से आनी चाहिये । अतः मेरा यही कहना है कि सरकार त्रावनकोर-कोचीन राज्य में उद्योगों के विकास के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करे ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : जहां तक निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने बहुत सफलतापूर्वक सरकार की औद्योगिक नीति को कार्यान्वित किया है । किन्तु केवल कुछ ही निजी क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया गया है और अन्य निजी क्षेत्रों की जिनमें लाखों आदमी काम कर रहे हैं, उपेक्षा की गई है । मैं प्रतिवेदन पर बोलना चाहता था । किन्तु वाणिज्य उपमंत्री के स्पष्टीकरण से मुझे गावों में काम करने वाले छोटे छोटे क्षेत्रों के बारे में कुछ कहना अनिवार्य हो गया है । वाणिज्य उपमंत्री हमें इस आर्थिक सिद्धान्त की याद दिलाते हैं

[श्री झुनझुनवाला]

कि देश में सस्ते और अच्छे किस्म के माल के लिये ही बाजार मिलेगा। हमने इस सिद्धान्त के बारे में बहुत सुना है किन्तु जहां तक भारत की दशा का सम्बन्ध है, यह सिद्धान्त यथार्थ नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार ने अब यह समझ लिया होगा कि यह सिद्धान्त भारतीय दशाओं पर लागू नहीं होता है। यदि मंत्रालय अब भी इसी सिद्धान्त पर अड़ा रहे तो बड़े दुःख की बात होगी।

वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है और ३१ करोड़ रुपये का अधिक निर्यात हुआ है। किन्तु इससे देश के करोड़ों लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन जनता की गरीबी दूर करने का कोई हल नहीं है। यह सभी ने मान लिया है कि देश में क्रय शक्ति का एक सा प्रवाह नहीं है। इतना ही नहीं, जो भी क्रयशक्ति, गरीबों के पास थी, उसे गांवों में विदेशी माल और मिल की बनी वस्तुओं के संभरण ने समाप्त कर दिया है। मैंने सुना है कि सरकार बेरोजगारी का कोई नमूना सर्वेक्षण करने जा रही है। मैं सरकार से कहूंगा कि वह इधर उधर कुछ मजदूरों को ले कर ही सर्वेक्षण न करे बल्कि गांवों में जाये और यह देखे कि वहां कितनी बेरोजगारी है, लोगों की दैनिक कमाई कितनी है और कितने लोग रात को बिना खाना खाये सो जाते हैं।

हम यह कहते गर्व का अनुभव करते हैं कि रहन सहन के स्तर में वृद्धि हुई है किन्तु यह इतनी साधारण बात नहीं है और सरकार इस विषय में अधिक गम्भीरता से विचार करे। जनता की गरीबी दूर करने के लिये यदि योजना आयोग कोई अच्छी योजना बनाना चाहे तो वह गांवों में जाकर रहे और वहां की दशाओं का अध्ययन करें तभी वह कोई अच्छी योजना बना सकेगा और तभी उसे इस सिद्धान्त की यथार्थता का अनुभव होगा कि सस्ती और अच्छी किस्म की वस्तुओं का ही बाजार में विक्रय हो सकेगा।

हमें बराबर विदेशों का स्मरण दिलाया जाता है कि बड़े उद्योगों के कारण ही उन्होंने विकास किया है और इसलिये हमें उन का अनुकरण करना चाहिये। यह कथन गुमराह करने वाला है। एक दिन माननीय गृह मंत्री ने भारत के और अन्य देशों के अपराधों के आंकड़े बताये थे किन्तु ये आंकड़े भी गुमराह करने वाले हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि भारतीय पुलिस बिल्कुल कार्यक्षम नहीं है और यहां अपराध दर्ज ही नहीं किये जाते हैं इसी प्रकार सरकार द्वारा दिलाई गई आशायें कि बड़े उद्योग हमारी समस्याओं को सुलझायेंगे निरर्थक है। श्री सक्सेना ने कहा कि यह विश्वास का प्रश्न है। इसमें विश्वास और अविश्वास का कोई प्रश्न नहीं है। यह स्पष्ट सत्य है कि इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था से भारत की समस्या नहीं सुलझेगी।

डा० कृष्णास्वामी (कांचीपुरम्): मैंने बड़ी दिलचस्पी से माननीय उपमन्त्री के उस सिद्धान्त को कि छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास किस प्रकार किया जाना चाहिये ध्यानपूर्वक सुना। मैं इस समय उन तर्कों, की विवेचना नहीं करना चाहता। यहां मैं राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का निर्देश करना चाहता हूं। मेरे विचार से सभा इस बात से सहमत होगी कि इस प्रकार के अधिक से अधिक अभिकरण होने चाहिये परन्तु हमें यह ज्ञात होना चाहिये कि प्रत्येक कृत्य क्या हैं, उन के कृत्य परस्पर अतिवादी तो नहीं हैं। और क्या वह अपने उद्देश्यों को कार्यान्वित कर सकने की स्थिति में हैं आज की आर्थिक आवश्यकता यह है कि उद्योगों में अधिक पूंजी लगाई जाय। म आशा करता हूं

कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम न केवल वाणिज्यिक विचारों को, बल्कि देश के प्रादेशिक औद्योगिक विकास जैसी कल्याणकारी विचारधारा को ध्यान में रख कर अपना उद्देश्य अधिक अच्छी तरह पूरा कर सकेगा। कभी कभी मेरे माननीय मित्र यह कहते हैं कि प्रादेशिक औद्योगिक विकास की इन समस्याओं पर विचार करना आवश्यक नहीं है। अतः मैं इस प्रश्न से संगत मूलभूत बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जिससे कि मैं सरकारी दल के अपने मित्रों से नीति का स्पष्टीकरण करा सकूं।

अभी तो हमारा आर्थिक दृष्टिकोण केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक ही सीमित है जहां भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। मेरे माननीय मित्र वाणिज्य मंत्री ने इस देश में ५० से ६० औद्योगिक नगर बसाने का सुझाव दिया था किन्तु जब तक हम उद्योगों के स्थापित किये जाने से सम्बन्धित अपनी पुरानी कल्पनाओं का पुनरीक्षण नहीं करते तब तक ये औद्योगिक नगर किस प्रकार स्थापित हो सकते हैं। उद्योगों और नगरों के स्थानीयकरण के सिद्धान्तों पर पहले की अपेक्षा आज अधिक अच्छी तरह विचार करने की आवश्यकता है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भौतिक संसाधनों का वितरण कभी एकसा नहीं होगा और यही बात दुनिया के विभिन्न भागों में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है किन्तु इससे आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध नहीं हुई है। मैं अपने माननीय मित्रों को जो बात बताना चाहता हूं वह यह है कि उद्योगों को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करते समय न केवल भौतिक संसाधनों का विचार करना चाहिये वरन् मानवीय संसाधनों का भी विचार करना चाहिये जो आर्थिक विकास की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नही है। मैं यह मानता हूं कि भारत एक आर्थिक इकाई है किन्तु हमें इस तर्क की परिसीमाओं पर भी विचार करना होगा। हमें इस देश के बड़े आकार और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की दूरी का भी ध्यान रखना होगा। मैं आशा करता हूं कि यह स्वीकार किया जायेगा कि दक्षिण में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मानवीय साधन उन प्रदेशों के संसाधनों की तुलना में अधिक बुरे नहीं हैं। जहां कि नये उद्योग चालू किये जायेंगे। अतः इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना अत्यावश्यक है। दूसरे दृष्टिकोण से इससे आर्थिक अवसर भी एक से मिलेंगे। एक मामले में, भारत सरकार ने इस सिद्धान्त में कुछ शिकायत की है कि सूती वस्त्र की नयी मिल बम्बई और अहमदाबाद से बाहर यथासम्भव स्थापित की जाये। इस सिद्धान्त को और आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के जरिये सरकारी क्षेत्र को उद्योग स्थापित करते समय अधिक आर्थिक अवसरों पर, जो नई इकाईयों की स्थापना से उत्पन्न होंगे, विचार करना होगा। अतः मानवी साधनों की समस्या की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में विशेषकर योजना विभाग के अपने दृष्टिकोण में सुधार करना होगा।

कभी कभी माननीय सदस्य यह सुझाव देते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिम देय के सम्बन्ध में सोचना संकुचित विचार धारा है। किन्तु जब हम इतने बड़े देश के विकास का विचार करते हैं जहां के विभिन्न प्रदेशों में बहुत बड़ी असमानता पायी जाती है तो हम तब तक किसी दृढ़ आधार पर एकता निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि विभिन्न प्रदेशों की आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिये कोई ठोस नीति न हो। मैं आशा करता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री इनमें से कुछ पहलुओं पर विचार करते समय पिछड़े हुए क्षेत्रों की आर्थिक

[डा० कृष्णास्वामी]

आवश्यकताओं पर विचार करेंगे और ऐसे उपायों को काम में लायेंगे जिससे कि कल्याण में उत्तरोत्तर वृद्धि हो ।

श्री एस० सी० देव (कचार-लुशाई पहाड़ियां) : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस वाद विवाद में भाग लेने का अवसर दिया । १९५४ में उत्पादन में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि और अनुकूल आयात निर्यात व्यापार अन्तर के लिये मैं माननीय मन्त्री को भी धन्यवाद देता हूं । मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये भी कोई ऐसी विशेष अवस्था की जानी चाहिये । जिससे कि उनका विकास इस प्रकार किया जा सके कि बड़े उद्योग द्वारा उनके साथ प्रतियोगिता न की जा सके ।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान आसाम के चाय बागानों की ओर आकर्षित करता हूं । यद्यपि सरकार को चाय से अच्छी आय प्राप्त होती है फिर भी वहां की स्थिति अच्छी नहीं है । वास्तविक स्थिति यह है कि विदेशी कम्पनियां हम भारतीयों को, जो सच्चे हालात नहीं जानते हैं, बहुत ऊंचे मूल्य पर चाय के बगीचे बेच रही हैं । कचार जिले में तो स्थिति और भी बुरी है । मेरे जिले में चाय बागान क्षेत्र में लगभग ७५,००० एकड़ भूमि है जिसमें से १५,००० एकड़ भूमि में कोई उपज नहीं होती । शेष ६०,००० एकड़ भूमि में ४५,००० एकड़ भूमि पर लगे बागात ६० साल पुराने हैं । अतः उनको विशेष प्रतिस्थापन और पुनर्वास और इसी सम्बन्ध में अपेक्षित अन्य सुधारों की आवश्यकता हैं । किन्तु चाय बागानों के मालिक इसके प्रति उदासीन हैं । और इस प्रकार सारे उद्योग का तेजी से ह्रास हो रहा है ।

७५ हजार एकड़ में से केवल १५ हजार एकड़ लाभप्रद हैं । यदि यही स्थिति रही तो यह उद्योग बिल्कुल चौपट हो जायेगा ।

योरूपीय लोग अपने चाय बागान अपने अंश मल्य २५ गुनेमूल्य पर बेचने में लग हुए हैं । इस प्रकार हमारे देश को घाटा हो रहा है क्योंकि जो लोग आज इतने भारी मूल्य पर इन चार बागानों को क्रय कर रहे हैं कल जब चाय के बाजार में भाव गिरेंगे तो उनको घाटा होगा १९५२ के संकट से हम परिचित हैं । चाय बागानों में १६०,०००,००० मजदूर काम कर रहे हैं । और आर्थिक संकट आने पर इनमें से अधिकांश बेकार हो जायेंगे । इसलिये सरकार को चाय के मूल्य पर नियंत्रण करना चाहिये । यदि सरकार इस उद्योग की रक्षा करना चाहती है तो सरकार को चाहिये कि वह इस में लगी हुई सारी अंश पूंजी को क्रय कर ले । सरकार को चाहिये कि अंश-मूल्य पर ध्यान देते हुए जितना बाजार भाव है उसी हिसाब से इन के मूल्य का भुगतान करे ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : यह बात माननी पड़ेगी कि चालू वर्ष में मंत्रालय ने अच्छा काम किया है ।

हमारे देश के निर्माण संयंत्रों की उपयोग में न आने वाली क्षमता का प्रयोग करने में बहुत उन्नति हुई है । कहा जाता है कि मोटर कारों की मांग कम होने के कारण इस उद्योग की उन्नति अवरुद्ध हो गई है । यातायात के साधनों में उन्नति होने से हमारे आर्थिक संगठन को बल मिल सकता है इसलिये सरकार को यह नहीं करना चाहिये कि कुछ व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिये मोटर कार उद्योग को बढ़ाने की आवश्यकता पर ध्यान न दें ।

यह मानना पड़ेगा कि निर्यात को प्रोत्साहन देने में वास्तविक परिवर्तन-

शीलता का परिचय दिया गया है। निर्यात ऋण प्रत्याभूति योजना जब प्रस्तुत की गई थी तो यह कहा गया था कि इस योजना में भय इस बात का है कि इससे भारत के निर्यातकों को इतनी सहायता नहीं मिली है, जितनी आयात कर्त्ता विदेशियों को मिली है। अच्छा होता कि इस सम्बन्ध में हम उसी योजना की नकल न करते जो इंगलैंड ने अपनाई है। इस प्रकार बहुत सी शंकायें जो इस योजना को ले कर उत्पन्न हो गई हैं निर्मूल हो जायेंगी।

छोटे पैमाने के तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये आठ करोड़ रुपये से कुछ अधिक ऋण तथा अनुदानों के रूप में दिया गया है। कहा गया है कि हाथकरघे के संबंध में ठीक ठीक आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। यह बात भी स्वीकार की गई है हाथकरघे के उत्पाद, जिनका हम निर्यात करते हैं, प्रमाणित प्रकार के नहीं होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि मंत्रालय ने कपड़े के डिजायनों करघे के भागों तथा अन्य उपकरणों के सम्बन्ध में गवेषणा करने की योजना को आगे क्यों नहीं बढ़ाया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हाथकरघा उत्पादों के लिये मान्यीकरण अनिवार्य क्यों नहीं किया गया है। मैं समझता था कि हाथकरघा बोर्ड ने अभी उस योजना में भी हाथ नहीं लगाया है जिसके अनुसार आवास निर्माण का प्रबन्ध करन वाली बुनकर सहकारी समितियों को उपकर निधि से सहायता दिये जाने का उपबन्ध किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय चूंकि हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र का प्रभारी है इसलिये उसे निर्माण आवास और संभरण मंत्रालय द्वारा संचालित औद्योगिक आवास योजना में भी अपनी अभिरुचि दिखानी चाहिये। मैं मानता हूं कि यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का प्रत्यक्ष दायित्व नहीं है परन्तु जिस प्रकार मंत्रालय ने गैर-सरकारी समवायों पर दबाव डाल कर सेवाओं के भारतीय करण में सफलता प्राप्त की है, उसी प्रकार यदि मालिकों पर कुछ दबाव डाला जाय तो औद्योगिक आवास योजनायें भी सफल हो सकती हैं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि औद्योगिक विकास योजना म जितना धन लगेगा उसका २५ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार अनुदान के रूप में देगी, फिर भी हमारे उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र के मालिकों ने उस योजना से लाभ नहीं उठाया है।

जब हम विभिन्न बोर्डों के प्रतिवेदनों पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि हाथकरघा बोर्ड का कार्य तो वास्तव में प्रशंसनीय रहा है परन्तु ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्य ऐसा नहीं रहा है। पर्याप्त सरकारी सहायता से अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोड ने खादी उद्योग के विकास के लिय बहुत कुछ किया है, परन्तु अन्य ग्रामोद्योगों का जहां तक संबंध है इस बोर्ड ने कुछ नहीं किया है। एक खादी तथा ग्रामोद्योग अर्थशास्त्र समिति औद्योगिक क्षेत्र के बड़े बड़े व्यक्तियों को ले कर बनाई गई है परन्तु इस समिति ने भी कोई कार्य नहीं किया है।

इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाये गये विभिन्न बोर्डों ने विदेशी विपणन तथा अन्तर्देशीय बाजारों के विकास के सम्बन्ध में विस्तृत प्रचार कार्यक्रम बनाये हैं। बम्बई में एक ग्रामोद्योग भवन पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयोजन से खोला गया है। इस प्रदर्शनालय में तथा अन्य प्रदशनालयों में जो कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं वे यंत्रवत् कार्य करते हैं। उनमें वह स्फूर्ति तथा उत्साह नहीं है जिस की कि ऐसे कार्य के लिये आवश्यकता है।

श्री कजरोल्कर (बम्बई नगर उत्तर रक्षित अनुसूचित जातियां) : सभानेत्री

[श्री कजरोल्कर]

जी, आपने मुझे जो टाइम दिया है इस के लिये मैं आप का आभारी हूं ।

आज हमारी जो इंडिस्ट्रयल पालिसी है और उसके अन्तर्गत जो हमारे हरिजनों की चमड़े की इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ मैं बोलना चाहता हूं । इस मिनिस्ट्री ने बहुत से बोर्डस् और कमेटियां बनाई हैं, उन का नम्बर कम से कम ३५ है, लेकिन हमारी लेदर इंडस्ट्री के लिये अभी तक उस ने कोई कमेटी या बोर्ड नहीं बनाया है । मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री को बहुत कम महत्वपूर्ण समझा जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि यह लेदर इंडस्ट्री बड़ी भारी इंडस्ट्री है और जहां तक मैं समझता हूं काटन इंडस्ट्री के बाद ही इसका स्थान है, लेकिन इसके ऊपर सरकार का जैसा ध्यान जाना चाहये वह नहीं जाता है । जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री है और जिसके लिये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है, उसी तरह एक लेबर इंडस्ट्री बोर्ड भी बनना चाहिये । और उस बोर्ड के सामने जो हमारी कठिनाइयां हैं और जो स्माल स्केल लेदर इंडस्ट्रीज की कठिनाइयां हैं उनको रखना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कल चमड़े के धन का बहुत वेस्ट हो रहा है । आप जानते हैं कि यदि किसी के यहां भैंसें मर जाती हैं तो उनके उठाने के लिये हरिजनों और चमारों को बुलवाया जाता है । उन लोगों से कहा जाता है कि तुम इसको घसीट कर ले जाओ और चमड़ा निकालो । इससे बहुत से हरिजन भाइयों ने समझा कि चूंकि हम लोग इस धंधे को करते हैं इसलिये हम को अछूत समझा जाता है और उन्होंने चमड़ा निकालना छोड़ दिया । इस कारण से हमारा बहुत सा धन वेस्ट हो जाता है । बहुत से लोग गाय को माता कहते हैं, देवी कहते हैं, वह उसके मरने के बाद उस का काम करने के लिये तैयार नहीं होते हैं । वह कहते हैं यह हमारा काम नहीं है । यह तो चमार का काम है, भंगी का काम है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप इसके लिये एक कमेटी बनाइये जो कि यह देखे कि हमारा धन वेस्ट न होने पाये ।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्माल लेदर वर्क्स हैं उनको सुविधायें मिलनी चाहिये । उन के पास पैसा नहीं है, आज कल जो धंधे हैं वह बड़े बड़े लोगों, कैपिटलिस्टों के हाथ में हैं । मैं प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ मैंने स्माल लेदर इंडस्ट्री के बारे में कहा है, उस पर सरकार ध्यान दे और उनकी मदद करे । अभी बम्बई गवर्नमेंट और यू० पी० और मद्रास गवर्नमेंटों ने भी इस के बारे में कुछ प्रगति की है, लेकिन बहुत सी और जगहें भी हैं जहां पर लेदर इंडस्ट्री है और उनकी ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार लेदर इंडस्ट्री बोर्ड जरूर नियुक्त करे ।

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) : इस मंत्रालय के अधीन प्रायः सम्पूर्ण गैर-सरकारी क्षेत्र हैं । यदि हम औद्योगिक उत्पादन के देशनांक देखें तो हम पायेंगे कि दिसम्बर १९५४ में, उत्पादन १६२·३ था जब कि दिसम्बर १९५३ में केवल १४४·७ था ।

एक माननीय सदस्य ने आज ही कहा है कि मंत्रालय का गत वर्ष का कार्य तो बहुत अच्छा रहा था परन्तु दिसम्बर से मंत्रालय में उतनी सतर्कता नहीं दिखाई देती है जितनी कि पहिले थी ।

वास्तव में बात यह है कि गत वर्ष एक ऐसा वातावरण बन गया था कि देश में

विश्वास बढ़ रहा था और लोग उत्पादन बढ़ाने के लिये नये उद्योग स्थापित करने की बात सोचते थे जहां तक विदेशी भी इस देश में दिलचस्पी लेने लग गये थे, परन्तु दिसम्बर के बाद से वह सारा वातावरण बदल गया । प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित है, पता नहीं कि भविष्य में कैसी नीति अपनाई जायेगी ।

मैं एक दो रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं । आय-व्ययक पर बोलते समय मैंने कहा था कि कृषि उत्पादकों के मूल्य गिर रहे हैं । इसलिये औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों को भी गिरना चाहिये । औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में ५० प्रतिशत कृषि वस्तुओं अर्थात् कच्ची सामग्री के मूल्य होते हैं । २५ या ३० प्रतिशत मजूरी होती है तथा ३० प्रतिशत कर, लाभ इत्यादि होते हैं । यदि औद्योगिक मूल्यों को घटाना है तो इनमें परिवर्तन करना आवश्यक होगा, परन्तु जैसे ही वैज्ञानिकन का सुझाव दिया जाता है चारों ओर से उसका विरोध होने लगता है । जब मजूरी सम्बन्धी व्यय को घटाने की बात आती है तब भी इसी प्रकार विरोध किया जाता है । फिर आखिरकार औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों को हम कैसे कम कर सकते हैं ।

डा० कृष्णस्वामी : आप करों को कम कीजिये ।

श्री तुलसी दास : दूसरी बात मैं निर्यात बाजार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । यह सभी को ज्ञात है कि औद्योगिक उत्पादन को बनाये रखने के लिये हमारे लिये निर्यात बाजार बहुत आवश्यक है । परन्तु जब तक हम उत्पादन की लागत को कम नहीं करेंगे हमारे लिये निर्यात बाजार में अपनी स्थिति को बनाये रखना कठिन होगा । हमारे निर्यात की प्रधान वस्तुयें, चाय, पटसन से बनी वस्तुयें तथा सूती कपड़ा है । मननीय मंत्री को भलीभांति ज्ञात है कि सूती कपड़े के सम्बन्ध में हमें अभी तक जो सुभीता मिलता रहा है वह केवल इसलिये मिलता रहा है कि रुई मूल्य कम थे । परन्तु यह सुभीता सदा ही नहीं मिलता रहेगा इसलिये हमें इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये कि निर्यात बाजार में अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिये हमें क्या करना चाहिये ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा-मध्य) : सभानेत्री जी, आज उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ने से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि अब केन्द्रीय सरकार की जो सोचने की पद्धति थी उद्योग के बारे में उस में परिवर्तन हुआ है । इस परिवर्तन का मैं स्वागत करता हूं । लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की जो यह दशा है उस दशा को ध्यान में रख कर, जहां तक मेरा ख्याल है, न तो योजना आयोग ने और न ही केन्द्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी नीति को निर्धारित किया है । हिन्दुस्तान का सवाल जैसे कि और भी दूसरे पिछड़े हुए दूसरे देश हैं उनके सवाल जैसा है । लेकिन हिन्दुतान में जहां औद्योगिक विकास का उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम अपने देश में जो हमारी भूमि के अन्दर या भूमि से उत्पन्न होने वाले साधन हैं उन साधनों का अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक उपयोग करें वहां हमारे लिये यह भी जरूरी है कि हम यह देखें कि हमारी औद्योगिक नीति ऐसी हो जिससे कि हमारे जो करोड़ों की संख्या में लोग बेकार बैठे हैं उनको काम दिया जा सके । बहुत दिनों की बहस मुबाहिसे के बाद हिन्दुस्तान में जो बेकारी की समस्या है उसकी तरफ विशेष रूप से हमारे वित्त मंत्रालय का ध्यान गया है और कुछ कुछ ध्यान उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का भी गया है, यह स्वागत करने की चीज है । लेकिन, सभानेत्री जी, सवाल

[श्री एस० एन० दास]

यह उठता है कि हमारे यहां जो उद्योग व्यवसाय चलते हैं उनके चलने से जो धन पैदा होता है उस धन का कौन सा हिस्सा समाज के अन्दर जाता है और कौन सा हिस्सा व्यक्ति विशेष के पास जाता है या एक समूह विशेष के पास जाता है। इस बात पर विचार करने की जरूरत है। इस बात से किसीको इन्कार नहीं कि आजकल के जमाने में कोई भी देश बिना उद्योगों की तरक्की और विकास की आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता है। यह मानी हुई बात है। लेकिन यह आर्थिक उन्नति केवल बड़े बड़े पैमाने पर बड़े बड़े उद्योगों के चलाने से ही हो सकती है, यह विचार विवादास्पद है, विशेषकर हिन्दुस्तान जैसे देश के लिए। जैसे कि हमारे भाई डा० रामा राव ने कहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो कपड़ा उद्योग है और जिसके जरिये से हिन्दुस्तान की कपड़े की जो मांग है उसका बड़ा हिस्सा पूरा होगया है और हम कपड़ा बाहर भी भेजने लग गए हैं फिर भी उसमें केवल पांच या सात लाख व्यक्ति ही लगे हुए हैं और उसके मुकाबिले में हमारें देश के अन्दर जो करघा उद्योग चलता है, चर्खा व्यवसाय चलता है या ऐसे दूसरे काम चलते हैं उनमें करोड़ों आदमी काम कर के किसी न किसी तरह से जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए जब हिन्दुस्तान में उद्योग सम्बन्धी नीति का निर्धारण किया जाए उस समय इस बात का खयाल रखना पड़ेगा कि जहां हम बड़े बड़े उद्योगों को बड़े बड़े पैमाने पर चलाते हैं यह भी ध्यान रखना चाहिऐ कि हमारा जो कपड़ा और भोजन सम्बन्धी दूसरे छोटे छोटे व्यवसाय हैं और जो बहुत छोटे पैमाने पर चलाए जाते हैं, जो गृह उद्योगों के ज़रिये से या ग्रामोद्योगों के ज़रिये से चल सकते हैं उनका क्षेत्र निर्धारित कर देना चाहिए। यह बात समझ में नहीं आती है कि जब उपमंत्री ने भाषण दिया और कहा उनको संतोष है कि केन्द्रीय सरकार को जितना काम करना चाहिये था गृह उद्योगों के विकास के लिये उससे ज्यादा केन्द्रीय सरकार कर रही है इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह जो क्षेत्र है यह राज्य सरकारों के अन्तर्गत आता है। और केन्द्रीय सरकार के अन्दर नहीं आता है। मैं इस बात को नहीं मानता। जो विधान हम ने बनाया है उसमें हमने इस बात को स्वीकार किया है कि यह हमारा फर्ज है कि हम यह देखें कि हिन्दुस्तान का एक एक आदमी ऐसे काम में लग जाये कि जिससे वह अपना जीवन निर्वाह कर सके। यही निर्देशक सिद्धान्त हमारा है कि जिसको सामने रख कर ही हमें अपनी राजनीतिक या सामाजिक या औद्योगिक नीति निर्धारित करनी चाहिये। आज जब हम अपने निर्वाचित क्षेत्र में जाते हैं और हम सभायें करते हैं और जो लोग उन सभाओं में आते हैं वे हमसे पूछते हैं कि साहब देश की इतनी तरक्की हो रही है लेकिन हमारे लिये क्या हुआ है? हम उनके सामने पंचवर्षीय योजना अनुसंधान कार्य जो कर रहे हैं, सिंचाई की जो सुविधायें दी जा रही हैं, इनका वर्णन करते हैं लेकिन इनका वर्णन करने के बाद उनके मुंह में कुछ अन्न नहीं पड़ता और उनके हाथ में कुछ काम नहीं आ जाता इसलिये जो भी नीति हम निर्धारित करें हमें अपनी ३६ करोड़ की जनता है उनके ७२ करोड़ हाथों को कुछ काम मिले इस बात का खास ख्याल रखना चाहिये। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिये मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान में करोड़ों

की संख्या में जो जनता है उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ती हम तरक्की नहीं कर सकते और जो बड़े बड़े कारखाने हम चलाना चाहते हैं वे चल नहीं सकते। आजकल का जमाना बड़ा प्रतियोगिता का जमाना है । कपड़े के व्यवसाय ने पिछले दो तीन सालों में बड़ी तरक्की की है। हम अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही साथ बाहर भी भेजने लग गये हैं। लेकिन भविष्य जरा सा अन्दाजा लगाइये । इस व्यवसाय के सामने कई कठिनाइयां आने वाली हैं यह जो कठिनाइयां आने वाली है, इनका मुकाबला हम कर सकेंगे इसमें हमें शक है। जापान आज बड़ी तेजी के साथ संसार केसाथ व्यापार के क्षेत्र में आ रहा है। आप जानते हैं कि जापान में कपड़ा बनाने पर जो खर्च आता है वह बहुत ही कम पड़ता है। जापान के कपड़े के मुकाबले में हमारा कपड़ा नहीं ठहर सकेगा। क्योंकि जापान के कपड़े का मूल्य बहुत कम होगा। इसकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा।

जो हमारे गृह उद्योग हैं या ग्रामोद्योग है उनकी तरफ जो अब सरकार की नीति है वह वैसी ही है जैसे कि एक चूहे को जब वह मरने लगता है उसको गोबर सुंघा दिया जाता है। इस नीति से काम चलने वाला नहीं है। सरकार को साहस और हिम्मत के साथ इस ओर अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिये हिन्दुस्तान क गांवों में रहने वाले जो करोड़ों लोग हैं और अपने हाथों से या किसी छोटे छोटे यन्त्रों का उपयोग कर के सामान बनाते हैं उन उद्योगों को किसी बड़े पैमाने पर खोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं उपमंत्री महोदय से कहूंगा कि वह जो संतोष कर के बैठ गये हैं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि यह संतोष बहुत खतरनाक है। मैं मानता हूं देश में बहुत सा काम हो रहा है। लेकिन आज केन्द्रीय सरकार को और राज्य सरकारों को यह देखना है कि समूचे देश का सामूहिक विकास और अधिक पैमाने पर और ज्यादा तेजी से हो । इसी तरह से इस मंत्रालय को यह चाहिये कि जब औद्योगिक और व्यवसायिक नीति निर्धारित करे तो इस बात का ख्याल रखे कि बड़े पैमाने के उद्योगों में से केवल उन्हीं को प्रश्रय दे जिनके लिये बाहर भी बाजार है, और देश में उपभोक्ता का सामान छोटे उद्योगों के द्वारा बनवाये और जो बड़े उद्योग इस प्रकार के सामान को तयार कर रहे हों उनको बन्द कर दे।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांग का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस दिशा में और तेजी से कदम उठायेगी।

श्री एस० जी० रामस्वामी : कानूनगो समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में उपमंत्री के मन में भी संदेह है इसलिये वह कह रहे थे कि यदि प्रतिवेदन स्वीकार किया जाता है तो उसके यह परिणाम होंगे। यह एक विचित्र प्रतिवेदन है, जो एक उद्योग को बल प्रदान करने के स्थान पर उसको नष्ट करना चाहता है। जब यह समिति नियुक्त की गई थी तो इस उद्योग के सामने भारी संकट था। हजारों की संख्या में बुनकर बेकार हो रहे थे और स्थिति ऐसी खराब हो गई थी कि दक्षिण के लोग ऋषिकेश तक में भीख मांगते पाये जाते थे। इसलिये आशा यह की जाती थी कि यह समिति कोई ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जो इस उदोग को जीवित रहने में सहायता पहुंचायेगी। परन्तु यह प्रतिवेदन तो १५ वर्ष में इस उद्योग को ही समाप्त कर देना चाहता है। अखिल भारतीय हाथकरघा सप्ताह समबन्धी एक पुस्तिका की भूमिका लिखते हुये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने जो कुछ कहा है उससे तो यह जान पड़ता है कि माननीय मंत्री को यह ज्ञात ही नहीं

[श्री एस० जी० रामस्वामी]

है कि कानूनगो प्रतिवेदन में है क्या। यदि हम इस पुस्तिका की कण्डिका ९१ को देखें तो हम पायेंगे कि उस में और मंत्री महोदय के कथन में जमीन आसमान का अन्तर है। उन का कहना है कि वह प्रतिवेदन इस उद्योग का स्थायीकरण करना चाहता है।

मुझे आश्वासन दिया गया है कि सरकार ने अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है, अभी इस पर विचार किया जायगा, उसके बाद इसे सभा के सामने रखा जायेगा। परन्तु यदि ऐसा है तो यह उपबन्ध क्यों किया गया है ? इसमें तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सूती कपड़ा जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार हाथकरघों को शक्तिचालित करघों में बदलने के लिये उपबन्ध किया जा रहा है। समय न होने के कारण मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—73LSD—9-1 56—240.